पंचम माला, खंड 60, अंक 22, बुधवार, 7 अप्रैल, 1976/18 चैत्र 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LX No. 22 Wednesday, April 7, 1976/Chaitra 18, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 60 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. LX contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 22, बुधवार, 7 अप्रैल, 1976/18 चैत्र, 1898 (शक)

No. 22, Wednesday, April 7, 1976/Chaitra 18, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 421, 422, 424 से 426, 428, 430, 432 से 434 और 439	Starred Questions Nos. 421, 422, 424 to 426, 428, 430, 432 to 434 and 439	1—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 423, 427, 429, 431, 436 से 438 और 440	Starred Questions Nos. 423, 427, 429, 431, 436 to 438 and 440 . .	16—19
अतारांकित प्रश्न संख्या 2106, 2107, 2109 से 2186, 2188, 2189 और 2191 से 2202	Unstarred Questions Nos. 2106, 2107, 2109 to 2186, 2188, 2189 and 2191 to 2202	19—62
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table . . .	63—64
अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर ध्यान आकर्षण—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	65—67
चासनाला खान में दो सर्वेक्षकों और तीन चेनमैनों की मृत्यु का समाचार—	Reported death of two surveyors and three chainmen in the Chasnala Mine	
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee . . .	65
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav . . .	65
श्री अजीत कुमार साहा	Shri Ajit Kumar Saha . . .	66
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee . . .	67
92वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Ninety-second Report presented .	67
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee . .	68
203वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Two hundred and third report presented	68
लाभ के पदों सम्बन्धी समिति—	Joint Committee on offices of Profit .	
एक सदस्य का निर्वाचन करने के लिये राज्य सभा से सिफारिश	Recommendation to Rajya Sabha to elect a Member	68

किसी नाम पर अंकित यह+ इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
समिति के लिये निर्वाचन—	Elections to Committees	68—70
(एक) प्राक्कलन समिति	(i) Estimates Committee	68
(दो) लोक लेखा समिति	(ii) Public Accounts Committee	69
(तीन) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	(iii) Committee on Public Undertakings	70
अनुदानों की मांगें, 1976-77	Demands for Grants, 1976-77	70—100
विदेश मंत्रालय	Ministry of External Affairs	70
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	76
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	80
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	81
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	84
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo de Sequeira	85
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	86
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	87
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K. P. Unnikrishnan	88
श्री हरिकिशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh	89
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	90
श्री शशिभूषण	Shri Shashi Bhushan	91
श्री के० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa	91
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	92
श्री हरि सिंह	Shri Hari Singh	92
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	93
श्री बिश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy	94
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	95
श्री सैयद अहमद आंगा	Shri Syed Ahmed Aga	95
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi	96
श्री विपिन पाल दास	Shri Bipinpal Das	97
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	98
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	99
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	100

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 7 अप्रैल, 1976/18 चैत्र, 1898 (शक)
Wednesday, April 7, 1976/Chaitra 18, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारी इंजीनियरिंग निगम द्वारा उत्पादन का विविधीकरण

*421. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरिंग निगम का विचार अपने उत्पादन का विविधीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) इस्पात संयंत्र उपकरण जिसके लिए भारी इंजीनियरी निगम मुख्यरूप से सज्जित है, के अपर्याप्त आदेशों के कारण भारी इंजीनियरी निगम के लिए अन्य सम्भव क्षेत्रों में काम प्राप्त करना आवश्यक हो गया है।

श्री राम सहाय पांडे : इसकी स्थापना के समय से अब तक भारी इंजीनियरिंग निगम को कितना घाटा हुआ है ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह सही बात है कि भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची की स्थापना के बाद अब तक यह मुनाफा नहीं कमा पाया है और विभिन्न कारणों से यह घाटे में चल रहा था। गत वर्ष 4 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। किन्तु सभा को यह बताते हुए मुझे हर्ष है कि पहली बार इस वर्ष 1975-76 में आपात् स्थिति के बाद भी भारी इंजीनियरिंग निगम का उत्पादन पुनः निर्धारित लक्ष्य का 94 प्रतिशत पहुंचा है। इस वर्ष 31-3-76 तक 80.2 करोड़ रुपये के मूल्य का उत्पादन हुआ है। भारी इंजीनियरिंग निगम के इतिहास में इस वर्ष इस निगम को 25 लाख रुपये का मुनाफा होने की संभावना है।

श्री राम सहाय पांडे : भारी इंजीनियरिंग निगम ने लगभग 800 करोड़ रुपये का निवेश किया हुआ है और अब तक इसे 113 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। क्या मैं जान सकता हूं कि इसके मुख्य कारण क्या हैं? क्या यह कु-प्रबंध के कारण है या किसी अन्य कारण से? यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें सरकार ने 800 करोड़ रुपये का निवेश किया हुआ है। अब तक 113 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। इसका मुख्य कारण क्या है?

श्री ए० सी० जार्ज : यह एक इस तरह का उद्योग है जिसे पूरी तरह विकसित होने में कुछ समय लगता है। और गत चार-पांच वर्षों के दौरान जो घाटा हुआ हो, उसका यही एक कारण हो सकता है। यह एक ऐसा उद्योग है जो कि इस्पात संयंत्रों तथा अन्य भारी इंजीनियरिंग एककों के लिए पोषक उद्योग है। मैं मानता हूं कि आरम्भ में इस उद्योग में कुछ समुचित प्रबन्ध न होने के मामले भी हुए हैं। हमने समूची प्रणाली में सुधार किया है। यही कारण है कि 1974-75 में 73 करोड़ रुपये के मूल्य के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष का उत्पादन 80 करोड़ हुआ है और कुछ लाभ भी हुआ है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अध्यक्ष महोदय, मंदी तथा क्रयादेशों के अभाव के कारण भारी इंजीनियरिंग निगम अपने उत्पादन का विविधीकरण करना चाहता है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी कर्मचारी की छंटनी की जायेगी? मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि भारी इंजीनियरिंग निगम में किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जायेगी।

श्री ए० सी० जार्ज : श्रीमान इस उद्योग का प्रमुख कार्य इस्पात संयंत्रों के लिए भारी मशीनों का निर्माण करना है और इस दिशा में 1976-77 तथा आंशिक रूप से 1977-78 तथा 1978-79 के लिए हमारी स्थिति अच्छी है किन्तु इस तरह के उद्योग के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि हम इसके उत्पादन में विविधीकरण लाने पर विचार कर रहे हैं। इस्पात के अतिरिक्त हम खनन क्षेत्र और भारी इंजीनियरिंग की जरूरतों के विस्तार की भी सोच रहे हैं। किन्तु हमारा उद्देश्य यह कि कठिनाइयों के बावजूद भी हम किसी कर्मचारी की छंटनी न करें।

श्री एन० ई० होरो : भारी इंजीनियरिंग निगम में विविधीकरण की बहुत गुंजाइश है। उन्होंने काफी भूमि अर्जित कर ली है और वे इस उद्योग का विविधीकरण कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है या नहीं कि वर्तमान चेयरमैन विविधीकरण के विरुद्ध हैं, जबकि उसके साथी इसके पक्ष में हैं और चेयरमैन सरकार को इस उद्योग का विस्तार करने से रोक रहे हैं।

श्री ए० सी० जार्ज० : श्रीमान इसका निर्णय अकेले चेयरमैन ही नहीं करते। इस तरह के उद्योग के बारे में उत्पादन सम्बन्धी निर्णय बोर्ड द्वारा मंत्रालय के निदेशों के अनुसार लिए जाते हैं। यह कोई ऐसा उद्योग नहीं है जो कि साधारण उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करता है। वास्तव में यह तो महत्वपूर्ण मशीनों का निर्माण करने वाला उद्योग है। खनन, इस्पात, पेट्रोलियम तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों की जरूरतों को ध्यान रखकर ही उच्च स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं।

यदि कोई व्यक्तिगत निर्णय लिया भी गया होगा तो उसका कोई महत्व नहीं है और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि चेयरमैन भी उद्योग को समृद्ध बनाना चाहते हैं और वह पूरी तरह इसके विविधीकरण के पक्ष में हैं।

सहायक अनुदान प्राप्त करने वाली स्वैच्छिक एजेन्सियों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

*422. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाली स्वैच्छिक ऐजन्सियों को सेवाओं तथा पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रिक्त स्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मंत्रालयों/विभागों को अक्टूबर, 1974 में अनुदेश जारी किए गए थे कि वे उनसे वास्तविक सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक अभिकरणों के मामले में उन शर्तों में, एक उपयुक्त खण्ड शामिल कर दें जिनके अधीन ऐसे स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता अनुदान दिया जाता है जिससे कि इन अभिकरणों द्वारा आरक्षणों की योजना की मुख्य विशेषताओं का पालन किए जाने की व्यवस्था की जा सके। योजना की उन मुख्य विशेषताओं को भी जिन्हें उन अभिकरणों द्वारा अपनाया जाना चाहिए उन विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से, जो उनको सहायता अनुदान देते हैं, परिचालित किया गया था। अभिकरणों को यह सूचना देना भी आवश्यक है कि सरकार द्वारा उन्हें भविष्य में सहायता अनुदान मंजूर करते समय उनके द्वारा अपने अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को नौकरी पर रखने के बारे में हुई प्रगति को ध्यान में रखा जाएगा। प्रश्नगत अनुदेशों की एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाती है।

श्री एन० ई० होरो : श्रीमान् मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि 1974 में अनुदेश जारी करने के पश्चात् इन स्वैच्छिक अभिकरणों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को रोजगार दिया है। मैं विशेषरूप से यह जानना चाहता हूं कि राम कृष्ण मिशन में, जिसे सरकार से सहायक अनुदान की बहुत बड़ी राशि प्राप्त हो रही है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को रोजगार दिया गया है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : अनुदेश 1974 में जारी किए गए थे। कार्यान्वयन वर्ष 1975-76 में था, जो कि अभी समाप्त हुआ है। हमें विभिन्न अभिकरणों से, जिन्हें यह अनुदान मिल रहा है, जानकारी एकत्रित करने में कुछ समय लगेगा ताकि हम सभा को तत्सम्बन्धी जानकारी दे सकें। किन्तु फिर भी ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जहां इन लोगों के लिए आरक्षण किया हुआ है। मेरे पास 18 संस्थाओं की सूची है जिन्हें सहायक अनुदान मिल रहा है और वहां कार्य कर रहे इन जातियों के लोगों की कुछ संख्या का भी पता है। यदि माननीय सदस्य यह जानकारी चाहते हैं तो मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं।

श्री एन० ई० होरो : श्रीमान जी, मैं चाहता हूं कि यह विवरण सभा पटल पर रखा जाये। मैं यह विशेषरूप से जानना चाहता हूं कि वे कौन से उपाय हैं जिनसे आप नियमित रूप से जानकारी एकत्रित करते हैं और ये अभिकरण उस धन राशि का उपयोग किस तरह करते हैं और क्या वे आपके द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को कार्यान्वित कर रहे हैं। क्योंकि आपके अनुदेश जारी करने और उनके यह कहने से कि वे ऐसा कर रहे हैं, बात नहीं बनेगी। आप किस ढंग से नियमित रूप से जानकारी इकट्ठी करते हैं और क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि ये अभिकरण आप द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को वास्तविक रूप से कार्यान्वित करेंगे?

श्री एफ० एच० मोहसिन : केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को अनुदेश जारी किए गए हैं और 41 मंत्रालयों/विभागों से जानकारी प्राप्त की गई है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने उन सभी संस्थाओं तथा संगठनों को अनुदेश जारी कर दिए है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिलता है

और अब तक किसी भी संस्था ने अनुदेशों का पालन करने से इन्कार नहीं किया है। इसका मतलब यह हुआ कि इन मंत्रालयों के अधीन सभी अभिकरणों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन करना स्वीकार कर लिया है।

श्री एन० ई० होरो : मेरा प्रश्न यह है कि क्या वे उनको कार्यान्वित कर रहे हैं?

श्री एफ० एच० मोहसिन: उन्होंने अनुदेशों को कार्यान्वित करने से इन्कार नहीं किया है। वर्ष 1975-76 अभी अभी समाप्त हुआ है। हम विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों से जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने उन्हें कहां तक कार्यान्वित किया है। जब प्रश्न पृथक रूप से पूछा जायेगा तो हम जानकारी देंगे।

श्री डी० बसुमतारी : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति सम्बन्धी समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह लोक सेवा संघ आयोग तथा प्रांतीय सेवा आयोगों सहित सभी नियुक्तिकर्ता प्राधिकार में एक व्यक्ति इन जातियों का रखे। सरकार की इस सुझाव के प्रति क्या प्रतिक्रिया है?

श्री एफ० एच० मोहसिन् :श्रीमान यह पृथक प्रश्न है।

Shri B. S. Bhaura : Mr. Speaker, these Corporations do not abide by the instructions issued by the Government. The Hon. Minister has stated that the instructions have been issued to include this clause. Since then a period of two years has elapsed. I want to know the names of those agencies who have included this clause. At the same time I want to know whether any agency has been found guilty of it and whether have punished them therefor?

श्री एफ० एच० मोहसिन: श्रीमान् संविधान के अनुच्छेद 12 के बारे में विधि मंत्रालय की राय ली गई है और उनकी राय है कि "राज्य" शब्द के अन्तर्गत नगर निगम आते हैं न कि अन्य स्वायतशासी निकाय तथा विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं। किन्तु संविधान संशोधन कार्य आवश्यक नहीं था। उनके अन्तर्नियमों में समुचित संशोधन करके यह उद्देश्य पूरा किया जा सकता है? गृह मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा मंत्रालयों तथा विभागों को कहा है कि वे केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाले स्वायत्तशासी निकायों तथा संस्थाओं में इन लोगों के लिए सेवाओं के आरक्षण के लिए कार्यवाही करें। इसके लिए वे अपने संविधानों तथा अन्तर्नियमों में समुचित संशोधन करें।

श्री मानसिंह भौरा : श्रीमान् मेरा प्रश्न सर्वथा भिन्न है। मैं जानना चाहता था कि क्या किसी अभिकरण को दोषी पाया गया है?

श्री एफ० एच० मोहसिन : अब तक कोई भी अभिकरण दोषी नहीं पाया गया।

व्यक्तियों के प्रशिक्षण, भर्ती और उपयोग की समेकित नीति

*424. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार व्यक्तियों के प्रशिक्षण, भर्ती और उपयोग की समेकित नीति अपनाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) मानव संसाधनों के भरपूर सम्भव उपयोग को प्रोत्साहित करना हमारी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के माध्यम से उपयुक्त कुशलताओं को बढ़ाने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया है। विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के लिए सरकार में, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में और निजी क्षेत्र में प्रशिक्षण के अनेक कार्यक्रम हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : माननीय मंत्री ने कहा है कि हमारी नीति यह है कि मानव संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाये। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रतिभा पलायन तथा बेरोज़गारी की समस्या कितनी गंभीर है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था कहां तक प्रभावित हुई है और इस समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक बेरोज़गारी कर सम्बन्ध है, निश्चित ही यह बड़ी चिन्ता का मामला है। मेरे माननीय मित्र इस बात से सहमत होंगे कि इस समस्या को पूरी तरह हल करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। देश में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और रोजगार के आर्थिक अवसर पैदा किए जा सकें। अब समूची योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। अब हम चाहे अधिक कृषि साधनों की बात करें या बेहतर आधारभूत ढांचे की या हम व्यापक औद्योगिक आधार की, इन सब बातों का उद्देश्य रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : उन्होंने प्रतिभा पलायन के बारे में मेरे प्रश्न का जबाब नहीं दिया है। फिर भी मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं और उसका जवाब देते हुए मंत्री जी प्रतिभा पलायन के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिभा पलायन का मामला अलग है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मानव संसाधनों का पूरा उपयोग करने के संदर्भ में यह एक गंभीर समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि यह एक गंभीर समस्या है। इस बारे में आप पृथक प्रश्न पूछिये। इस प्रश्न में इस बात को सम्मिलित करने से यह प्रश्न भी बहुत बड़ा हो जायेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं तर्क नहीं करना चाहता किन्तु यह बात भी इसी प्रश्न से निकलती है। चूंकि मंत्री महोदय कहते हैं कि सरकार बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है, अतः मैं जानना चाहता हूं कि योजना आयोग ने 50 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का जो कार्यक्रम बनाया था उसका क्या हुआ? अब तक क्या परिणाम रहे हैं और किस सीमा तक यह कार्यक्रम सफल हुआ है।

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक रोजगार के 50 लाख अवसरों का सम्बन्ध है, इसके परिणाम सब जगह समान नहीं निकले क्योंकि कुछ राज्यों में इसके अच्छे परिणाम नहीं निकले। अब हमने इसके कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन शुरू किया है और इसे भविष्य में जारी रखना इसके मूल्यांकन पर ही निर्भर करता है। मुझे आशा है मूल्यांकन का कार्य कुछ ही समय में पूरा हो जायेगा और इसलिए इस योजना को जारी रखने या न रखने के बारे में तभी निर्णय लिया जायेगा।

श्रीमानजी आपकी अनुमति से मैं माननीय सदस्य को प्रतिभा पलायन के प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। यह गंभीर मामला है, इस बात से मैं सहमत हूं। इसीलिए इसके लिए एक ठोस नीति अपनाई गई है। इसके कई कारण हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम चाहते हैं कि उच्च वैज्ञानिक ज्ञान वाले

व्यक्ति बने रहें। उदाहरण के लिए कुछ डाक्टर बहार जा रहे हैं और कुछ लोग अन्य कारणों से बाहर गए हैं। हमने सी० एस० आई० आर० पूल बनाया है। इस बारे में मैं उन्हें लिखित रूप में अधिक ब्यौरे दूंगा। इस दिशा में ठोस प्रयास किये जायेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हमारे देश में अधिकांश लोग अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं और अन्य रोजगार की तलाश में रहते हैं और इसी लिये कहा जाता है कि 60 प्रतिशत से अधिक प्रार्थी पहले ही नौकरी में होते हैं? दूसरे अधिकांश अधिकारियों, कर्मचारियों आदि के पास भूमि होती है, परन्तु वे कभी खेती नहीं करते और न ही अपने बच्चों तथा पोतेपोतियों को कभी खेती का प्रशिक्षण देते हैं तथा इस से गैर-हाजिर जमींदारी में वृद्धि होती है। इस पृष्ठभूमि में मैं जानना चाहता हूं कि क्या बेरोजगारी की समस्या अधिक उग्र नहीं हो जाती? मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक व्यक्ति--एक रोजगार के आधार पर कोई समेकित रोजगार नीति अपनाने का प्रस्ताव है? किसी भी ऐसे व्यक्ति का आवेदन पत्र जो पहले ही रोजगार में, त्यागपत्र दिये बिना अन्यत्र रोजगार के लिये नहीं भेजा जाना चाहिये। इसी भांति यदि कोई व्यक्ति रोजगार में है और उसकी मासिक आय 200 रुपये अथवा इस से अधिक है, तो पैत्रिक सम्पत्ति में उस के हिस्से को जब्त कर लिया जाना चाहिये ताकि देहातों में कृषि में वृद्धि हो और वे लोग सेवा निवृति के बाद लघु उद्योग में लग जायें। इसी भांति देश का विकास हो सकेगा। क्या सरकार इस दृष्टिकोण से सोच रही है?

श्री आई० के० गुजराल : मेरे माननीय मित्र ने कुछ सामान्य बातें कही हैं। जहां तक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का सम्बन्ध है--(व्यवधान)... यदि एक व्यक्ति नौकरी से चला जाता है, तो उस के स्थान पर दूसरा आ जाता है।

श्री भोगेंद्र झा : किसी भी पद के लिये आवेदन-पत्र होते हैं। परन्तु इन आवेदकों में से लगभग 60 प्रतिशत पहले ही रोजगार में होते हैं।

श्री आई० के० गुजराल : मेरे लिये यह बताना असम्भव है कि इन में से 60 प्रतिशत पहले ही रोजगार में होते हैं अथवा 40 प्रतिशत होते हैं। मुख्य बात यह है कि जब कोई व्यक्त किसी पद के लिये आवेदन-पत्र देता है और यदि वह उस पद के लिये अपेक्षित अर्हताओं को पूरा करता है, तो उसे उस के लिये आवेदन-पत्र देने से नहीं रोका जाना चाहिये, अन्यथा बुद्धि की गतिशीलता रुक जायेगी। जहां तक भूमि के स्वामीत्व का प्रश्न है, जैसा कि माननीय सदस्य का कहना है, मैं समझता हूं कि गैर-हाजिर जमींदारी को हतोत्साहित करने अथवा इसे समाप्त करने के लिये भूमि सुधारों पर जोर देना जरूरी है। मैं सिद्धान्त रूप से उन से सहमत हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरा प्रश्न उनके बारे था, जो पहले ही रोजगार में हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस का उत्तर दे दिया है।

श्री बसंत साठे : मैं जानना चाहता हूं कि क्या जन संख्या में वृद्धि के साथ बेरोजगारों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार युवा व्यक्तियों सम्बन्धी वर्तमान आंकड़े क्या हैं? उन्हें देहाती क्षेत्र में, कृषि-उद्योगों में प्रशिक्षण देने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं? केवल यही एक ऐसा क्षेत्र है, जिस में रोजगार मिल सकता है।

श्री आई० के० गुजराल : दुर्भाग्यवश यह सच है कि बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है । रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों के अनुसार 31-12-74 के काम चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या 84 लाख थी।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंन्दिरा गांधी) : इन में से बहुत से पहले ही रोजगार में हैं।

(व्यवधान)

श्री आई० के० गुजराल : हमारे पास कोई अन्य आंकड़े नहीं हैं, जिनके आधार पर हम कह सकें कि बेरोजगारों की संख्या कितनी है।

श्री वसंत साठे : आप के आंकड़े केवल नगरीय क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं।

श्री आई० के० गुजराल : मैं आप से सहमत हूं। कुल बेरोजगारों की संख्या बताना असंभव है। मुख्य बात यह है कि हमारे पास ऐसे रजिस्टर नहीं हैं जिन से हम अनियोजितों तथा अर्धनियोजितों की कुल संख्या बता सकें। हमारे पास केवल यहीं आंकड़े उपलब्ध हैं कि बेरोजगार कार्यालयों में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं। परन्तु यह भी पूर्णतया विश्वसनीय नहीं है।

श्री वसंत साठे : ग्रामीण बेरोजगारों को कृषि उद्योगों में प्रशिक्षण देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री आई० के० गुजराल : कृषि उद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण की अनेक योजनायें हैं। केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्रालय की नौ योजनायें हैं, जिन्हें इस समय क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य सरकारों की भी अनेक योजनायें हैं। मैं उन का उल्लेख करने में सभा का समय लेने की बजाय, उनका ब्यौरा माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा।

गुजरात में बिजली संकट

*425. **श्री अरविंद एम० पटेल :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में दोबारा बिजली संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत बिजली की कटौती की गई है; और

(ग) इस कटौती से कौन से जिलों पर प्रभाव पड़ा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) गुजरात में इस समय ऊर्जा के उपभोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। राज्य के विभिन्न जिलों में औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा छुटियों के दिनों को ही आगे पीछे कर देने की व्यवस्था चल रही है।

Shri Arvind M. Patel : Kindly give me districtwise figures in regard to staggering of holidays.

Secondly, two months ago 5% to 10% cut on power was imposed by the former Front Government headed by Shri Babubhai Patel. What is the position at present ? May I know whether the cut has been done away with or it is still in force and if so, to what extent ?

Shri K. C. Pant : Staggering of holidays is in force in all the 19 districts. The restrictions were imposed on 29th February and those had been lifted on 25th March. There was 5% cut in staggering of holidays for industrial consumers, which is no more there. Demand cut has been reduced from 20% to 15%. Formerly load-sheding on rural feeders was for six hours and now it is for two hours.

श्री पी० जी० मावलंकर : माननीय मंत्री ने कहा है कि गुजरात में बिजली संकट नहीं है। परन्तु क्या गत कुछ वर्षों में राज्य सरकार का तथा केन्द्रीय प्रशासन का, जब कि गुजरात में राष्ट्रपति का शासन होता है, यह अनुभव नहीं रहा है कि गुजरात में विभिन्न उद्योगों, जिन में विभिन्न कृषि उद्योग तथा औद्योगिक एकक शामिल हैं, को बार-बार बिजली संकट का सामना करना पड़ा है। इस दृष्टिकोण से क्या सरकार का विचार (क) तारापुर संयंत्र का विस्तार करके और (ख) सौराष्ट्र में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके विद्युत प्रजनन में वृद्धि करने का है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विगत में कई राज्यों में बिजली की कठिनाई रही है। कुछ में स्थिति सुधर गई है तथा कुछ में अभी कुछ कठिनाई जारी है। परन्तु गुजरात में स्थिति काफी अच्छी है तथा आशा है कि पांचवीं योजना के अन्त तक स्थिति अच्छी रहेगी। वास्तव में, हाल के महीनों में गुजरात महाराष्ट्र को ऊर्जा का निर्यात कर रहा है। जहां तक परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने का प्रश्न है, अन्तिम निर्णय अभी किया जाना बाकी है।

Uplift of Backward Sections of Society

*426. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether any time bound scheme is being launched by the Centre for the uplift of backward Sections of the Society under the 20-point programme; and

(b) if so, the total amount to be spent on the implementation of the scheme ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में अनेक ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिनसे समाज के पिछड़े वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र और राज्यों दोनों में ठोस कार्रवाई की जा रही है और इसमें काफी प्रगति हो चुकी है। बीस-सूत्री कार्यक्रम और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई अन्य योजना स्कीमों के कार्यान्वयन से इन वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में सहायता मिलेगी।

(ख) बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में जो स्कीमें शामिल की गई हैं उनमें से केवल कुछ स्कीमों के लिए ही वित्तीय परिव्यय करने की आवश्यकता है और 1976-77 की योजना में इन स्कीमों के लिए 2337.74 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कुछ विषयों के लिए वित्तीय सहायता संस्थागत साधनों से उपलब्ध होगी। इस कार्यक्रम के कई विषयों के लिए तो मुख्य रूप से विधायी और प्रशासनिक कार्रवाई करने की ही आवश्यकता है और वित्तीय परिव्ययों की आवश्यकता नहीं है।

Shri Bharat Singh Chowhan : Mr. Speaker, Sir, my question is clear. I have asked whether any time bound programme has been launched for the uplift of backward sections under which it could be said that these sections would be brought at par with other sections of society in so many years and whether any survey has been conducted in this regard ?

Shri I. K. Gujral : Mr. Speaker, Sir, it is difficult in such matters to give specific reply in terms of years and months. But we have formulated programmes for the uplift of backward sections and backward areas. The 20-point programme or the minimum needs programme is a step in this direction. Basically our entire planning is meant for the uplift of backward classes and backward areas, but it is difficult to say that it will be done in so many years.

Shri Bharat Singh Chowhan : I want to know whether any plan has been formulated for providing housing facilities to Harijans, both in Urban and Rural areas. So far as housing facilities are concerned, the condition of Harijans in the Villages of U.P. is pitiable and nothing has been done to improve them lot. The Government should launch a time bound scheme for providing housing facilities to them and finances should be provided to the states for that purpose.

Shri I. K. Gujral : It is correct that it is absolutely necessary to improve the lot of Harijans and there can not be two opinions about it. That is why certain programmes have been launched for that matter. For instance there is a time bound programme under which house sites will be provided to all the homeless people in the country including the rural areas. This programme mostly covers the backward classes. Likewise the schemes for redistribution of land or that of marginal farmers are all aimed for the uplift of backward classes.

श्री बी० वी० नायक : मैं मसझता हूं कि प्रश्न तथा उत्तर दोनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के बारे में भ्रान्ति है। जहां तक मैं समझता हूं पिछड़े वर्ग अथवा जातियां उन्हें कहते हैं जो सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं तथा उन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की भांति संविधान के अन्तर्गत कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं। हमारे संविधान में पिछड़ी जातियों के नाम नहीं बताये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या देश भर में सब राज्यों में यह निश्चित कर दिया गया है कि कौन कौन सी जातियां पिछड़ी जातियां है? (ख) आगामी वर्ष में 2337 करोड़ रुपये खर्च करने का उपबन्ध किया गया है तथा प्रधान मंत्री द्वारा 1 जुलाई, 1975 को 20-सूत्री कार्यक्रम घोषित किये जाने के बाद भी कुछ धन खर्च किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये क्या मूल्यांकन तंत्र बनाया गया है और क्या कोई मूल्यांकन किया गया है तथा उस से योजना आयोग को क्या मुख्य-मुख्य परिणाम प्राप्त हुए हैं?

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक यह निश्चित किये जाने का प्रश्न है कि कौन-कौन सी जातियां पिछड़ी जातियां है, मेरे माननीय मित्र मुझ से सहमत होंगे कि यह काफी हद तक कर लिया गया है जब हम पिछड़ी जातियों तथा पिछड़े क्षेत्रों के बारे में बातें करते हैं, तो हमें मोटे तौर पर ज्ञात होता हैं कि हम किन के बारे में बातें कर रहे हैं। परन्तु यह सच है कि हमारे देश में गरीबी बहुत व्यापक है और हम महसूस करते हैं कि कुछ अन्य वर्गों को भी इस में शामिल किया जाना चाहिये। इसलिये समय समय पर इस ओर ध्यान दिया जाता रहता है। स्पष्ट बात यह है कि हमें ऐसा प्रयास करना चाहिये जिससे बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर किया जा सके। उसी स्थिति में पिछड़ापन एक ऐसी चीज नहीं रहेगी, जिस पर हम गर्व करें। जहां तक निवेश और मूल्यांकन का संबन्ध है, मैं यह कह सकता हूं कि 20-सूत्री कार्यक्रम का मूल्यांकन लगातार होता रहता है। मेरे लिये हर प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। मैं माननीय सदस्य को कोई विशिष्ठ जानकारी जो वह चाहे दे सकता हूं।

Shri Chandrika Prasad : Mr. Speaker, Sir, there is a Harijan Welfare Committee in one of the district in U.P. at State level and I supplose that in other districts also such Committees would be there. I want that the Committee should be renamed as Labour and Rural Welfare Board and all the Institutions, Government as well as private engaged in the Welfare of Harijans be brought under it's purview, so that it may function more purposefully. Is there any such proposal?

Shri I. K. Gujral : I will give due consideration to the proposal of the hon. Member regarding Labour and Rural Welfare Board.

श्री माधुर्य हाल्दर : 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये भारी धनराशि आवंटित की गई है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये क्या विशेष कार्यक्रम है उनके लिये कितनी राशि नियत की गई है। दूसरे, क्या सरकार जानती है कि भूमि उन लोगों को आवंटित की जानी है जिनके पास अपना मकान बनाने के लिये भूमि नहीं है लेकिन देश के कई भागों में विशेष कर बंगाल में केवल पट्टे ही दिये जा रहे हैं और जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं दिया जा रहा है?

श्री आई० के० गुजराल : पिछड़ी जातियों और अन्य वर्गों के कल्याण के लिये 1976-77 के लिये राज्य क्षेत्र में 48 करोड़ रुपये और केन्द्रीय क्षेत्र में 48 करोड़ रुपये; कुल 96 करोड़ रुपये

आवंटित किये गये हैं। इसके अलावा, इन वर्गों के सामाजिक कल्याण के लिये 13 करोड़ रुपये और पोषाहार कार्यक्रम के लिये 21 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना है कि मकानों के लिये सिर्फ पट्टे ही दिये जा रहे हैं ; जमीन का कब्जा नहीं।

श्री आई० के० गुजराल : इस बात का संबन्ध राज्य सरकार से है। लेकिन मैं भी उनकी इस बात को नोट कर लेता हूं।

Shri Ram Hedaoo : Sir, the Adivasi's not belonging to a particular area are not treated as Adivasis & thus they are deprived of the facilities given to Adivasis. If an Adivasi goes to city and receives education & then if he applies for some jobs, he is not considered an Adivasi. What steps do Government propose to take to remedy this situation ? This restriction is not there for the Scheduled Castes. This restriction has not been removed in the case of Scheduled Tribes even after 28 years of our independence and that 5 people of Scheduled Tribes have not progressed adequately.

Mr. Speaker : You please address this question to the Hon'ble Home Minister.

श्री बसन्त साठे : श्रीमन्, कृपया प्रश्न को देखिये। यह गृह मंत्रालय को संबोधित था। बाद में यह योजना मंत्रालय के नाम में का दिया गया।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : क्षेत्र बंधन निवारण विधेयक के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। यदि संसदीय कार्य मंत्री समय दें तो यह इसी सत्र में सभा के समक्ष लाया जा सकता है।

Reserve Force Service

***428. Shri Shiv Kumar Shastri :**
Sardar Mohinder Singh Gill :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any improvements have been made in the reserve force service for the welfare of soliders; and

(b) if so, the outlines thereof and the benefits likely to accrue to the service personnel ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) नई रिजर्व नीति के अन्तर्गत रिजर्व में जाने वाले सेना कार्मिकों को निम्नांकित लाभ होंगे:—

(1) अधिकांश मामलों में रिजर्व उत्तरदायित्व अवधि 5 और 3 वर्ष से 2 वर्ष कम हो जाएगी।

(2) रिजर्व उत्तरदायित्व के दौरान पुनश्चर्या प्रशिक्षण जो भूतपूर्व कार्मिकों को उबानेवाला था, क्योंकि यह उनके मुक्ति-उपरान्त रोजगार में बाधा पहुंचाता था, को समाप्त कर दिया गया है।

(3) रिजर्व वालों की अधितकम पेंशन और 45 रुपए प्रतिमास की संबद्ध परिलब्धियों की तुलना की जाए तो सक्रिय सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् समनुरूप परिलब्धियां भविष्य में न्यूनतम 91 रुपए प्रति मास होंगी। सैनिक अब मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के भी पात्र होंगे।

प्रसंगवश, रिजर्व वालों के लिए उपर्युक्त हितों के अतिरिक्त, सेना कार्मिकों की सक्रिय सेवा भी अधिकांश मामलों में 10 वर्ष और 15 वर्ष से क्रमशः 15 वर्ष और 18 वर्ष बढ़ा दी गई है।

Shri Shiv Kumar Shastri : Sir, these improvements are need praise-worthy. While these improvements be made in all the wings of the Army and when will these be effected ? Please also let me know the number of persons likely to be benefited thereby.

श्री जे० बी० पटनायक : यह 1 फरवरी, 1976 से प्रभावी हो गये हैं। रिजर्व उत्तरदायित्व सभी सैनिकों के लिये अनिवार्य है।

ताप बिजली घरों के लिए 500 मेगावाट के सैट

*430. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित ताप बिजली घरों के लिए 500 मेगावाट के सैट प्रयोग में लाने का अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) क्या ये सैट देश में ही बनाये जाएंगे।

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) यह प्रस्ताव है कि ताप-विद्युत केन्द्रों में 210 मेगावाट सेटों के समुपयोजन के बाद 500 मेगावाट की उच्च क्षमता वाले सेटों का प्रयोग किया जाए।

(ख) 500 मेगावाट सेटों का निर्माण देश में ही करने की दृष्टि से तकनीकी सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

श्री डी० डी० देसाई : 20-सूत्री कार्यक्रम में चार बड़े ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने की व्यवस्था की गई हैं। विभाग इन केन्द्रों को कब तक चालू कर सकेगा, इनका डिजाइन क्या होगा, संयंत्र के रख-रखाव के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का क्या कार्यक्रम होगा और निर्माण एककों का प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या होगा ? इन बातों की ओर कब तक ध्यान दिया जा सकेगा विशेषकर जब कि विश्व में 1000 किलोवाट क्षमता वाले सेट तैयार किये जा रहे हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह सच है कि विश्व में बहुत बड़े-बड़े सेट तैयार किये जा रहे हैं किन्तु भारत में हम अपना पहला 200 मेगावाट क्षमता वाला सेट इस वर्ष में तैयार कर रहे हैं। पहले हमें 200 मेगावाट क्षमता वाले सेट के कार्यचालन, रखरखाव और निर्माण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। भारत में 200 मेगावाट क्षमता वाला पहला सेट शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर देगा। इसके बाद वे 500 मेगावाट क्षमता वाले सेट को तैयार करने की बात सोचेंगे। इसमें कुछ समय लगेगा। सिंगरौली और कोरबा में 200 मेगावाट क्षमता वाले सेट होंगे और बाकी दो 500 मेगावाट क्षमता वाले सेट होंगे। कुल क्षमता लगभग 1200 मेगावाट होगी।

श्री डी० डी० देसाई : हमारे उद्योग की अर्थव्यवस्था विद्युत की लागत पर निर्भर करती है। प्रतिष्ठापन और कार्यचालन की लागत सेटों के आकार के अनुपात में है। क्या माननीय मंत्री यह देखेंगे कि विद्युत संबन्धी जो समस्यायें पिछले तीन या चार साल से हमारे सामने हैं वे दूर हो जायें और ऊंची लागत वाली अर्थव्यवस्था, जिसको हमने रोक दिया है, फिर न उभरने पाये और बिजली को सस्ती दरों पर उपलब्ध करा कर इसमें कमी की जाये ? इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या मंत्री महोदय 500 मेगावाट क्षमता वाले सेटों का निर्माण आरम्भ नहीं करेंगे, जिसके लिये हमने निर्माण संयंत्र प्रतिष्ठापित कर दिये हैं ? इस कार्यक्रम को आरम्भ करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। हमें यह कार्य गंभीरतापूर्वक शीघ्र आरम्भ करना होगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह कहना ठीक नहीं है कि हम सीधे 500 मेगावाट क्षमता वाले सेट तैयार कर सकते हैं । इसके लिये हमें तकनीकी जानकारी के लिये करार करने होंगे। वार्ता जारी है और मैं आशा करता हूं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो यह वार्ता कर रहा है, शीघ्र ही इस संबन्ध में अन्तिम निर्णय कर सकेगा। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि हम 500 मेगावाट क्षमता वाले सेट तैयार कर सकते हैं ।

दूसरे, मैं मानता हूं कि बड़े-बड़े सेटों के आकार संबन्धी बातें हैं। यदि हम उनके कार्यचालन और रखरखाव की ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं कर सकते तो ये सेट कम उपलब्ध होंगे और यह उनके आकार संबन्धी बातों के विरुद्ध होगा । अतः हमें आकार संबन्धी बातें ही नहीं बल्कि संयंत्र की उपलब्धता को भी ध्यान में रखना होगा ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि हमारे देश में 500 मेगावाट क्षमता वाले विद्युत-ताप संयंत्रों के संबन्ध में तकनीकी विशेषज्ञों और अन्य लोगों ने काफी विवाद खड़ा किया है और यदि हां तो क्या सरकार इस संबन्ध में पुनर्विचार करेगी ? जैसा मंत्री महोदय ने बताया, 200 मेगावाट क्षमता वाले सेटों के मामले में पूरी तरह सक्षम होने के बाद ही हमें 500 मेगावाट क्षमता वाले सेटों के बारे में सोचना चाहिये। तो क्या मंत्री महोदय ने आंध्र प्रदेश में बड़े विद्युत-ताप केन्द्र स्थापित करने के लिये अन्तिम निर्णय ले लिया है क्योंकि वहां कोयला और अन्य कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : विशेषज्ञों में ऐसा कोई विवाद नहीं है । डा० सेठना ने एक वक्तव्य दिया था। उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि देश में 500 मेगावाट क्षमता वाले सेट ऐसे समय आरम्भ किये जायें जब देश में उत्पादन-क्षमता बढ़ सके, यातायात सुधर सके, निर्माण क्षमता मजबूत हो सके और कार्यचालन और रखरखाव की क्षमता उतनी बढ़ सके जितनी 300 मेगावाट सेट के लिये आवश्यक है। इसमें कोई मतभेद नहीं है । 1971 से विभिन्न गोष्ठियां हुई हैं और समितियां बैठी हैं जिन्होंने इस प्रश्न पर विचार किया है और सभी की यह राय है कि हमें 500 मेगावाट क्षमता वाले सेट को 200 मेगावाट क्षमता वाले सेट के बाद तैयार करना चाहिये। विश्व बैंक को जो दो परियोजनायें दी गई हैं वे आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु से हैं और उनके बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

कम वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिवारों को कटाई-सिलाई का प्रशिक्षण

*432. **श्री राम प्रकाश : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिवारों को सहायता देने के लिये उन्हें कटाई-सिलाई का प्रशिक्षण देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिवारों को कटाई, सिलाई तथा कशीदाकारी में प्रशिक्षण देने के लिए सरकार पहले ही एक योजना चला रही है । योजना 1957 में प्रारम्भ की गई थी और गृह कल्याण केन्द्र के माध्यम से चलाई जा रही है जो कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कर्मचारी कल्याण संगठन का एक स्कन्ध है । दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा छः अन्य स्थानों पर स्थित 55 केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता

है । श्रेणी 4 के कर्मचारियों के परिवारों से 3.00 रुपये प्रतिमास तथा अन्यों से 6.00 रुपये प्रतिमास की नाममात्र फीस ली जाती है । योजना का उद्देश्य इन परिवारों को अपने अवकाश के समय का उपयोग लाभ के कामों में करने में सहायता देना है तथा उन्हें इस योग्य बनाना है कि वे प्रशिक्षण से प्राप्त कुशलता से अपनी पारिवारिक आय में सहायता पहुंचा सकें।

श्री राम प्रकाश : मंत्री महोदय ने बताया है कि दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा अन्य स्थानों पर स्थित 55 केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है । क्या इसमें हरियाणा भी शामिल है या नहीं ?

Shri Ram Parkash : May I know if any of the Centres is situated in Haryana also ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैंने अपने विवरण में संशोधन किया है । कुल छः स्थान ही है जिनमें दिल्ली, नई दिल्ली, मद्रास, बम्बई, देहरादून, नागपुर और जयपुर आते हैं। हरियाणा इनमें नहीं है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार के केन्द्र वहीं खोले जाते हैं जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के क्वार्टर हों और वह भी काफी अधिक संख्या में ताकि उनसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिवार लाभान्वित हो सकें ।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir, this question was addressed to the Prime Minister. The number of Central Government Employees in Bihar is less as compared to the number of total Employees all over India. As the Prime Minister is present in the House, I would like to know what is the thinking of Government in this regard because the population of Bihar is 6 crores of which that of North Bihar is 3 crores ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : इस प्रकार के केन्द्र वहीं खोले जाते हैं जहां कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के क्वार्टर काफी संख्या में हों ताकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिवारों द्वारा उन का लाभ उठाया जा सके ।

Shri Bibhuti Mishra : My question has not been replied to. I wanted to know from the Prime Minister as to what is being done with regard to the Central Government Employees in North Bihar whose number is quite small ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : हम इस पर विचार करेंगे ।

Shri Ram Parkash : I belong to Haryana and Haryana has been enjoying the favours of Prime Minister. May I request her to do one more favour to Haryana.

श्री एफ० एच० मोहसिन : हम इस पर भी विचार करेंगे ।

अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए राज्यों की योजनाएं

*433. **श्री के० मालन्ना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्यों ने अनुसूचित जनजातियों के गहन विकास के लिए योजनाएं बनाई हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रहने वाले अनुसूचित जनजातियों को भी इनके अन्तर्गत लाया गया है ; और

(ग) क्या इन योजनाओं पर कार्य आरम्भ हो गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सोलह राज्यों ने आदिवासी विकास के लिए उप-योजनाएं तैयार की हैं। ये राज्य आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, है।

केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं ।

(ख) अनुसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी जमाव वाले सभी क्षेत्र इन उप-योजनाओं के अन्तर्गत आ जाते हैं ।

(ग) उप-योजनाओं को योजना आयोग द्वारा शीघ्र अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है । परन्तु उप-योजना क्षेत्र में, जिसके अन्तर्गत अभ्यान्तर आर्थिक कार्यक्रम आते हैं, अग्रिम कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी गई है ।

श्री के० मालन्ना : लगता है कि उत्तर परस्पर विरोधी है । प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में यह बताया गया है कि 16 राज्यों द्वारा आदिवासी विकास के लिए उप-योजनायें तैयार की गई हैं और उन 16 राज्यों के भी नाम दिये गये हैं, जबकि प्रश्न के (ग) भाग में कहा गया है कि उप-योजनाओं के योजना आयोग द्वारा शीघ्र अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है । मैं मंत्री महोदय से इन परस्पर विरोधी उत्तरों के संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों की क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर-परस्पर विरोधी नहीं है ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : इनमें कुछ भी परस्पर विरोधी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय द्वारा यही कहा गया है कि उप-योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बना दी गई हैं तथा उन्हें योजना आयोग द्वारा शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। इसमें परस्पर-विरोधी तो कुछ भी नहीं है। आप अगर कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री के० मालन्ना : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उप-योजनाओं की मोटी रूपरेखा क्या है और ऐसे क्षेत्रों में क्या कार्यक्रम आरम्भ किये जा रहे हैं जहां आदिवासी लोगों की आबादी 50 प्रतिशत से कम है ? ऐसे क्षेत्रों में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : आदिवासियों के विकास के लिए बनाई गई उप-योजनाओं में आदिवासियों की समस्याओं को समग्र रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा उनके उद्देश्यों तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों को दर्शाया गया है । उप-योजना में वास्तविक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है तथा वित्त-परिव्यय का उल्लेख भी किया गया है । इसके साथ ही उसमें आदिवासियों के विकास के लिए बनाये गये नये कार्यक्रमों की क्रियान्विति से अपेक्षित विधायी तथा प्रशासनिक ढांचे का उल्लेख भी किया गया है । उप-योजना में क्षेत्र के पूर्ण विकास का चित्रण भी किया गया है । इसके साथ ही इनमें राज्य सरकारों की सभी गतिविधियों, केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं, वित्तीय तथा ऋण संस्थानों की गतिविधियों तथा केन्द्रीय सरकार की विशेष सहायता को भी शामिल किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दास मुंशी प्रश्न संख्या 434

श्री भोगेन्द्र झा : श्रीमान जी प्रश्न संख्या 434 और 439 एक ही विषय से सम्बद्ध है । मेरा निवेदन है कि इन दोनों को एक साथ ले लिया जाये। इन्हें इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ देने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न संख्या 439 भी वही है ?

गृह मंत्री (श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी) : नहीं श्रीमान जी, यह उसी तरह का प्रश्न तो है परन्तु बिल्कुल वैसा प्रश्न नहीं है ।

श्री भोगेन्द्र झा : दोनों प्रश्न एक से हैं ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं दोनों ही प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आप दोनों का उत्तर एक साथ ही दीजिए।

विभिन्न संगठनों के साथ सी० आई० ए० के संबंध

*434. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस (डब्ल्यू० यू०एस०), इंडियन एसेम्बली आफ यूथ (आई०ए०वाई०), मोरल रिआर्मामेंट एसोसिएशन (एम०आर०ए०) और प्रजापति ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी महाविद्यालय आफ माउंट आबू जैसे कुछ अन्तराष्ट्रीय आधार पर संबद्ध संगठनों के क्रियाकलापों का पता है।

(ख) यदि हां तो, क्या यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश संगठनों को विदेशी सहायता मिली है और कुछ संगठन सी०आई०ए० के संगठन माने जाते हैं; और

(ग) सरकार का ऐसे संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) तथा (ख) सरकार को इन संगठनों के कार्य संचालन और विदेशी स्रोतों से उनके द्वारा प्राप्त की जा रही आर्थिक सहायता की जानकारी है । किन्तु इस बात की कोई विशिष्ट सूचना नहीं है कि इनमें से कुछ संगठन इस देश में सी०आई०ए० के संगठनों के रूप में कार्य करते हैं ।

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले में आवश्यक सतर्कता बरती जाती है । विदेशी योगदान (विनियम) विधेयक, जो हाल ही में इस सदन द्वारा पारित किया गया है, के उपबन्ध इस संबन्ध में सहायक सिद्ध होंगे।

धर्मार्थ सोसायटी द्वारा विदेशों से प्राप्त की गई धनराशि

*439. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री 10 मार्च, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जब्त किये गये दस्तावेजों और लेखा-पुस्तकों, आदि की जांच तथा विशिष्ट स्रोतों, धनराशि प्राप्त होने और उसके उपयोग के तरीकों की जांच इस बीच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या निष्कर्ष निकले तथा क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या इस संबन्ध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो वे लोग कौन हैं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) तथा (ख) अभी जांच की जा रही है।

(ग) इस संबन्ध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मैं आपकी जानकारी, के लिए यह भी बता दूं कि सरकारी संसाधनों द्वारा जहां तक ए०वी०ए० आर०डी० को चंदा आदि देने का सम्बद्ध है, इसे अभी स्थगित कर दिया गया है ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मुझे गृहमंत्री जी का उत्तर सुनकर हैरानी हुई है। 1967 में इस सदन में हुई एक चर्चा के दौरान मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया था कि इन संगठनों को सी०आई०ए० के संसाधनों से धन मिल रहा है । 28-2-73 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1225 के उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री ने यह स्वीकार किया था कि इंडियन एसेम्बली आफ यूथ अप्रत्यक्ष रूप से सी०आई०ए० से धनराशि प्राप्त कर रहा है और एशिया फाउनडेशन को 1968 में समाप्त कर दिया गया था। मैंने विशेष रूप से चार संगठनों के नाम दिये हैं और मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनमें से किन संगठनों को सी०आई०ए० से सहायता प्राप्त है तथा किन संगठनों को सी०आई०ए० से प्रत्यक्ष सहायता नहीं मिल रही है ? यदि नहीं, तो इनमें से कौन-कौन से संगठन देश में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लगे हुये हैं और यदि हां, तो इन संगठनों पर आनन्दमार्ग की तरह ही प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगा दिया जाता ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : अमरीका के समाचारपत्रों में 1967 में पहली बार यह समाचार छापा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस (डब्ल्यू०यू०एस०) एक ऐसा संगठन है जिसे सी०आई०ए० से धन मिलता है । जहां तक इंडियन एसेम्बली आफ यूथ (तथा इससे सम्बद्ध संस्था इंडियन एसेम्बली आफ यूथ) का संबन्ध है, इनके बारे में अमरीकी समाचार पत्रों में यह छापा था कि इसी संस्था के रास्ते से ही सी० आई०ए० अपना धन भेजता है वहां तक मोरल रिआर्मामेंट एसोसिएशन का सम्बद्ध है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसी प्रकार प्रजापति ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी तथा महाविद्यालय, मांउट आबू के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं । जब यह संगठन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ही लगे हुये हैं तो उन पर आनन्द मार्ग की तरह प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगा दिया जाता ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है । आप यह प्रश्न किसी और माध्यम से पूछ सकते हैं । (व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ऊर्जा अध्ययन संस्थान की स्थापना

*423. **श्री वरके जार्ज :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक ऊर्जा अध्ययन संस्थान स्थापित करने का है ;

(ख) क्या सरकार ने ऊर्जा संबन्धी एक समेकित राष्ट्रीय योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) ईधन नीति समिति ने मई, 1972 की अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में ऊर्जा अध्ययन संस्थान की स्थापना की सिफारिश की थी। किन्तु, इस समिति ने अपनी अंतिम

रिपोर्ट में ऊर्जा बोर्ड के गठन की सिफारिश की है और यह कहा है कि यदि उक्त ऊर्जा बोर्ड का गठन किया जाए तो प्रस्तावित ऊर्जा अध्ययन संस्थान के कार्य इस बोर्ड को सौंपे जा सकते हैं। सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

(ख) जी, नहीं। ऊर्जा संबन्धी समेकित राष्ट्रीय योजना तैयार करने के प्रश्न पर समूची ऊर्जा नीति बन जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है। सरकार इस नीति पर विचार कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में ताप बिजली घर की स्थापना

*427. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में परमाणु अथवा ताप बिजली घर की स्थापना हेतु अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) मंगलौर ताप विद्युत केन्द्र की परियोजना रिपोर्ट कर्नाटक सरकार से 6 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हुई थी ;

इस राज्य में न्यूक्लीयर विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए अभी तक कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल में उद्योगों के लिए आशय पत्र जारी करना

*429. श्री ए० के० गोपालन : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उद्योग स्थापित करने के लिए वर्ष 1975 में कुल कितने आशय पत्र जारी किये गये ; और

(ख) उन उद्योगों के क्या नाम हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) केरल राज्य में नए उपक्रम स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन 1975 में 25 आशयपत्र जारी किए गए हैं। ये धातुकर्मी उद्योगों, विद्युत उपकरणों, दूर संचार, रसायन, वस्त्र, कागज और लुगदी, खाद्य परिष्करण उद्योगों और रबर की वस्तुओं के संबन्ध में हैं।

उत्पादित ऊर्जा की प्रति यूनिट तुलनात्मक लागत

*431. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तापीय बिजली, पन बिजली तथा परमाणु बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पादित ऊर्जा की प्रति यूनिट तुलनात्मक लागत क्या है ; और

(ख) इन तीन श्रेणियों की ऊर्जा की वह प्रति यूनिट तुलनात्मक दर क्या है जिस पर यह उपलब्ध की जा सकती है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) बिजली उत्पादन की लागत अनेक परिवर्तनशील उपादानों पर निर्भर है। इनके कारण यह व्यावहारिक नहीं होता कि लागत के इस प्रकार के आंकड़े

निर्धारित किए जाएं जो सर्वत्र ही ठीक उतरें। इसी प्रकार, सप्लाई दरों में भी अत्यधिक भिन्नता न केवल उत्पादन की लागत के अनुसार होती है बल्कि अन्य दूसरे कारणों से भी यह भिन्नता होती है। पारेषण और वितरण की दूरी और लागत भी इन कारणों में शामिल है।

भारत-सोवियत संयुक्त उपक्रम

*436. **श्री शंकर राव सांवत :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारत-सोवियत संयुक्त उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनकी स्वीकृति योजना आयोग द्वारा दे दी गई है, अथवा जिनकी स्वीकृति अभी दी जानी है ; और

(ख) ये उपक्रम कहां-कहां स्थित होंगे तथा प्रत्येक उपक्रम में दोनों देशों का कितना-कितना हिस्सा होगा तथा प्रत्येक का उत्पादन कितना होगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) सोवियत सहयोग से भारत में स्थापित की जा रही निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है तथा उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है :--

(1) बोकारो इस्पात संयंत्र की इस्पात बनाने की क्षमता को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 40 लाख टन तक करना,

(2) भिलाई इस्पात संयंत्र की इस्पात बनाने की क्षमता को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 40 लाख टन तक करना,

(3) मथुरा तेल शोधक कारखाने में प्रतिवर्ष 60 लाख टन तक तेलशोधन क्षमता का निर्माण करना।

(4) दम दम टालीगंज रैपिड ट्रांजिट लाइन।

अन्य परियोजनाएं जैसे मध्य प्रदेश में मालन्जखंड कापर काम्पलेक्स, सरमुजा अल्यूमीनियम संयंत्र, इम्पो स्कैटर लिंक योजना आयोग के विचाराधीन है।

पिछड़े क्षेत्रों में भारी उद्योग

*437. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में भारी उद्योगों की स्थापना करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्य के लिए कौन-कौन से क्षेत्र चुने गये हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाजार की स्थिति और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा

*438. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में खरीदारी बाजार में स्थिरता लाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है;

(ख) क्या सरकार ऐसा विक्रय बाजार पुनः पैदा न होने देने के उपायों पर भी विचार कर रही है जिसमें पहले की भांति उद्योग तथा मुनाफाखोर उपभोक्ताओं का शोषण न कर सकें ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) व (ग) जिन उपायों को करने का विचार है वे वस्तुतः वैसे ही है जैसे 1975-76 में किए गए थे, अर्थात् आम खपत की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना, ढुलाई की बाधाओं को दूर करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना तथा उसे सरल बनाना, जमाखोरी रोकने के उपाय लागू करना, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उनकी सुलभता को मोनिटर करना तथा उपभोक्ता सहकारी कार्यकलापों को मजबूत करना। हाल के बजट में घोषित की गई राहतों द्वारा तथा उद्योगों और व्यापारियों से बातचीत करके इन उपायों को और पुष्ट किया जा रहा है, ताकि उपभोक्ता मुखी उत्पादन तथा वितरण सुनिश्चित किया जा सके ।

पांचवीं योजना में सरकारी क्षेत्र के एककों की स्थापना और विस्तार

*440. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से एककों का विस्तार करने का विचार है ; और

(ख) पांचवीं योजनावधि में सरकारी क्षेत्र में कौन-कौन से नये भारी उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र की जिन यूनिटों का विस्तार करने का प्रस्ताव है और सरकारी क्षेत्र में जिन भारी उद्योगों को स्थापित करने का प्रस्ताव है, उनके नाम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पत्र, भाग-2 के संबन्धित अध्यायों में बताए गए हैं। यह दस्तावेज संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में शामिल की गई प्रमुख विस्तार/नई परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरणों में दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-10645/76]

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा मध्य प्रदेश में अग्रिम खनिज विकास प्रयोगशाला की स्थापना

2106. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का विचार मध्य प्रदेश में एक अग्रिम खनिज विकास प्रयोगशाला स्थापित करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मध्यप्रदेश में एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला/काम्पलैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। खनिज विकास संबन्धी कार्य मध्य प्रदेश में प्रयोगशाला कार्यक्रम के एक भाग का रूप ले सकता है ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति

2107. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी संक्षिप्त रूप-रेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) प्रत्येक वर्ष प्रकाशित वार्षिक योजना के दस्तावेज में पिछले वर्ष में योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का मूल्यांकन भी दिया जाता है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में हुई प्रगति की इस प्रकार की समीक्षा 1975-76 की वार्षिक योजना के दस्तावेज में दी गई थी और यह दस्तावेज संसद् में प्रस्तुत किया जा चुका है ।

Merger of News Agencies

2109. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the progress made by Samachar after the merger of four news agencies;

(b) whether enhanced facilities are being provided to the employees after the merger and if so, the nature thereof; and

(c) the procedure followed in bringing about coordination among the employees of four agencies after the merger to ensure smooth functioning of the Samachar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) to (c) The 'Samachar' is a non-governmental and autonomous organisation registered under the Societies Act. It is, however, understood that the 'Samachar' has since taken over the operational functions of the four wire service news agencies and is taking further steps for the complete integration of the four news agencies and their employees.

नवगांव तथा कछार (आसाम) में कागज परियोजनायें

2110. **श्री नुरुल हुडा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के नवगांव तथा कछार जिलों में स्थापित की जाने वाली दो कागज निर्माण परियोजनाओं के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इन दो परियोजनाओं के लिये वित्त के स्रोत क्या हैं ;

(ग) मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद और निर्माण कार्य का कार्यक्रम क्या है और उत्पादन आरम्भ करने के लिये किस लक्षित तारीख का प्रस्ताव किया गया है ; और

(घ) इस मामले में क्या-क्या बाधायें सामने आ रही हैं ?

उद्योग/और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने नौगांव और आसाम के कछार जिले में एकीकृत लुगदी और कागज मिलें स्थापित करने के लिये क्रमशः 175 एकड़ और 760 एकड़ भूमि प्राप्त कर ली है। वन साधन स्रोतों का एक निवेश-पूर्व सर्वेक्षण कर लिया गया है और यह सिद्ध हो गया है कि स्थायी आधार पर पर्याप्त कच्चा माल

उपलब्ध है । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भी तैयार कर लिये गये हैं और पर्याप्त भूमि परियोजना के लिये ले ली गयी है । हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन उपयुक्त स्थान का चुनाव कर चुका है और निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की तैयारी में है। अन्य अवस्थापना संबन्धी सुविधाएं जैसे, जल संभरण और संचार भी उपलब्ध हैं। परियोजना के प्रारम्भिक कार्य की देख रेख करने के लिए स्थापना स्थल पर कार्यालय खोल दिया गया है ।

(ख) से (घ) पांचवीं योजना में इन दोनों परियोजनाओं के लिये 102 करोड़ रुपये के प्रावधान की स्वीकृति दी गयी थी। 1976-77 में इन परियोजनाओं के लिये 5 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इन दोनों परियोजनाओं में निवेश के बारे में अंतिम निर्णय के लिये कार्य किया जा रहा है । उपकरण प्राप्त करने और निर्माण कार्य का कार्यक्रम तथा परियोजना के चालू करने की तारीख परियोजनाओं के बारे में निवेश का निर्णय लेने के उपरान्त की जायेगी।

इण्डियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा सिंथी जिला (मध्य प्रदेश) में एक कारखाने की स्थापना

2111. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड को मध्य प्रदेश के पिछड़े जिले सिंथी में एक कारखाना स्थापित करने के लिये एक आशय पत्र अथवा लायसेंस जारी किया गया था ;

(ख) क्या अब उस स्थान को बदल कर इस कारखाने की स्थापना मध्य प्रदेश में सतना के आस-पास एक विकसित स्थान पर करने की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त तब्दीली का एकाधिकार आयोग द्वारा जांच कर ली गई है तथा उसे मंजूरी दे दी गई है ; और

(घ) इस कारखाने पर काम संभवतः कब तक आरम्भ हो जायेगा और इसमें कब तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) सरकार इंण्डियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, से मध्य भारत अथवा पश्चिम भारत के पिछड़े क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री बनाने वाला एक नया एकक स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है । इसे एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को संवीक्षा तथा सिफारिशें करने हेतु भेज दिया गया है ।

Hostile Nagas and Kukis who have surrendered in Manipur

2112. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether hostile Nagas and Kukis have surrendered in Manipur in large number; if so, the total number of them who surrendered and whether they have surrendered only after the proclamation of Emergency;

(b) the number of the remaining hostile elements who have not yet surrendered, as also the action taken against them so far;

(c) whether Government had laid down certain terms and conditions for surrender by hostile Nagas and Kukis and if so, the broad outlines thereof; and

(d) whether Government have sanctioned a sum of Rs. 50 lakhs for the rehabilitation of those who have surrendered and if so, the names of the areas where they are proposed to be rehabilitated and the number of them to be rehabilitated there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Naga and Mizo-kuki underground have been coming overground voluntarily in Manipur from time to time. According to information received from the Govt. of Manipur, 947 Nagas and 179 Mizo-Kuki Underground came overground since 1965. Out of these, 109 Nagas and 55 Mizo-kukis came overground after the proclamation of the emergency in June, 1975.

(b) and (c) No authentic figures are available regarding numbers of those who still remain underground.

Utmost vigilance is kept on the activities of the underground and adequate security arrangements are made to foil their attempt to create law and order problem. The Govt. of Manipur has issued an appeal urging the Nagas and the Mizos-Kukis underground to come overground, live peacefully and take part in the developmental activities. The appeal also mentions that if they come overground, facilities would be given for their rehabilitation. The quantum of assistance depends on merits of each case.

(d) During the year 1975-76, the Central Government placed a sum of Rs. 5 lakhs at the disposal of the Govt. of Manipur for the rehabilitation of ex-underground. No specific areas are earmarked for their rehabilitation as most of them prefer to settle in their own villages and join the mainstream of community life. Those who are found suitable are also absorbed in government jobs. Rehabilitation assistance is also given in cash and kind.

पत्रकारों को पेंशन

2113. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार के वृद्ध पत्रकारों की पेंशन देने के निर्णय की तरह एक केन्द्रीय विधान बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता की जांच

2114.**श्री समर गुह**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व शांति परिषद (वर्ल्ड पीस काउन्सेल) अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन (एफ्रो-एशियन कान्फ्रेंस) और फ्रेंडशिप एसोशियेशनों के नाम से विख्यात संगठनों द्वारा प्राप्त की गई विदेशी सहायता के संबन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी जांच अथवा जांचों के क्या निष्कर्ष निकले ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय सांख्यिकीय सेवा का एकीकरण

2115. **श्री वसन्त साठे**: क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय सांख्यिकीय सेवा के एकीकरण का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री ओम मेहता) : ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए जाली प्रमाण-पत्र

2116. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार**: क्या **रक्षा** मंत्री 22 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3244 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल-सेना, नौ सेना तथा वायु-सेना में भर्ती के लिये शैक्षिक अर्हताओं तथा/अथवा जन्म तिथि के जाली प्रमाण-पत्र पेश करके धोखा देने के मामले, संम्बन्धित व्यक्तियों के सशस्त्र सेनाओं से सेवा निवृत्त होने के बाद सरकार की जानकारी में आये हैं ;

(ख) क्या ऐसे सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है । यह एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Allotment of Newsprint to Dailies in Madhya Pradesh and Rajasthan in 1975-76

2117. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the quantity of newsprint allotted to the Dailies in Madhya Pradesh and Rajasthan in 1975-76;

(b) whether complaints in regard to misuse of newsprint quota by certain dailies had been received; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) During 1975-76, daily newspapers in Rajasthan have been allotted 1485.48 tonnes of newsprint and those in Madhya Pradesh 3913.30 tonnes.

(b) No complaint about misutilization of newsprint has been received in respect of such allotment.

(c) Does not arise.

साप्ताहिक रोजगार 'बुलेटिन'

2118. **श्री माऊ साहेब घामन कर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभागों तथा सरकारी उद्यमों में रोजगार अवसरों के बारे में प्रस्तावित साप्ताहिक 'बुलेटिन' से देश में अनेकों शिक्षित बेरोजगारों को विशेषकर कुशल तथा तकनीकी क्षेत्रों में किस सीमा तक रोजगार प्रस्ताव तथा सहायता प्राप्त होने की संभावना है ;

(ख) क्या बुलेटिन में गैर-सरकारी क्षेत्र के रोजगार अवसरों का भी उल्लेख किया जायेगा जहां रोजगार के बहुत अधिक अवसर हैं ; और

(ग) रिक्त स्थानों के विज्ञापन तथा रिक्त स्थानों के भरे जाने के बीच के समय के अन्तराल को, जो कभी-कभी एक वर्ष तक होता है, समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) फिलहाल ऐसा कोई समाचारपत्र या पत्रिका नहीं है जिसमें सभी क्षेत्रों के रिक्त स्थान विज्ञापित होते हों। 'रोजगार समाचार' और 'इम्पलायमेंट न्यूज' केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों स्वायत्तशासी निकायों और अन्य एजेंसियों तथा गैर-सरकारी उद्यमों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों (तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों) की सूचना एक ही स्थान पर देकर इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। इस पत्रिका को व्यापार चैनलों के माध्यम से देश के सभी भागों में बेचने की व्यवस्था की गई है, ताकि सूचना उन सभी तक पहुंच जाए जो नौकरी की तलाश में हों या अपना भविष्य सुधारने की कोशिश में हों। इस पत्र की कीमत (पच्चीस पैसे) नाम मात्र है और अधिकांश समाचारपत्रों से कम है।

(ख) जी, हां।

(ग) नियोक्ताओं द्वारा सदैव यह प्रयास किया जाता है कि रिक्त स्थान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यथा शीघ्र भरे जायें। तथापि रिक्त स्थानों के विज्ञापन तथा उनके भरे जाने के बीच कुछ समयान्तर होना अपरिहार्य है क्योंकि इसमें उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन के लिए आवेदनपत्रों की छान-बीन, लिखित परीक्षाएं और या इन्टरव्यू लेना, आदि अन्तर्निहित हैं।

कोयला खानों का पुनर्गठन

2119. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की विद्यमान खानों का पुनर्गठन, आधुनिकीकरण तथा विस्तार करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं।

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) 'पांचवीं' योजना के दौरान कोयला खानों के पुनर्गठन, आधुनिकीकरण और विस्तार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(1) वर्तमान खानों से उत्पादन, जो चौथी योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 1973-74 में 780 लाख टन था, को वर्तमान क्षमता के पूरे उपयोग तथा विस्तार द्वारा बढ़ाकर लगभग 1150 लाख टन करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा, 200 लाख टन उत्पादन नई खानें खोलकर प्राप्त किया जाएगा।

(2) कोल इंण्डिया लि० ने छोटी इकाइयों को मिलाकर तथा युक्तिसंगत आधार पर खानों के ग्रुप बनाकर राष्ट्रीयकृत कोयला खानों का पुनर्गठन किया है।

(3) भूमिगत खानों के पुनर्गठन के अन्तर्गत वर्तमान आधारों का पूरा उपयोग कर वर्तमान खदानों के सतही विस्तार पर बल दिया जाएगा और इस प्रकार कोयला उत्पादन को वृद्धि पर बल

दिया जाएगा। 'ओपन कास्ट' खुदाई के अन्तर्गत उन्नत डिजाइन और उपकरणों को अपनाकर खानों के आकार को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा।

(4) अधिकतम खुदाई की योजना।

(5) उपयुक्त उपकरणों का उपयोग।

(6) जहां कहीं आवश्यक हो वहां कोयले का केन्द्रीय लदान।

बंगला देश के साथ सीमा समझौता

2120. **श्री प्रबोध चन्द्र**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगला देश के साथ हाल ही में कोई सीमा समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख) सीमा सुरक्षा बल तथा बंगला देश राइफल्स के महानिदेशकों के बीच 11 से 13 फरवरी, 1976 तक ढाका में हुई बैठक में निम्नलिखित समझौता हुआ था :--

(1) ऐसे सुझाव अथवा आक्षेप को अस्वीकार करते हुए कि भारतीय सीमा की ओर से मेमन सिंह सीमा पर कुछ बदमाश सक्रिय हैं, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने आश्वासन दिया कि सीमा पर शान्ति बनाये रखने के लिए भरसक प्रयत्न जारी रखें जायेंगे।

(2) अप्रैल, 1975 में कलकत्ता में हुए गृह मंत्रालयों के अधिकारियों के सम्मेलन में स्वीकृत सामान्य मार्गनिर्देशनों का दोनों देशों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए।

(3) सीमा सुरक्षा बल शिलांग के उप-महानिरीक्षक तथा बंगला देश राइफल्स के निदेशक का एक संयुक्त जांच-दल सभी तथा कथित सीमावर्ती घटनाओं की जांच करेगा और 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देगा।

(4) जैसा कि सामान्य मार्गनिर्देशनों में उल्लेख किया गया है दोनों देशों के सेक्टर कमांडरों तथा विंग कमांडरों के मध्य किंही सीमावर्ती घटनाओं से निपटने के लिये नियमित बैठकें होगीं।

(5) बंगला देश राइफल्स के महानिदेशक उन सभी गारो शरणार्थियों को वापस लेने के लिये सहमत हो गये थे जो सीमा पार कर भारत में आ गये थे और जो बंगला देश के राष्ट्रिक थे।

20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों के लिए नियतन

2121. **श्री रानेन सेन :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम लागू करने के लिए राज्यों के लिये राज्यवार कुल कितनी धनराशि नियत की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में जो स्कीमें शामिल की गई हैं, उनमें से केवल कुछ के लिए वित्तीय परिव्ययों की आवश्यकता है। ऐसे विषयों के लिए राज्य योजनाओं में 1976-77 के लिए की गई व्यवस्था का विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल०टी० 10646/76]। कुछ विषयों के लिए वित्तीय सहायता संस्थागत साधनों से उपलब्ध होगी। इस कार्यक्रम के कई विषयों के लिए तो मुख्य रूप से विधायी और प्रशासनिक कार्यवाई करने की ही आवश्यकता है और वित्तीय परिव्ययों की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय आय में कमी

2122. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय आय में वर्ष 1973-74 में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 1974-75 में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि के कारण, जैसा कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने सूचना दी है, राष्ट्रीय आय में कमी की प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां, 1 मार्च, 1976 को जारी किये गये अद्यतन अनुमानों के अनुसार, राष्ट्रीय आय में 1972-73 के मुकाबले में 1973-74 में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि और 1973-74 के मुकाबले में 1974-75 में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) 1974-75 में राष्ट्रीय आय में अत्यल्प वृद्धि होने का मुख्य कारण यह है कि जो खाद्यान्न का उत्पादन 1973-74 में 1046.6 लाख टन था, वह घट कर 1974-75 में 1010.6 लाख टन रह गया। इससे कृषि क्षेत्र के निवल घरेलू उत्पाद में 4.3 प्रतिशत की गिरावट आई। अन्य सभी क्षेत्रों में कुछ वृद्धि हुई, परन्तु कृषि क्षेत्र की कमी को वह किसी तरह से पूरा करने के लिए ही पर्याप्त थी।

नमक का निर्यात

2123. **श्री राजदेव सिंह** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नमक बनाने वाले देशों के नाम क्या हैं ; और

(ख) नमक का निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) संसार के अधिकांश देश नमक का उत्पादन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, सोवियत समाजवादी गणराज्य, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, भारत, जर्मनी संघीय गणराज्य, इटली, मेक्सिको, आस्ट्रिया, रूमानिया, पोलैंड, नीदरलैंड तथा जापान प्रमुख नमक का उत्पादन करने वाले देश हैं।

(ख) भारत प्रमुख रूप से मालदीव, अफ्रीका, इंडोनेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, तोवान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, नेपाल, भूटान, मलयेशिया, थाइलैंड और बंगलादेश को नमक का निर्यात करता है।

Development of Adivasi and Tribal people in Rajasthan

2124. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Central Government are making any efforts for al-round development of Adivasi and tribal people in various parts of Rajasthan; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) The tribal development effort in Rajasthan can be broadly divided into two parts, *viz.*, (1) programmes for tribals living in areas of tribal concentration; and (2) programmes for dispersed tribals.

The programmes for dispersed tribals are covered by the State Plan schemes which include schemes for (1) education (2) economic development and (3) health, housing etc. The Government of Rajasthan have prepared a sub-plan for the areas of tribal concentration. It represents total developmental effort for these areas with special emphasis on the problem of the tribals. It comprises outlays from State Plan, Central and Centrally sponsored schemes, institutional finance and special central assistance for tribal sub-plans. The revised sub-plan is under consideration of the Planning Commission and is expected to be finalised shortly. Besides these programmes, a special programme is also under consideration for Saharias in Kota District under the scheme for primitive tribal communities.

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राज्यों में समितियों का गठन

2125. **श्री बी० वी० नायक :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों ने समितियां बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों का क्या स्वरूप है ; और

(ग) वे राज्य कौन से हैं जिन्होंने ऐसी समितियां नहीं बनाई हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग) बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए सभी राज्यों में समितियां बनाई जा चुकी हैं। आमतौर पर राज्यों में ये समितियां राज्य और जिला/ताल्लुक दोनों स्तरों पर बनाई हैं । कुछ राज्यों ने इस कार्यक्रम में शामिल कुछ खास विषयों के लिए अलग-अलग समितियां भी बनाई हैं।

आंध्र प्रदेश का वार्षिक योजना परिव्यय

2126. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74, 1974-75, 1975-76 में आंध्र प्रदेश का कुल योजना परिव्यय कितना था ; और

(ख) वर्ष 1976-77 के लिए कुल योजना परिव्यय कितना होगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश के लिए 1973-74, 1974-75, 1975-76 और 1976-77 की वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय इस प्रकार हैं :--

	(करोड़ रुपये)
1973-74 . .	71.25
1974-75 . . .	137.78
1975-76 . . .	175.14
1976-77 . . .	262.35

पिछड़े क्षेत्रों में राजसहायता का वितरण

2127. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े क्षेत्रों में राजसहायता के वितरण के लिए जिम्मेदार एजेंसियां कौन-कौन हैं और गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत अब तक कितनी धनराशि वितरित की गई ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : निम्नलिखित अभिकरण देश के पिछड़े क्षेत्रों को राज्य सहायता वितरण करते हैं।

केन्द्रीय संस्थान / राज्य	अभिकरण
1. केन्द्रीय संस्थान .	इण्डस्ट्रियल बैंक आफ इण्डिया, इण्डस्ट्रियल क्रैडिट एंड इन-वैस्टमेंट कार० आफ इण्डिया इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया ।
2. आन्ध्र प्रदेश	उद्योग निदेशक
3. असम	उद्योग निदेशक, असम, लघु उद्योग विकास निगम और असम फाइनैन्सियल कारपोरेशन
4. बिहार	उद्योग निदेशक ।
5. गुजरात	उद्योग निदेशक और गुजरात राज्य फाइनैन्सियल कारपोरेशन
6. हरियाणा	उद्योग निदेशक
7. हिमाचल प्रदेश	उद्योग निदेशक हि० प्र० फाइनैन्सियल कारपोरेशन
8. जम्मू और काश्मीर	जम्मू और काश्मीर वित्त निगम
9. कर्नाटक .	उद्योग निदेशक
10. केरल .	उद्योग निदेशक
11. मध्य प्रदेश . .	उद्योग निदेशक-मध्य प्रदेश वित्त निगम ।
12. महाराष्ट्र	उद्योग निदेशक-राज्य वित्त निगम, स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवैस्टमेंट कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र लि०
13. मणिपुर . . .	उद्योग निदेशक
14. मेघालय . . .	उद्योग निदेशक, असम वित्त निगम ।
15. नागालैंड . . .	उद्योग निदेशक
16. उड़ीसा . .	उद्योग निदेशक-उड़ीसा वित्त निगम ।
17. पंजाब . . .	उद्योग निदेशक
18. राजस्थान . . .	उद्योग निदेशक और राजस्थान वित्त निगम ।
19. तमिलनाडु . . .	स्टेट इण्डस्ट्रीज प्रमोशन कारपोरेशन आफ तमिलनाडु लि०, मद्रास ।

1	2
20. उत्तर प्रदेश . .	उद्योग निदेशक/प्रदेशीय औद्योगिक और विनियोजन निगम—उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश वित्त निगम
21. पं० बंगाल . . .	पं० बंगाल औद्योगिक निगम पं० बंगाल वित्त निगम ।
22. गोआ, दमन, दीव . .	उद्योग निदेशक
23. पाण्डिचेरी . .	पाण्डिचेरी इण्डस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एण्ड इनवैस्टमेंट कार० लि०, पाण्डिचेरी ।
24. अण्डमान और निकोबार .	उद्योग निदेशक और राज्य के वित्तीय संस्थान
25. अरुणाचल प्रदेश .	वही
26. दादर नागर हवेली . .	वही
27. त्रिपुरा	वही
28. मिजोरम . . .	वही
29. लक्षदीप, अमीनदीप और मिनीकाय	वही
30. सिक्किम . .	वही

पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित राज्य सहायता राशि का वितरण किया गया है :

रु० लाख में

राज्य सहायता	1973-74	1974-75	1975-76
केन्द्रीय प्रत्यक्ष अनुदान या राज्य सहायता योजना, 1971	58.90	400.27	600.00
परिवहन राज्य सहायता योजना . .	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा राज्य लघु उद्योग निगमों के कृत्य

2128. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने स्वयं को पूरी तरह से पुनर्वित्त पोषण संस्था में बदलने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) नये गठन के अन्तर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा राज्य लघु उद्योग निगमों के विशेष रूप से किराया-खरीद तथा इन ऋणों के पुनर्वित्त पोषण के सम्बन्ध में क्या कृत्य होंगे ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सिंधरान्ती और पेन्च क्षेत्रों में बड़े-बड़े तापीय बिजली घर

2129. **चौधरी नीति राज सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में कोयले के भारी निक्षेपों को देखते हुए, जो कि तापीय बिजलीघरों के लिए बहुत जरूरी है, सरकार का विचार विद्युत की कमी को दूर करने के लिए सिंधरान्ती तथा पेंच क्षेत्र में बड़े-बड़े तापीय बिजली घर स्थापित करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : पश्चिम क्षेत्र में पहले सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने के लिए प्रस्तावित स्थल मध्य प्रदेश में कोरबा है ।

Concessions to S.C. Students in Sainik Schools

2130. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have given any concessions to the children of Scheduled Castes for getting education in Sainik Schools; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) and (b) The information asked for in the question was given on the floor of the House in answer to Unstarred Question No. **5267** answered in the Lok Sabha on **29-3-1973**. The position then indicated still holds goods.

Facilities provided to Scheduled Caste and Scheduled Tribe students by Sainik Schools

5267. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state the facilities provided to the sons of the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Sainik Schools ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : Although admission to Sainik Schools is made strictly according to the order of merit, all Scheduled Caste/Scheduled Tribe boys who have qualified in the entrance examination are admitted irrespective of their position in the order of merit. In order to enable more Scheduled Caste and Scheduled Tribe boys to get admitted to Sainik Schools, it has been decided that from the current year those Scheduled Caste and Scheduled Tribe boys who fail by 7 marks in two subjects will be declared eligible for admission provided they pass in the aggregate.

The Scheduled Caste and Scheduled Tribe boys who are admitted to the Sainik Schools are also entitled to scholarships subject to conditions laid down regarding income limits etc. in the Scholarship Schemes of the Central and State Governments.

Use of Nude Pictures in Advertisements in Newspapers

2131. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether nude pictures which are erotic in nature are still used in advertisements in newspapers in the country; and

(b) if so, the action being taken by Government to check it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) and (b) Steps have been taken to discourage and prohibit the obscene publication in newspapers and journals. As a result there has been improvement. Now, any obscene publication through word, sign or visible representations is an offence under the Prevention of Publication of Objectionable Matter Act, 1976. Instructions have been issued to all concerned to take action under this Act against newspapers and journals continuing to indulge in obscene publication.

पश्चिम बंगाल में आर्थिक परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

2132. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में यद्यपि गत पांच वर्षों में प्रति व्यक्ति विकास पूंजी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथापि औसत राष्ट्रीय स्तर से कम है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य को कम से कम अखिल भारतीय स्तर तक पहुंचने में सहायता देने के लिए केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आगामी पांच वर्षों में पश्चिम बंगाल में आरम्भ की जाने वाली केन्द्रीय आर्थिक परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां। 1971 की जनगणना में जनसंख्या के बारे में आंकड़े दिए गए हैं उनके अनुसार, राज्य योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में जो प्रति व्यक्ति विकास निवेश 1972-73 में 20.26 रु० था वह बढ़कर 1976-77 में 52.37 रु० हो गया। यह वृद्धि लगभग 158 प्रतिशत है। इसी अवधि में, सभी राज्यों की योजनाओं में औसत प्रति व्यक्ति विकास निवेश 31.48 रु० से बढ़कर 65.57 रु० हो गया है। यह औसत वृद्धि लगभग 109 प्रतिशत आती है। इस प्रकार पश्चिम बंगाल में निवेश की यह वृद्धि दर सभी राज्यों के औसत की तुलना में काफी ज्यादा है।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार और संसाधनों की समस्त उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार सभी राज्य सरकारों को उनके विकास प्रयत्नों में अधिकतम संभव सहायता देने का सतत् प्रयास करती है।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाकी दो वर्षों में पश्चिम बंगाल में जो आर्थिक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी उनके बारे में संबन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी। छठी योजना की अवधि के पहले तीन वर्षों में शुरू की जाने वाली आर्थिक परियोजनाओं का निश्चय छठी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देते समय किया जाएगा।

सरकारी उच्च माध्यमिक सहशिक्षा स्कूल, बदरपुर, नई दिल्ली में चोरी

2133. **श्री अम्बेश :** क्या **गृह** मंत्री सरकारी उच्च माध्यमिक सहशिक्षा स्कूल, बदरपुर, नई दिल्ली में चोरी के बारे में 9 अप्रेल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5519 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबन्ध में की गई जांच-पड़ताल की रिपोर्ट क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : कालकाजी थाने में 2 मामले भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457/380 के अधीन एफ०आई०आर० सं० 867 दिनांक 28-10-1974 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 के अधीन एफ०आई०आर० संख्या 169 दिनांक 25-2-1975 दर्ज किये गये थे और लापता भेज दिए गए। परन्तु पुलिस ने पुनः 5-5-1975 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 के अधीन मामला सं० एफ० आई० आर० 169/75 की जांच पड़ताल शुरू की और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। 13 छत के पंखे बरामद किये गये।

न्यू केन्दू कोयला खान में दुर्घटनाएं

2134. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल से लगभग 15 किलो मीटर दूर न्यू केन्दू कोयला खान में एक और दुर्घटना हुई थी जब छत का एक भाग बैठ जाने से एक खनिक की मृत्यु हो गई और अनेक घायल हो गए ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० के अधीन न्यू केंडा कोयला खान में 20-2-76 को एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति मारा गया तथा दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। छत के एक भाग के विस्फोट द्वारा उड़ा देने और जगह को साफ कर देने के बाद लोडरों में कोयला लादने की अनुमति दे दी गई । इस कार्य के दौरान कोयले का एक ढेर छत से गिर गया, जिससे यह दुर्घटना हुई ।

उद्योगों एवं कृषि को बिजली की सप्लाई

2135. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों में गत दस मास में उद्योगों तथा कृषि को कितनी बिजली दी गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : जिस प्रकार की सूचना मांगी गई है वह विभिन्न राज्यों में राज्य बिजली बोर्डों के विभिन्न कार्यालयों एवं एककों में बिखरी रहती है । समूचे वित्त वर्ष के लिए यह सूचना वार्षिक आधार पर समेकित की जाती है । चूंकि इसमें सभी राज्यों से आंकड़े एकत्रित करने का कार्य निहित होता है, अतः वर्ष की समाप्ति के बाद उस वर्ष से संबन्धित आंकड़ों को समेकित करने में समय लग जाता है । वर्ष 1975-76 के बारे में सूचना कुछ समय बीत जाने पर उपलब्ध होगी। यह सूचना यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जनजातीय उद्धार कार्यक्रमों के लिये राज्य-वार आबंटन

2136. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 में जनजातीय उद्धार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(ख) वर्ष 1976-77 के लिये उक्त राशियों का, राज्य-वार कितना-कितना आवंटन किया गया ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) वर्ष 1975-76 के लिए राज्य-वार आवंटन अनुलग्नक में दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10647/76]**

(ख) वर्ष 1976-77 के लिए अस्थायी आवंटन इस प्रकार है :--

(रुपये लाखों में)

1. उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	4,000.00
2. राज्य क्षेत्र	1,500.00
3. केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	270.07
4. असम के लिए नियत अनुदान	13.33
जोड़	5,783.40

विभिन्न राज्यों के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता का अस्थायी आवंटन अनुलग्नक में दिया गया है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित तथा राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए राज्यवार आवंटनों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

आशय पत्रों का दिया जाना

2137. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कितने आशय पत्र जारी किये गये हैं ;

(ख) उनमें से कितने आशय पत्र नये उपक्रम के लिये हैं तथा कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये हैं; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने विचाराधीन पड़े औद्योगिक लाइसेंसों सम्बन्धी सभी आवेदन पत्रों पर निर्णय ले लिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के आंकड़े कैलेंडर वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं । 1975 के कैलेंडर वर्ष में 1962 तथा कैलेंडर वर्ष 1976 (जनवरी-मार्च तक) में 114 आशय-पत्र जारी किये गये थे ।

(ख) वर्ष 1975 में जारी किये गये आशय पत्रों में से 604 नये उपक्रमों के लिये तथा 80 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये जारी किये गये थे । इसी प्रकार कैलेंडर वर्ष 1976 (जनवरी-मार्च) में जारी किये गये आशय पत्रों में से 62 नये उपक्रमों तथा 8 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये हैं ।

(ग) जी हां । औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय को पहले के बकाया केवल 19 आवेदनों पर निर्णय लेना बाकी है ।

Provision for Rural Electrification for 1976-77

*2138. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether the provision made by Government for expenditure on electricity during 1976-77 is 31 per cent more than that of the last year and stress has been laid particularly on rural electrification;

(b) if so, the amount allocated for Bihar; and

(c) the number of new villages to be electrified in Bihar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) An outlay of Rs. 1453.40 crores has been provided in the annual plan for 1976-77 for power. This is 31.9% more than the outlay for the last year.

The above includes an outlay of Rs. 114.07 crores for rural electrification programme during 1976-77.

(b) An outlay of Rs. 11 crores has been provided in the annual plan for 1976-77 for rural electrification in Bihar as under :

Normal Development Programme of State	Rs. 3.00 crores
Minimum Needs Programme	Rs. 3.00 crores
Rural Electrification Corporation's Normal Programme .	Rs. 5.00 crores
	Rs. 11.00 crores

(c) The Bihar State Electricity Board has intimated a target to electrify 2435 villages during 1976-77.

Recruitment in Phoolpur Fertilizer Factory

2139. **Shri Nageshwar Dwivedi :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether recruitment of workers is being made in the fertilizer factory at Phoolpur;

(b) if so, the mode of recruitment adopted there; and

(c) the time by which the factory will go into production ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. C. George) : (a) The Phoolpur Factory is in the construction phase and recruitment of supervisory, technical and monitoring staff is presently taking place.

(b) Recruitment to senior levels is by public advertisement, for junior levels, recruitment is by public advertisement and by reference to local employment exchange.

(c) The Factory is expected to go into production in early 1979.

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

2140. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में कितनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं स्वीकृत और क्रियान्वित की गई हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की कुल 327.32 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की 829 ग्राम विद्युतीकरण योजनाएं स्वीकृत की हैं । ये योजनाएं प्रारम्भ किये जाने के बाद से पांच वर्ष तक की अवधि में चरणबद्ध रूप में पूरी की जानी है । इस प्रकार 1973-74, 1974-75 और 1975-76 के दौरान स्वीकृत की गई स्कीमों का निर्माण कार्य क्रमशः 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के अन्त तक पूरा होने की संभावना है ।

आदिवासी विकास सैल

2141. **श्री वसंत साठे :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में आदिवासी उप-योजनाओं के उचित आयोजन तथा क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से केन्द्र में कोई केन्द्रीय योजना क्रियान्वयन, संचालन तथा मूल्यांकन सैल की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) आदिवासी क्षेत्रों के लिये उप-योजनायें राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं और राज्य योजनाओं जैसी रूपरेखाओं पर गृह मंत्रालय तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जाती हैं ।

गृह मंत्रालय उप-योजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिये उत्तरदायी है । उपयोजना क्षेत्रों को कई एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में विभाजित किया गया है । राज्य सरकारें परियोजनायें अपनी योजना अथवा अनुसंधान यूनिटों के माध्यम से अथवा अन्य शैक्षिक या विशेषज्ञ संगठनों की सहायता से तैयार करती हैं ।

गृह मंत्रालय ने पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ओम मेहता की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समन्वय समिति का गठन किया है । केन्द्रीय समन्वय समिति ने परियोजनाओं की विस्तृत जांच तथा अनौपचारिक रूप से अनुमोदन करने के लिये एक सम्मोदन समिति नियुक्त की है । एक संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में मंत्रालय का आदिवासी विकास प्रभाग इस समिति की सहायता करता है । इस प्रभाग की यथोचित रूप से संख्या बढ़ाई जा रही है । यह प्रस्ताव है कि इसमें एक स्कन्ध कार्यक्रम प्रशासन के लिये और दूसरा योजना, अनुसंधान, मूल्यांक तथा निरीक्षण के लिये होना चाहिये । इस प्रभाग के अधिकारी व्यक्तिगत क्षेत्रीय दौरे, राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श और रिपोर्टों तथा विवरणों के आधार पर प्रगति का सावधिक पुनरीक्षण करके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ निकट का सम्पर्क बनाये रखेंगे ।

सहकारी चीनी मिलें

2142. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में काम कर रही सहकारी चीनी मिलों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) मिलों की और उनके द्वारा वित्तीय तथा बैंकिंग संस्थानों से लिये गये ऋण की कुल कितनी राशि 31-12-75 को बकाया थी और उसकी ब्याज दर क्या है ; और

(ग) क्या अधिकांश मिलें ऋण भुगतान न करने की दोषी हैं और यदि हां, तो बकाया राशि कितनी है तथा उसके क्या कारण हैं ?

क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें स्थापित किये गये सहकारी चीनी कारखानों की राज्यवार संख्या दी गई है।

(ख) 31-12-1975 को सहकारी चीनी कारखानों द्वारा केन्द्रीय वित्तदायी संस्थाओं से लिये गये आवधिक ऋणों की बकाया राशि 66.68 करोड़ रुपये थी । ब्याज की दर जिस वर्ष ऋण लिये गये उसके अनुसार 7% से 12% के बीच अलग-अलग है । बैंकिंग संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण मुख्य रूप से कार्यकर पूंजी की आवश्यकताओं के लिये माल को दृष्टिबन्धक/गिरवी रखकर लिये जाते हैं और यह राशि गिरवी/दृष्टिबन्धक रखे गये माल पर की मात्रा के अनुसार समय-समय पर अलग-अलग हो सकती है ।

(ग) जी नहीं । 31-12-75 को 72 सहकारी चीनी कारखानों के पास आवधिक ऋणदायी संस्थाओं की 66.68 करोड़ रुपये की बकाया राशि में से केवल 8 सहकारी चीनी कारखानों के बारे में मूलधन तथा ब्याज की अतिदेय राशि केवल 1.87 करोड़ रुपये थी ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	31-12-1975 को स्थापित किये गये सहकारी चीनी कारखानों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	9
2.	असम	1
3.	बिहार	3
4.	गोवा	1
5.	हरियाणा	2
6.	गुजरात	9
7.	केरल	2
8.	कर्नाटक	8
9.	मध्य प्रदेश	1
10.	महाराष्ट्र	45
11.	उड़ीसा	2
12.	पंजाब	4
13.	राजस्थान	1
14.	तमिलनाडु	7
15.	उत्तर प्रदेश	8
	योग	103

हिन्दुस्तान सैनीटरी वेयर एंड इंडस्ट्रीज द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

2143. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान सैनीटरी वेयर एण्ड इण्डस्ट्रीज़, बहादुरगढ़ के कुछ अधिकारियों को हरियाणा में विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रधान मंत्री योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) विदेशी मुद्रा विनियमों के किसी उल्लंघन के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बहादुरगढ़ की हिन्दुस्तान सैनेटरी वेयर एण्ड इण्डस्ट्रीज़ का कोई अधिकारी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसनसोल के निकट पटमोहना कोयला खान में दुर्घटना

2144. **श्री रोबिन सेन :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 फरवरी, 1976 को आसनसोल (पश्चिम बंगाल) के निकट पटमोहना कोयला खान में हुई दुर्घटना में एक खनिक मर गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त खनिज के परिवार को मुआवजा दिया गया है; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) व (ख) ईस्टर्न कोल फील्ड्स की पटमोहना खान में 5-2-76 को हुई दुर्घटना में एक कामगार मारा गया । यह दुर्घटना मुख्य हालेज डिप पर रखे लकड़ी के बफर के टब से टूट जाने से हुई । बफर टूट कर मजदूर को जा लगा ।

(ग) मृतक की पत्नी को 1000 रुपये की अनुग्रह राशि दे दी गई है । कामगार मुआवजा अधिनियम के अधीन भुगतान के लिये कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

(घ) उपकरणों के ठीक रख रखाव, उचित निरीक्षण चालू कार्य पर प्रभावी निगरानी तथा कामगारों को ऐसे खतरों के प्रति सावधान करने के लिये उपाय किये गये हैं।

सुधरे हुये तरीके इस्तेमाल करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन

2145. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन फारमर्स फर्टिलाइज़र को-आपरेटिव लिमिटेड ने किसानों को फसलों से अधिक उत्पादन लेने हेतु उर्वरकों के उपयोग सहित अनेक अन्य उन्नत तरीके अपनाने के लिये प्रेरित करने का कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) यह कार्यक्रम इण्डियन फारमर्स फर्टिलाइज़र को-आपरेटिव लि० के अर्हता प्राप्त तथा प्रशिक्षित क्षेत्रीय प्रतिनिधियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है । इनमें से लगभग 200 को ऐसे इलाकों में चुने स्थानों पर तैनात किया गया है जहां सोसायटी अपने तैयार किये गये माल का विपणन करती है । ये क्षेत्रीय प्रतिनिधि प्रदर्शन प्लाट तैयार करते हैं, खण्ड प्रदर्शनों का आयोजन करते हैं, पूरे के पूरे गांवों को अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, किसानों की बैठकें करते हैं और कृषि-मेलों में भाग लेते हैं । सोसायटी सहकारी कार्मिकों को प्रशिक्षण भी देती है, जो किसानों के मध्य विस्तार कार्य आरम्भ करेंगे ।

दिल्ली में पाइपों के माध्यम से कुकिंग गैस

2146. **मौलाना इसहाक सम्थली :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में फ्रेंड्स कालोनी में, 1,000 परिवारों को कुकिंग गैस को पाइप के जरिये सप्लाई करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) दिल्ली में सब कुकिंग गैस उपभोक्ताओं को पाइप के जरिये गैस सप्लाई करने में कितना समय लगेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुरोध पर, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने ओखला सीवेज वर्क्स के सीवेज संयंत्र से 4 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहने वाले घरेलु उपभोक्ताओं को सीवेज गैस सप्लाई करने के लिये एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है । इस स्कीम से फ्रेंड्स कालोनी को भी लाभ पहुंचने की संभावना है ।

(ख) परियोजना की प्रत्याशित लागत 148 लाख रुपये है और इसे दो चरणों में विकसित करने का प्रस्ताव है । परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 1000 घरों को गैस वितरित की जायेगी तथा दूसरे चरण में यह सप्लाई बढ़ाकर कुल 10,000 घरों को गैस वितरण करने का प्रस्ताव है । अनुमोदन के बाद परियोजना दो वर्षों में पूरी हो जाने की आशा है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है ।

तिरुचिनापल्लि में सीवनहीन (सीमलैस) ट्यूब परियोजना

2147. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तिरुचिनापल्लि में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित सीवनहीन ट्यूब परियोजना के लिये मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) यह प्रस्ताव भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हाई प्रेशर बायलर संयंत्र और देश के अन्य बायलर निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 19 मि०मी० से लेकर 159 मि०मी० तक व्यास के आकारों की प्रतिवर्ष 40,000 मी० टन की बिना जोड़ वाली इस्पाती ट्यूबों के निर्माण के लिये है । परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 58 करोड़ रुपये है और इसके 42 महीनों की अवधि में पूरा हो जाने की आशा है ।

(ग) जी, हां ।

ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी की उत्पादन क्षमता

2148. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी के नियंत्रणाधीन एककों की लाइसेंस प्राप्त कुल डबल रोटी उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या यह बिदेशी कम्पनी लाईसेंस प्राप्त क्षमता से बहुत अधिक उत्पादन कर रही है ।

(ग) यदि हां, तो इस कम्पनी के नियंत्रणाधीन एककों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता, अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी और उनका वर्षवार उत्पादन कितना रहा ;

(घ) क्या इस कम्पनी के एककों के अधिक उत्पादन को सरकार ने नियमित कर दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस आधार पर ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ङ) डबल रोटी का उत्पादन उद्योग (विकास एंव विनियमन) अधिनियम, 1951 के क्षेत्राधिकार से बहार है जिसके फलस्वरुप डबल रोटी का उत्पादन करने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं हैं ।

मे० ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी लि० के विभिन्न एककों की डबल रोटी का उत्पादन करने की तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पास पंजीकृत क्षमता और इन एककों द्वारा पिछले तीन वर्षों में तैयार की गई डबल रोटियों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :-

एकक	पंजीकृत क्षमता (मी० टनों में)	उत्पादन (मी० टनों में)		
		1973	1974	1975
दिल्ली	23328	21107	23029	25796
मद्रास	1944	277	332	250
बम्बई	11664	8228	8543	8509
कलकत्ता	11664	(उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है)		
योग	48600	29612	31904	34555

केरल में नारियल जटा का स्टाक जमा हो जाना

2149. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल की त्रिंगानूर, चित्ताट्टुकरा और वेडाक्केकरा पंचायतों के नागरियल जटा क्षेत्र से कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) क्या गोदाम में लगभग 20,000 क्विंटल नारियल जटा का स्टाक है जिसकी लागत 60 लाख रुपये हैं ;

(ग) कोचीन सेन्ट्रल कायर मार्केटिंग सोसाइटी संख्या 423 की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार का विचार नारियल जटा उद्योग की सहायता करने का है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक तथा किस ढंग से ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) इस संबंध में केन्द्र सरकार को कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । हां राज्य सरकार की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि उन्हें त्रिचूर और केरल के एरनाकुलम् जिले में कयर सहकारी समितियों से कुछ अभ्यावेदन मिले थे ।

(ख) 1 मार्च 1976 को कोचीन सेंट्रल को-आपरेटिव कयर मार्केटिंग सोसाइटी के गोदाम में लगभग 55 लाख रुपये मूल्य का 23,933 क्विंटल कयर यार्न पड़ा हुआ था स्थिति में सुधार हो गया है क्योंकि मार्च 1976 की अवधि में 4 लाख रुपये का स्टाक बेच दिया गया है ।

(ग) केन्द्र सरकार एक विशेष प्रकरण के रूप में उस राज्य में विद्यमान ठोस रूप से जीव्य कयर सहकारी समितियों का पुर्निनर्माण करने की दृष्टि से केरल सरकार को 431 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था कर रही है । इस उद्देश्य के लिये 3 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं । यह बात राज्य सरकार के ऊपर है कि वे किसी विशेष समिति की कठिनाई को देखते हुए अथवा उद्योग की सामान्य समस्याओं पर विचार करते हुए स्वयं अपनी विधि में से क्या सहायता कर सकती है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फिल्म सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन

2150. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म सेंसर बोर्ड को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) क्या इस बोर्ड में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी शामिल करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां ।

भूतपूर्व सैनिकों को अशक्ता पेंशन दिया जाना

2151. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों को अशक्ता पेंशन की स्वीकृति देने का शुरू आधार क्या है ?

(ख) सशस्त्र सेनाओं के तीनों अगों के अलग अलग कितने मामले (एक) 5 वर्ष (दो) 4 वर्ष (तीन) 3 वर्ष (चार) 2 वर्ष और (पांच) । वर्ष से अशक्तता पेंशन के निर्णय के लिए विचाराधीन पड़े हैं ; और

(ग) इन सभी मामलों पर निर्णय लिए जाने की सम्भावित तारीखें क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० बी० पटनायक) : (क) जिन सैनिकों को 20 प्रतिशत अथवा अधिक निर्धारित की गई विकलांगता के कारण सेवा मुक्त किया जाता है उन्हें विकलांगता पेंशन स्वीकार की जाती है ।

(ख) स्थिति बताते हुए एक विवरण संलग्न है ।

(ग) बकाया मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

विवरण

31-3-76 को भूतपूर्व सैनिकों (अफसरों सहित) के विकलांगता पेंशन के बकाया मामलों की संख्या दिखाते हुए विवरण

सर्विस	एक वर्ष से ऊपर	2 वर्षों से ऊपर	3 वर्षों से ऊपर	4 वर्षों से ऊपर	5 वर्षों से ऊपर
थल सेना . .	140	20	--	--	--
नौसेना . . .	4	--	--	--	--
वायु सेना . . .	4	1	--	--	--

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में पंचायतों को शामिल करना

2152. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युत्तीकरण निगम के ग्रामीण विद्युत्तीकरण कार्यक्रमों में पचायतें को शामिल करने के लिए कोई योजना बनाई है : और

(ख) यदि हां, तो उस की सक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है । परन्तु, इस बारे में अखिल भारतीय पंचायत परिषद् के साथ कुछ विचार-विमर्श हुआ है ।

फिल्म उद्योग के व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

2153. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्म उद्योग में स्टूडियों मालिक अथवा निर्माता अथवा निर्देशक अथवा वितरक के रूप में काम करने वाले कुछ व्यक्ति विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लघन करने के दोषी पाये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमन् ।

1-1-1973 तथा 29-2-1976 के बीच विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के लिए भारतीय फिल्म उद्योग से संबंधित कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाई की गई है ।

Persons convicted for Untouchability in Madhya Pradesh

2154. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons in Madhya Pradesh against whom action has been taken under the laws prohibiting untouchability during the last one year; and

(b) the number among them holding Government and semi-Government posts ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The number of persons against whom action has been taken under the Untouchability (Offences) Act, 1955 during the calender year 1974, is given below :—

No. of cases registered	152
No. of cases challaned	103
No. of cases ending in:	
(i) Conviction	21
(ii) Compounding	53
(iii) Acquittal	22

(b) No such data is maintained.

Incentives for setting up Industries in Madhya Pradesh by Non-Indians

2155. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether the State Industrial Development Corporation of Madhya Pradesh has decided to offer fresh incentives to non-Indians and technicians for setting up industries in the State;

(b) if so, the facts in this regard; and

(c) the number of unemployed engineers of Madhya Pradesh given assistance for setting up industries there ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Small Industries Service Institute, Indore assisted 419 unemployed engineers and the State Directorate of Industries assisted 359 engineers for setting up industries.

Supply of Electricity to Villages of Rajasthan and Madhya Pradesh

†2156. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted a survey for providing electricity to the villages of Rajasthan and Madhya Pradesh on priority basis; and

(b) if so, facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा भर्ती के लिए अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा लेना

2157. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश स्थित संगरौली कोयला खानों में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रबन्धकों द्वारा द्वित्तीय तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए भी परीक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से ली जाती है ;

(ख) इन परीक्षाओं को हिन्दी माध्यम से लेने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) इस पर कब अमल किए जाने की सभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : सिंगरौली कोयला क्षेत्र में श्रेणी-II के पदों की भरती के लिए सेन्ट्रल कोल फील्डस लि० द्वारा कोई लिखित परीक्षा नहीं ली गई है । जहाँ तक श्रेणी-III की भरती का संबंध है, लिखित परीक्षा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में ली जाती है ।

रीवा मध्य प्रदेश स्थित रेडियो ट्रांसमिटर चालू करना

2158. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रीवा, मध्य प्रदेश स्थित रेडियो ट्रांसमीटर आकाशवाणी के कार्यक्रमों का प्रसारण कब से शुरू कर देगा, और

(ख) वह अपने स्टूडियो की सुविधाओं के जरिये प्रसारण कब से शुरू कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) : अब अक्तूबर, 1976 तक रीवा में अंतरिम स्टूडियो सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । तब रीवा के ट्रांसमीटर से कार्यक्रम रिले करना तथा सीमित मात्रा में मूल रूप से कार्यक्रम प्रसारित करना सम्भव हो सकेगा । स्थायी स्टूडियो के 1978 तक तैयार हो जाने की सम्भावना है ।

खानों के मुहानों पर एकत्र कोयले का भंडार

2159. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों के मुहानों पर कोयले का बहुत मात्रा में भंडार जमा हो गया है ;

(ख) क्या जैसा कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) ने बताया है, खानों के मुहानों पर एकाएक आग लग जाने का खतरा है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां से कोयला तुरन्त ले जाये जाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : जब कभी कोयले का विशाल ढेर होता है तो उसके यकायक गर्म हो उठने का जोखिम तो रहता ही है । जब अधिक खाली स्थान मिल जाता है तो कोयले के ढेर को चारों ओर

फैला दिया जाता है । यकायक गर्म हो उटने की स्थिति में आग बुझाने के लिये पानी की पाइप लाइनें बिछायी जा रही हैं । इन उपायों से यकायक आग लगने की संभावनायें कम होंगी ।

भारतीय तकनीकी जानकारी का निर्यात

2160. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान भारतीय तकनीकी जानकारी के निर्यात संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ख) किन देशों ने उक्त जानकारी मांगी थी, इसके अधीन कौन सी परियोजनायें शुरू की गई और हमारे देश की उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्हें उक्त कार्य सौंपा गया ; और

(ग) इससे हमारे देश को क्या लाभ हुआ ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) भारत से अन्य देशों की जानकारी कई तरह से उपलब्ध की जा रही है जैसे--विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करके, आद्योपान्त परियोजनायें हाथ में लेकर, परामर्शदायी/संविदाकारी इंजीनियरी सेवाएं हाथ में लेकर, भारत और विदेशी पार्टियों के बीच तकनीकी सहयोग के करार करके भारतीय विशेषज्ञों को विदेश भेजकर तथा भारत में विदेशियों को प्रशिक्षण आदि के द्वारा ।

कुछ मामलों में भारतीय जानकारी उपलब्ध कराने के अनुरोध अन्य देशों से सरकारी स्तर पर प्राप्त होते हैं, अधिकांश मामलों में भारत की पार्टियों और अन्य देशों की पार्टियों के बीच सहयोग की शर्तें सीधे ही की जाती हैं । जिस सीमा तक आवश्यक होता है संबंधित सरकारी विभागों/अभिकरणों की स्वीकृतियां प्राप्त की जाती हैं । कुछ देश जिनसे भारतीय फर्मों ने औद्योगिक उद्यम स्थापित करने हेतु सहयोग किया वे ये हैं यथा, आबुधावीं, अफगानिस्तान अर्जेन्टाइना, कनाडा, साइप्रस, दुबई, इथोपिया, फिजी, हांग-कांग, इण्डोनेशिया, मलयेशिया, मारीशस, नेपाल, नाइजीरिया, फिलिपाइन्स, कतार, साऊदी अरब, सिंगापुर, श्रीलंका, तजानिया, थाईलैंड, युगोन्डा, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, पश्चिमी जर्मनी और जांबिया । 1976 में आयरलैंड, कनाडा, इन्डोनेशिया, मुसकट, दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका, कीनियां, फ्रांस, मलयेशिया, आबुधाबी में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिये मार्च के अन्त तक 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इन प्रस्तावों में कार्बनिक रसायन, सिन्थेटिक ब्रिस्टल्स, एण्टी बायोटिक्स, कन्सल्टेन्सी तथा इंजीनियरिंग सेवाएं, रेस्टोरेंट्स, हाथ के औजार, भवन निर्माण, लकड़ी की लुंगदी और कागज के क्षेत्र शामिल हैं ।

(ग) भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौदयोगिकी संबंधी उन्नत से अन्य देशों को अवगत करने के अलावा भारत की जानकारी के निर्यात से जानकारी प्रशुल्क के भुगतान के रूप में और मशीनों आदि के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ।

समुद्री पानी का खारापन दूर करना

2161 **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रयोजन के लिये स्वच्छ जल की मांग समुद्री पानी का खारापन दूर करके पूरी की जा सकती है, और

(ख) यदि हां, तो देश के समुद्र तट पर समुद्री पानी का खारापन दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) बड़े तटीय नगरों तथा शहरी केन्द्रों में जहां जल का औद्योगिकी/म्यूनिसिपल उपयोग में अपव्यय होता है तथा जहां पारम्परिक जल स्त्रोत उचित प्रकार के नहीं हैं अथवा समाप्त हो जाते हैं, वहां जल की आवश्यकतायें मुख्यतः समुद्र के जल में खारापन दूर कर के पूरी की जा सकती हैं। कई एक सम्भाव्यता अध्ययन किये गये तथा भाभा अनुसधान केन्द्र, बम्बई, केन्द्रीय नमक तथा समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान सेंट्रल साल्ट ऐंड मैरिन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, भावनगर तथा अन्य सी एस आई आर प्रयोगशालाओं, आई आई टी सस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् आदि में अनुसंधान एवं विकास कार्य में प्रगति हो रही है।

नागरिक सुरक्षा संगठन

2162. **श्री शंकरराव सांवन्त :**

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक नागरिक सुरक्षा संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उन्हें कौन से हथियार दिये जाते हैं और क्या प्रशिक्षण दिया जाता है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस०एच० मोहसिन) : (क) नागरिक सुरक्षा संगठन की प्राधिकृत संख्या 4.75 लाख है और इसकी वर्तमान संख्या 3.91 लाख है ।

(ख) नागरिक सुरक्षा सशस्त्र संगठन नहीं है और इसलिये उन्हें हथियार चलाने का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है

सोवियत संघ के साथ मानकीकरण करार

2163. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के साथ हाल ही में मानकीकरण संबंधी एक करार किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी०पी० मौर्य) : (क) और (ख) : भारत और सोवियत रूस के बीच व्यावहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने के लिये एक करार पर अक्टूबर, 1972 में हस्ताक्षर किये गये थे । इस करार के अनुसार मानकीकरण और माप-विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का एक कार्यक्रम फरवरी, 1973 में तैयार किया गया था । सोवियत रूस के मन्त्री परिषद की मानक संबंधी सरकारी समिति सोवियत रूस की ओर से समन्वय करने वाले संगठन के रूप में और भारतीय मानक संस्था को भारत की ओर से समन्वय करने वाले संगठन के रूप में नामित किया गया था ।

दोनों पक्षों में समन्वयकारी संगठनों का संयुक्त रूप से अनुसंधान की ठोस योजनायें तैयार करने के लिये विशेषज्ञों की बैठकें आयोजित करनी थी । दोनों देशों के विशेषज्ञों की एक बैठक नई दिल्ली में मार्च, 1973 में हुई थी । इस बैठक में मानकीकरण और माप-विज्ञान के सम्बन्ध में सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों के लिये सहमति प्रकट की गई थी । इस पर भी सहमति प्रकट की गई थी कि इन क्षेत्रों को बढ़ाने और इनमें संशोधन करने के लिये आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति से ही किया जा सकता है । करार के अधीन सहयोग की प्रगति की संविक्षा करने तथा योजना और कार्यक्रम तैयार करने के लिये एक कार्यकारी दल बनाये जाने पर भी सहमति की गई थी। एक अकार्यकारी दल के लिये एक परिनियम भी तैयार किया गया था । इस परिनियम के अनुसार कार्यकारी दल सहयोग की व्यवस्था करने के लिये निम्नलिखित कार्य करेगा : :—

सहयोग की गुंजाइश और प्रकार का निर्धारण करना ।

संयुक्त और समन्वित कार्यकलापों के लिये वार्षिक योजनाओं के लिये सहमति देना ।

खास-खास परियोजनाओं के लिये सेक्शनों की स्थापना करना ।

परियोजनाओं को पूरा करने के लिये संगठनों को जिम्मेदारी सौंपना ।

किये गये कार्य पर सेक्शनों की रिपोर्ट सुनना ।

कार्यकारी दल द्वारा किये गये निर्णय जब तक कि निर्णय में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, हस्ताक्षर के तुरन्त बाद लागू हो जायेंगे । कार्यकारी दल की अभी तक तीन बैठकें हो चुकी हैं । एक बैठक नई दिल्ली में और दो बैठकें मास्को में हुई थी । कार्यकारी दल की चौथी बैठक इस वर्ष नवम्बर मास में नई दिल्ली में होनी निश्चित हुई है । भारतीय मानक संस्थान, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला तथा माप और तोल का निदेशालय कार्यकारी दल से सम्बद्ध है । 6 विभिन्न सेक्शनों में 16 विशिष्ट विषयों की प्रारम्भिक तौर पर दल द्वारा पहचान कर ली गई है। तदनुसार दल के अधीन 6 भिन्न-भिन्न सेक्शन स्थापित किये गये हैं । हर सेक्शन के लिये विस्तृत कार्यक्रम वर्ष प्रति वर्ष तैयार किया जाता है । सभी विषयों पर जानकारी विशेषज्ञों के अदान प्रदान का कार्य शुरू हो गया है ।

रोजगार की स्थिति खराब होना

2164. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों के धीमे विकास के कारण रोजगार स्थिति खराब हुई है जो एक वर्ष से भी पूर्व 7.1 प्रतिशत थी जैसा भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण (1975-76) के पृष्ठ 14, 3.21 में उल्लेख किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह स्थिति उपरोक्त आर्थिक सर्वेक्षण के विवरण से किस प्रकार मेल खाती है कि औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में वर्ष 1974-75 में 2.5 प्रतिशत और 1975-76 की पहली छमाही में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) : रोजगार की स्थिति खराब होने का आंशिक कारण 1973-74 और 1974-75 में उद्योग का विकास धीमी गति से होना है, जैसा कि रोजगार कार्यालयों में रोजगार के लिये रजिस्टर कराने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ने से विदित है ; अक्तूबर, 1974—सितम्बर, 1975 में इनमें 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी

जब कि पिछले वर्ष की इस अवधि में इनमें 5.4 की वृद्धि हुई थी। अपेक्षाकृत धीमा औद्योगिक विकास रोजगार के इच्छुक श्रमिकों की बढ़ी हुई संख्या के बराबर पर्याप्त रोजगार के अवसर सुलभ करने में असफल रहा। वर्ष 1974-75 में, संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि 1974-76 में औद्योगिक उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि से असंगत नहीं है।

अतिरिक्त रोजगार योजना के अधीन राज्यों के लिये धन का नियतन

2165. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अतिरिक्त रोजगार योजना के अधीन राज्यों के लिए वर्ष 1971 से दिसम्बर, 1975 तक कितनी राशि का नियतन किया गया; और

(ख) चालू वर्ष में कितनी राशि देने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल): (क) 1971–72 से 1975–76 तक विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत अतिरिक्त रोजगार अवसरों की व्यवस्था करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित धन राशि (दी गई केन्द्रीय सहायता) का कार्यक्रमवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

कार्यक्रम	दी गई केंद्रीय सहायता (लाख रुपए)
(1) त्वरित ग्रामीण रोजगार स्कीम (1971-72 से 1973-74 तक) . .	12262.83
(2) शिक्षित बेरोजगारी से संबंधित कार्यक्रम (1971-72 से 1973-74 तक) . .	10266.39
(3) विशेष रोजगार कार्यक्रम (1972-73 से 1973-74 तक) . . .	4888.84
(4) पांच लाख रोजगार कार्यक्रम (1973-74)	5515.10
(5) रोजगार संवर्धन कार्यक्रम* (1974-75) .	1346.24
जोड़	34279.40

*इस कार्यक्रम के लिए 1975–76 में दी गई अधीनी सहायता भी शामिल है।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अनुसार रोजगार अवसरों की व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से होगी। इसी कारण रोजगार संवर्धन कार्यक्रम (1974-75) को 1975–76 में जारी नहीं रखा गया। वैसे 31-3-1975 से आरम्भ की गई स्कीमों के लिए 1975-76 में लगभग 5 करोड़ रुपए अधिनीत सहायता के रूप में दिए गए थे। 1976-77 में ऐसी स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था नहीं की गई है।

दामोदर घाटी निगम द्वारा वितरित किये जाने वाले जल की दर में वृद्धि

2166. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम द्वारा वितरित किये जाने वाले जल की दर में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार की जल-शुल्क में वृद्धि करने की नीति समान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूप रेखा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां । कृषि के लिए किए जाने वाले उपयोगों से इतर उपयोगों के लिए ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

(ग) और (घ) सिंचाई राज्य का विषय है । बहरहाल, चूंकि कई राज्यों में जल की दरें, परियोजनाओं की प्रचालन और रख-रखाव के खर्चों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं, अतः केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अपने-अपने साधन बढ़ाने के लिए जल की दरें बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है । बिहार, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य 1974 से जल की दरें बढ़ाने की अधिसूचनाएं जारी कर चुके हैं ।

कोयले से बनें रसायनों का उपयोग

2166. **श्री धामनकर:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिष्कृत रसायनों, औषधियों, रंग-सामग्रियों आदि के निर्माण में कोयले से बने रसायन कहां तक प्रयोग किये जा सकते हैं, और

(ख) क्या इस समय आयात किये जा रहे रसायनों के स्थान पर इन रसायनों का लाभप्रद ढंग से उपयोग किया जा सकता है और यदि हां, तो इससे अनुमानतः कितनी मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत होगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) कोयले/कोक भट्टी सम्मिश्रों से बने रसायनों का उपयोग, परिष्कृत रसायनों, औषधियों, रंग-सामग्रियों आदि के निर्माण में हो सकता है, पर यह अपेक्षया अन्य स्त्रोतों से उपलब्ध कच्चे माल की तुलना में होने वाले खर्च में कमी पर निर्भर करेगा । यह कच्चा माल मुख्य रूप से तीन स्त्रोतों से उपलब्ध होता है--(1) एल्कोहल रसायन (2) कोयला/कोक-भट्टी उत्पाद (3) पेट्रो-रसायनिक वस्तुएं । यद्यपि यह निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था है, इसके बाद के परिचालनों का सम्बन्ध तैयार की जाने वाली वस्तु तथा उसमें सन्निहित प्रौद्योगिकी को ध्यान में रख कर करना होता है । अतः यह कहना कठिन है कि कोयले तथा अन्य स्त्रोतों से बने रसायनों का औषधियों आदि के निर्माण में कहां तक उपयोग हो सकता है ।

आयात विकल्प सरकार के मुख्य उद्देश्यों में से एक है तथा रसायनों का आयात उन्हीं वस्तुओं तक सीमित होता है जो इस देश में निर्मित नहीं होतीं । कच्चे माल की आपूर्ति विभिन्न स्त्रोतों से होने के कारण, हरेक स्त्रोत से विदेशी मुद्रा में होने वाली बचत को कूतना मुश्किल है ।

तेल के लिये खुदाई हेतु रिंगों का निर्माण

2178. **श्री शंकर राव सावन्त:** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल के लिए तट पर तथा तट दूर खुदाई के लिए रिगों का निर्माण आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) मे० भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने समुद्र तट पर खुदाई के लिए ड्रिलिंग रिगों के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया है । उन्होंने निम्नलिखित आकार के दो ड्रिलिंग रिगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अमेरिका की एक फर्म के साथ सहयोग करार किया है :—

(i) 6,000 मीटर, तथा

(ii) 3,600 मीटर

उन्होंने 7 ड्रिलिंग रिगों के निर्माण का कार्य पहले आरंभ कर दिया है, जिसके लिए उन्हें तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग से एक क्रयादेश प्राप्त हुआ है । परियोजना पर मामूली पूंजीगत विनियोजन होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के रिगों के पुर्जों निर्माण के लिए अलग से सुविधा जुटाने का इरादा नहीं है । इसके बजाय, ये पुर्जे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के विभिन्न एककों और अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की विद्यमान उपलब्ध फालतू क्षमता का उपयोग करके बनाये जायेंगे ।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० भी समुद्र तट से थोड़ी दूर खुदाई के लिए रिगों के मूल भाग को तैयार करने की स्थिति में है, किन्तु मस्तूल और उप ढांचा कार्य, विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, और ये सहयोग करार के अंतर्गत नहीं आते ।

बन्द मिलों का पुनः खोला जाना

2169. **श्री राम सहाय पाण्डे :**
श्री पी० गंगा रेड्डी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने बंद मिलें पुनः खोलने के लिए राज्य सरकारों से व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने को कहा है,

(ख) यदि हाँ तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) प्रथम मार्च, 1976 को प्रत्येक राज्य में कितनी कितनी मिलें बंद पड़ी थीं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) सम्बन्धित राज्य सरकारों से उत्तर प्रदेश में दो कपड़ा मिलें, गुजरात में दो कपड़ा मिलें और तमिलनाडु में एक कपड़ा मिल पुनः चालू करने हेतु सम्भाव्यता रिपोर्ट बनाने के लिये कहा गया था ।

(ख) उत्तर प्रदेश के दो कपड़ा मिलों के बारे में सम्भाव्यता रिपोर्टें मिल गई हैं ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दामोदर घाटी निगम का विस्तार

2170. **श्री एच०एन० मुखर्जी**: क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का दामोदर घाटी निगम का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) दामोदर घाटी निगम पश्चिम बंगाल और बिहार की विद्युत् सप्लाई को किस सीमा तक पूरी कर सकेगा?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है।

(ग) इस समय दामोदर घाटी निगम अपने उपभोक्ताओं की मांग की ही पूर्ति कर रहा है जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्य बिजली बोर्ड शामिल हैं और जिन्हें औसतन क्रमशः कुल 490 एम० वी० ए० और कुल 390 एम० वी० ए० तक बिजली दी जाती है।

गुजरात में टेलीविजन केन्द्र

2171. **श्री अरविन्द एम० पटेल**

श्री एन० आर० बेकारिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) ये कब तक पूरे हो जायेंगे और चालू हो जायेंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) आर्थिक संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल गुजरात में नियमित दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना सम्भव नहीं है। तथापि, उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग के दौरान प्रायोगिक कार्य के लिए अहमदाबाद के दक्षिण में लगभग 48 किलो मीटर दूर नडियाड में स्थापित एक टेलीविजन ट्रांसमीटर और अहमदाबाद में स्थापित स्टुडियों, उपग्रह प्रयोग की समाप्ति के बाद भी चालू रहेंगे।

भारत में टेलीविजन केन्द्र

2172. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री एन० आर० बेकारिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने टेलीविजन केन्द्र किस किस स्थान पर चल रहे हैं;

(ख) आगामी तीन वर्षों में कितने टेलीविजन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) उक्त प्रयोजन के लिये कौन-कौन से स्थानों अथवा स्थलों का चयन किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) इस समय देश में 8 दूरदर्शन केन्द्र काम कर रहे हैं। इनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली

दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई

दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर

दूरदर्शन केन्द्र कलकत्ता

दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास

दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ

दूरदर्शन ट्रांसमिटिंग केन्द्र, अमृतसर

दूरदर्शन रिले केन्द्र, पूना

इनके अतिरिक्त, उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए दिल्ली, हैदराबाद और कटक में तीन बेस प्रोडक्शन सेंटर स्थापित किए गए हैं ।

(ख) और (ग) अगले तीन वर्षों में दस दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

इनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) दूरदर्शन रिले केन्द्र, मसूरी
(2) दूरदर्शन रिले केन्द्र, कानपुर
(3) दूरदर्शन केन्द्र, जलन्धर
(4) दूरदर्शन रिले केन्द्र, कसौली
(5) दूरदर्शन ट्रांसमिटिंग केन्द्र, जयपुर
(6) दूरदर्शन ट्रांसमिटिंग केन्द्र, हैदराबाद
(7) दूरदर्शन ट्रांसमिटिंग केन्द्र, रायपुर
(8) दूरदर्शन ट्रांसमिटिंग केन्द्र, सम्बलपुर
(9) दूरदर्शन ट्रांसमिटिंग केन्द्र, मुजफ्फरपुर
(10) दूरदर्शन ट्रांसमिटिंग केन्द्र, गुलबर्ग

खान मालिकों को मुआवजा

2173. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **ऊर्जा** मंत्री खान मालिकों को मुआवजे के बारे में 10 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9865 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोकर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में उल्लिखित 'राशियों' का भुगतान, भुगतान आयुक्त को किन-किन तारीखों को किया गया था; और

(ख) बैंकों अथवा आयुक्त को किन-किन तारीखों को कुल बकाया जमा राशि का भुगतान किया गया था ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कोकर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में उल्लिखित राशि 30-3-73 को भुगतान आयुक्त को सौंप दी गई थी ।

(ख) कोकर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अधीन कोकर कोयला खानों/कोक ओवन संयंत्रों के मालिकों के खातों में अधिशेष शुद्ध बकाया राशि भुगतान आयुक्त के नाम से 31-3-76 को निकाली गई ।

नये समाचारपत्र तथा पत्रिकायें

2174. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकालीन घोषणा के पश्चात् बहुत से नये दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पत्र प्रकाशित होने आरम्भ हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार आपात स्थिति की घोषणा के बाद जो समाचारपत्र प्रकाशित होने आरम्भ हुए हैं उनकी श्रेणी-वार संख्या इस प्रकार है :—

दैनिक	33
साप्ताहिक	173
पाक्षिक	108
मासिक	297
योग . .	611

एच० एम० टी० घड़ियों का मूल्य

2175. **श्री वी० आर० शुक्ल :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो अथवा तीन वर्षों से सभी किस्म की एच० एम० टी० घड़ियों का मूल्य निरन्तर बढ़ रहा है; और

(ख) क्या देश की अर्थव्यवस्था में हुए सुधार को देखते हुए इनके मूल्यों को कम किया जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कच्चे माल और हिस्से-पुर्जों की कीमत में वृद्धि होने और कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतनों में वृद्धि होने के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों की कीमतों में जनवरी, 1974 में वृद्धि की गई थी । जनवरी, 1974 में औसत वृद्धि 15% थी जबकि वर्ष 1973 में भारतीय अर्थव्यवस्था में देखी गई मुद्रास्फीती 17% थी । सामान और श्रम दोनों की निर्माण-लागत में वृद्धि होने के कारण घड़ियों की कीमतों में जनवरी, 1975 में पुनः संशोधन किया गया था और वर्ष 1974 में भारतीय अर्थव्यवस्था में देखी गई 30% मुद्रास्फीती की तुलना में यह वृद्धि केवल लगभग 10% थी । 1-3-1975 से 1% उत्पादन शुल्क की अतिरिक्त लेवी के कारण इस कानूनी लेवी को हस्तांन्तरित करने के लिए कीमतों में पुनः वृद्धि की गई थी।

(ख) अर्थ-व्यवस्था में हुए सुधार को ध्यान रखते हुए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने 1976 में घड़ियों के बिक्री मूल्यों को बढ़ने नहीं दिया है । कर्मचारियों को देय वेतनों में सामान्य वृद्धि कम्पनी ने स्वयं वहन की है।

सरकारी कार्यालयों में मुख्य चपरासी का पद

2176. **श्री रानेन सेन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालयों में मुख्य चपरासी का पद बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की आशा है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) मामला विचाराधीन है और शीघ्र निर्णय लिये जाने के लिये प्रयत्न किया जाएगा ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के लिये आर्डर

2177. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 फरवरी, 1976 तक हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने कितने आर्डर बुक किये; और

(ख) उनमें से कितने आर्डर निर्यात के लिए थे तथा वे किन-किन देश के थे ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 29 फरवरी, 1976 तक हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के तीनों संयंत्रों द्वारा बुक किए गए आर्डरों की स्थिति निम्नलिखित है :—

संयंत्र का नाम	मात्रा	मूल्य (रु० लाख में)
1	2	3
फाउंडरी फोर्ज प्लांट	13,371 मी० टन	19,25
हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट	106,826 मी० टन	206,69
हेवी मशीन टूल प्लांट	79 नग	8,32

(ख) इस वर्ष फरवरी में हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को युगोस्लाविया में सोवियत संघ की सहायता से चल रहीं एक परियोजना के लिए अल्युमिनियम संयंत्र हेतु इलेक्ट्रोलाइजरों के लिए 3.75 करोड़ रु० के मूल्य का एक निर्यात आर्डर मिला । उपर्युक्त आर्डर के अलावा अभी कोई महत्वपूर्ण निर्यात आर्डर नहीं मिला है ।

एक ब्रिगेडियर तथा दो लैफ्टिनेंट कर्नलों पर आरोप

2178. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने उस ब्रिगेडियर तथा उन दो लेफ्टिनेंट कर्नलों के ख़िलाफ़ क्या कार्यवाही की है जिनके विरुद्ध अत्यधिक मूल्यों पर कतिपय सामग्री खरीदने के लिए दो प्राइवेट फर्मों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के कथित आरोप के बारे में जांच-पड़ताल का एक मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दर्ज किया है जैसा कि अप्रैल-मई-जून, 1975 के विवरण में संसद को बताया गया है; और

(ख) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो, इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) मामले की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है और उनकी रिपोर्ट तथा सिफारिशें प्राप्त हो जाने के पश्चात उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

बिहार तथा पश्चिम बंगाल में जमीदारों द्वारा हरिजन किसानों को परेशान किया जाना

2179. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के भागलपुर जिले में मौजा उस्मानपुर में बहुत से ऐसे गरीब हरिजनों को, जो 20 एकड़ "निहित भूमि" में खेती कर रहे थे, स्थानीय जमींदारों के गुंडों तथा पुलिस द्वारा गत फ़सल कटाई के मौसम में निर्दयतापूर्वक पीटा गया ;

(ख) क्या जिला वीरभूम (पश्चिम बंगाल) में दुबराजपुर थाने के कुलतोरे मौजा में ऐसे बहुत से आदिवासी किसानों को जिन्होंने स्थानीय कनिष्ठ भूमि सुधार अधिकारी के औपचारिक आदेश के अंतर्गत भूमि में खेती की थी, स्थानीय जमीदार तथा पुलिस द्वारा उस समय निर्दयतापूर्वक पीटा गया था जब वे "निहित भूमियों" से अपनी फ़सल काट रहे थे; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे नृशंस व्यवहार की रोकथाम के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

परमाणु संयंत्र के लिये यूरेनियम का आयात

2180. **श्री शंकरराव सावन्त** :
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे परमाणु संयंत्रों के लिए किन देशों से कितनी-कितनी मात्रा में यूरेनियम का आयात किया जाता है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : आयातित यूरेनियम को ईंधन के रूप में काम में लाने की आवश्यकता फिलहाल केवल तारापुर परमाणु बिजलीघर को पड़ती है। इस काम के लिए प्रतिवर्ष 18 मीटरिक टन समृद्ध यूरेनियम का आयात अमरीका से उस देश के साथ किये गये सहयोग-करार के अंतर्गत किया जा रहा है।

भारत को यूरेनियम के निर्यात पर रोक

2181. **श्री शंकर राव सावन्त :**
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री आर० एन० बर्मन :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में कुछ क्लब तथा अमरीकी सीनेटर भारत को यूरेनियम के निर्यात पर रोक लगाने पर जोर दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री योजना मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अमरीका में नागरिकों के कुछ वर्गों ने तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए आवश्यक समृद्ध यूरेनियम की खेप के लिए निर्यात-लाइसेंस जारी करने के संबंध में अमरीका के रेगुलेटरी कमीशन के सामने कुछ आपत्तियां उठाई हैं, जिनके परिणामस्वरूप न केवल तारापुर परमाणु बिजली घर, बल्कि कुछ अन्य देशों के इसी प्रकार के बिजलीघरों के लिए समृद्ध यूरेनियम के निर्यात में विलम्ब हुआ है ।

(ख) भारत सरकार की स्थिति से अमरीकी सरकार को समुचित रूप से परिचित करा दिया गया है तथा उस सरकार ने संविदागत अनुबंधों को पूरा करने का वचन दिया है । भविष्य में समृद्ध यूरेनियम को सप्लाई करने का प्रश्न अभी न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन के विचाराधीन है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये उड़ीसा को वित्तीय सहायता

2182. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य का ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए वर्ष 1975-76 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कितनी वित्तीय-सहायता दी जानी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने 1975-76 के दौरान उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड को कुल 11.19 करोड़ रुपए की ऋण सहायता को 25 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं । इन योजनाओं से 5455 पम्पसेट बिजली से चलेंगे तथा 3255 गांवों के 1624 लघु उद्योगों को बिजली प्राप्त होगी ।

सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को परीक्षा से पूर्व शिक्षण

2183. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने उम्मीदवारों को परीक्षा से पूर्व शिक्षा दी गई तथा उनमें से कितने उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा-परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की; और

(ग) परीक्षा पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को वजीफा, भोजन और छात्रावास के रूप में क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1973 तथा 1974 के वर्षों के दौरान 442 उम्मीदवारों को इस प्रयोजन के लिए स्थापित पांच केन्द्रों, इलाहाबाद, मद्रास, पटियाला, जयपुर तथा राव आई०ए०एस० स्टडी सर्किल, नई दिल्ली में परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण दिया गया था । इनमें से 102 का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए किया गया ।

(ख) 1973-74 तथा 1974-75 के वित्तीय वर्षों के दौरान इन संस्थाओं के प्रबन्ध पर 16.39 लाख रुपए की कुल धनराशि खर्च की गई।

(ग) इलाहाबाद, मद्रास, पटियाला तथा जयपुर केन्द्रों पर निःशुल्क आवास समेत छात्रावास सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। राव आई०ए०एस० स्टडी सर्किल के प्रशिक्षणार्थियों को निर्वाह भत्ता दिया गया था । सभी केन्द्रों में शिक्षा का व्यय सरकार द्वारा वहन किया गया था।

वर्ष 1976-77 के लिये पंजाब का योजना परिव्यय

2184. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वर्ष 1976-77 के लिए पंजाब के वार्षिक योजना-परिव्यय को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो कुल परिव्यय कितना है; और

(ग) क्या पंजाब सरकार ने योजनाओं के लिए किसी अतिरिक्त धनराशि के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) 219 करोड़ रुपए ।

(ग) 1976-77 की राज्य वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद, राज्य सरकार ने 1976-77 की राज्य वार्षिक योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए कोई नए प्रस्ताव नहीं भेजे हैं ।

Scheduled Castes killed or Murdered by Caste Hindus

2185. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases reported to his Ministry about persons belonging to Scheduled Castes who were killed or murdered by the Caste Hindus during the last three years; and

(b) the names of the States where these cases took place ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Foreign Orders received by Instrumentation Ltd., Kota

2186. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the number of orders received from foreign countries by Instrumentation Ltd., Kota during the last three years;

(b) the amount of foreign exchange earned thereby;

(c) whether there is a proposal to expand it further; and

(d) if so, by what time and to what extent ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : (a) Instrumentation Limited, Kota, (a wholly owned Central Government Company) have received 40 orders from foreign countries during the last three years.

(b) The amount of the foreign exchange earned in the last three years is Rs. 115 lakhs.

(c) and (d) The Company have been striving to improve their export performance. It is anticipated that, with the modrenisation of their product range which is presently under consideration, the Company would be able to secure more export orders. However, at this stage, it would be difficult to indicate the volume of export business that the Company would be able to generate.

टैलीविजन सैटों का निर्यात

2188. **श्री बी०वी० नायक :** क्या **इलैक्ट्रोनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीविजन सेट विदेशी बाजारों में कोटि तथा मूल्य की दृष्टि से प्रतियोगी स्थान रखते हैं ।

(ख) यदि हां, तो क्या उनके निर्यात के कोई क्षेत्र खोजे गए हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार को इस उद्योग की विनिर्मित क्षमता का लाभ उठाने के लिए क्या नीति है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) हालांकि स्वदेशी दूरदर्शन सेट, क्वालिटी के लिहाज से, विदेशी बाजारों में मिलने वाले अन्य सेटों का मुकाबला कर सकते हैं लेकिन फिलहाल कीमत के लिहाज से वे उन सेटों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसका प्रमुख्य कारण यह है कि दूरदर्शन सेटों में लगने वाले अनेक महत्वपूर्ण कल-पुर्जे, जैसे पिक्चर ट्यूब, विक्षेप-संघटक, तथा मल्टीचैनल ट्यूनर आदि जिन कीमतों पर हमारे देश में उपलब्ध हैं, वे कीमतें इन उपकरणों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से ऊंची हैं। तथापि, यदि टेलीविजन रिसीवर सेटों का निर्माण करने वाला एक एकक सांताक्रुज स्थित इलैक्ट्रॉनिक निर्यात संसाधन क्षेत्र में स्थापित कर दिया जाय, तो उस यूनिट को शुल्क मुक्त तथा अपेक्षाकृत उदार शर्तों पर आयात करने की सुविधा मिलेगी जिससे कि वह यूनिट अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों का मुकाबला कर सकने वाली कीमतों पर टी.वी० सेटों का उत्पादन कर सकेगा।

(ख) जी, हां; तथापि, कुछ ऐसे यूनिटों ने जिनकी स्थापना सांताक्रुज स्थित निर्यात संसाधन क्षेत्र में करने का प्रस्ताव है, टी०वी० सेटों के निर्यात के लिए बाजार तलाश करने की कोशिश की है, किन्तु अब तक उन्हें इस काम में कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली है।

(ग) यद्यपि देश में टी०वी० सेटों का उत्पादन करने वाले यूनिटों को 3 लाख सेट तैयार करने के लिए लाइसेंस/अनुमोदन पत्र दिए जा चुके हैं, तथापि उनकी वास्तविक स्थापित क्षमता लगभग 1 लाख सेट प्रतिवर्ष बनाने की ही है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इस क्षमता का पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है ।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिये मालवाही वायुयानों का प्रयोग

2189. **श्री बी०वी० नायक :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस द्वारा बनाए गये मालवाही वायुयान (फ्लाइंग कार्गो शिप्स) जो अकेला 900 टन भार ले जा सकता है, हजार मेगावाट बिजली का परमाणु संयंत्र स्थापित करने में, जिसकी स्वर्गीय डा० साराभाई ने आगामी दशक के लिए अपनी रूप रेखा की परिकल्पना की थी, कमजोर पुलों जैसे हमारे अंध स्थापना सम्बन्धी बाधाओं को दूर कर सकेंगे ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार परमाणु संयंत्रों पर जिसकी अभी रूपरेखा तैयार की जा रही है, पुनर्विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) भारी उपकरणों को ले जाने के लिए फ्रांस द्वारा अभिकल्पित फ्लाइंग कार्गो शिप को काम में लाने की संभावना इस बात पर निर्भर करेगी कि इस प्रकार के फ्लाइंग कार्गो शिप में किस आयाम तथा भार के उपकरण ले जाये जा सकते हैं। हर हालत में यह आवश्यक होगा कि निर्माताओं की कार्यशालाओं तथा सबसे निकटवर्ती उन हवाई अड्डों, जिन्हें उपकरणों की ढुलाई के लिए काम में लाया जायेगा, के बीच के रास्ते में पड़ने वाले पुलों तथा सड़कों और उन हवाई अड्डों तथा परमाणु बिजलीघरों के निर्माण-स्थलों तक के उन रास्तों को, जिनसे कि उपकरण ले जाये जाने हैं, और मजबूत बनाया जाए तथा उनमें सुधार किया जाए । इसके अलावा, छोटे आकार के ग्रिड तथा औद्योगिक आधार की अपर्याप्तता जैसी कठिनाइयों के कारण भी बड़े आकार के परमाणु विद्युत रिएक्टरों को शुरू करने का निर्णय स्थगित करना पड़ा है ।

औद्योगिकरण के लिये केन्द्रीय कृत उत्पादन व्यवस्था

2191. **सरदार स्वर्ण सिंह सोधी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वांगीण औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय उत्पादन व्यवस्था तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले लघु उद्योग आवश्यक हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) और (ख) : बड़े और छोटे दोनों प्रकार के उद्योगों की देश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका है । 30 अप्रैल, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में भारी उद्योगों, विस्तारशील सरकारी क्षेत्र और लघु उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया गया है । विकेन्द्रित क्षेत्र आत्मनिर्भर बनने में पर्याप्त सक्षम हो यह निश्चय करना सरकारी नीति का उद्देश्य है और इसका विकास बड़े उद्योगों के साथ जुड़ा हुआ है ।

मशीनी औजार उद्योग

2192. **श्री पी० गंगा देव :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय मशीनी औजारों के आयात में कमी करने के बारे में कोई कदम उठा रहा है ;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रहा है कि मशीनी औजार उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) गत दो दशाब्दियों में सरकार द्वारा मशीनी औजारों का उत्पादन देशी साधनों से करने के लिए किये गये सतत प्रयत्नों के फलस्वरूप, केवल उन्हीं मशीनी औजारों का कम संख्या में आयात किया जा रहा है, जिनका निर्माण करना देश की आवश्यकताओं को देखते हुए लाभप्रद नहीं है ।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा उठाये गये कदमों जिनमें आद्यरूपों, ड्राइंग और डिजाइनों, विविधीकरण, नकद सहायता और आयात पुनर्भरण जैसी उदार नीति सम्मिलित हैं, के फलस्वरूप मशीनी औजारों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। आशा है कि पांचवी योजना के अंत तक 14 करोड़ रु० के मूल्य के मशीनी औजारों का निर्यात होगा ।

उद्योगों की विविधीकरण के लिये सुविधायें

2193. **श्री राजदेव सिंह**: क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुने गए 29 उद्योगों वाले औद्योगिक उपक्रमों को उसकी अधिष्ठापित क्षमता को पूर्ण उपयोग की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है,

(ख) यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं,

(ग) क्या सरकार ने औद्योगिक मशीनरी इस्पात की ढलवां वस्तुओं, मशीनी औजारों और इस्पात की गढ़ी हुई (स्टील फोर्जिंग) वस्तुओं के निर्माताओं को विविधीकरण की सुविधाएं दी हैं, और

(घ) कारों के निर्माताओं को बनक दी गई विविधीकरण सुविधाओं का क्या परिणाम निकला ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) मुद्रा स्फीति रोकने और अधिष्ठापित क्षमताओं के और अधिक उपयोग करने के दुहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बावजूद इसके कि 29 विशिष्ट लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक होते हुए भी अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाए। फिर भी, एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेंसिंग के उपबंधों से छूट नहीं दी गई है और इन उपक्रमों को अपने आवेदन पत्र प्रशासनिक मंत्रालयों को विचार हेतु देने होंगे। इस प्रकार के मामलों में स्वीकृति देते समय, प्रशासनिक मंत्रालय ऐसी शर्तें लगा सकता है जैसी कि वह उपयुक्त और आवश्यक समझे तथा ये उस अतिरिक्त उत्पादन के संबंध में होंगी जो अतिरिक्त देशी अथवा आयातित उपकरण लगाए बिना अधिष्ठापित क्षमता के और अधिक उपयोग से प्राप्त की गई है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) एक यात्री कार निर्माता को यात्री कारें बनाने के लिए संपूर्ण स्वीकृति क्षमता के अंदर सामान्य उपयोग की गाड़ियां बनाने की अनुमति दे दी गई है।

T.V. Centre in Jaipur

2194. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the time by which a T.V. Centre in Jaipur is likely to be set up; and

(b) the manner in which the State Government proposes to extend their co-operation in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) As part of the scheme to provide TV transmission to SITE areas after withdrawal of NASA Satellite a TV transmitter is likely to be set up in Jaipur in early 1977.

(b) The State Government normally extend their cooperation in the matter of acquisition of SITE and extension of power supply.

Rural Electrification in Rajasthan

*2195. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the names of the villages in Udaipur area of Rajasthan proposed to be electrified under the various programmes of the Rural Electrification Corporation for 1975-76;

(b) nature of assistance being provided by the State Government in this regard; and

(c) the time by which this work is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) During 1975-76, the Rural Electrification Corporation Ltd. sanctioned to the Rajasathan State Electricity Board loan assistance amounting to Rs. 81.305 lakhs for two schemes for rural electrification in Udaipur district. The names of the villages included under these schemes are given in the Statements enclosed (Annexures I and II) [Placed in Library. See No. L.T.-10648/76].

(b) The full financial outlay required for these schemes has been sanctioned by the Corporation as loan assistance. No assistance from State Government is envisaged.

(c) The schemes are phased for completion over a period of 4 years from commencement. They are likely to be completed by the end of 1979-80.

Electrification of Wells in Rajasthan

*2196. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state the number of villages together with the number of wells therein, Tehsil-wise; in Rajasthan where electrification of wells under the programme of Rural Electrification Corporation is in progress ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : The Rural Electrification Corporation Ltd. has sanctioned 88 area-based projects of Rajasthan State Electricity Board and one rural electric cooperative project. These schemes envisage energisation of 70,455 agricultural pump sets in 5,477 villages.

The different schemes sanctioned cover extension of electricity including energisation of pump sets in villages in one or more Tehsils or Panchayat Samithis. District-wise details are as under :—

District	No. of villages	No. of pumpsets
Ajmer	283	3468
Alwar	411	5316
Banswara	315	1697
Bharatpur	449	5829

District	Number of villages	o. of pumpsets
Bhilwara	225	4888
Bundi	67	340
Chittorgarh	343	5961
Dungarpur	64	1437
Jaipur	603	9549
Jalore	59	520
Jhunjhunu	143	1379
Jhalawar	158	2362
Jodhpur	44	240
Kota	415	5461
Nagaur	171	1903
Pali	364	3145
Swaimadhopur	176	2674
Sikar	200	2846
Sirohi	329	1747
Sriganganagar	34	574
Tonk	129	3058
Udaipur	495	6061
	5477	70455

Rustam Tractor Factory, Bahadurgarh (Haryana)

2197. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether the Rustam Tractor Factory at Bahadurgarh (Haryana) is producing tractors for small farmers;

(b) the total expenditure incurred and time taken in building this factory;

(c) the annual production capacity thereof; and

(d) the number of tractors sold to farmers in 1975 together with the price thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) Total expenditure of about Rs. 5 lakhs has been incurred. It took two years in the construction of the factory.

(c) 120 tractors per annum.

(d) They sold 54 tractors during 1975 at an ex-factory price of Rs. 10,500/- per tractor.

भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा "पिक्चर ट्यूब ग्लास शैल" फैक्टरी की स्थापना

2198. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **इलैक्ट्रॉनिकी** मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र में पिक्चर ट्यूब ग्लास शैल फैक्टरी की स्थापना के बारे में 21 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2984 के उत्तर में सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलोर द्वारा एक पिक्चर ट्यूब ग्लास शैल फैक्टरी की स्थापना करने का निर्णय कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रॉनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) दूर दर्शन पिक्चर ट्यूबों के वास्ते ग्लास शेलों के विनिर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता पर जब तक पूंजीनिवेश के बारे में कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता, तब तक इस संबंध में औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मै० भारत इलैक्ट्रॉनिकी लिमिटेड की ओर से प्राप्त आवेदन-पत्र के प्रकरण को 'समाप्त' ही समझ लिया गया है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बिजली की दर निर्धारण नीति को युक्तियुक्त बनाना

2199. **श्री बसन्त साठे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को बिजली की दर-निर्धारण नीति को युक्तियुक्त बनाने के लिए निर्देश दिये हैं ताकि सरकारी क्षेत्र के इन एककों को उतनी आय हो सके जो उनके बड़े पैमाने के विस्तार कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त हो ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) राज्य बिजली बोर्डों के लिए इतना प्रतिफल सुनिश्चित हो जाए कि वे जीवन क्षम हो सकें, यह बात सुनिश्चित करने के लिए इन बोर्डों की राजस्व आय बढ़ाए जाने के महत्व को केन्द्र और राज्य सरकारों ने समान रूप से स्वीकार किया है। बैठकों और परिचर्चाओं में इस बात पर सहमति हो गई है कि बिजली बोर्ड अपनी कार्य प्रणाली में सुधार कर सके, इस हेतु अपने आंतरिक साधन बढ़ाने के लिए उन्हें टैरिफों में संशोधन करने, अधिकतम उत्पादन करने, बकाया राशियों की वसूली करने कुशलतापूर्वक कार्य संचालन करने, और मांग सूचियां कम करने जैसे उपाय अपनाने की आवश्यकता है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर अधिकांश राज्य बिजली बोर्डों ने अपनी टेरिफों में संशोधन करके दरें बढ़ा दी हैं।

Setting up of Thermal Power Stations near Coal Mines

*2200. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of Energy be pleased to state:

(a) whether Government have decided to set up thermal power stations near coal mines;

(b) if so, the names of the places where such thermal power stations are proposed to be set up; and

(c) production capacity of each of these thermal power stations ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) It is proposed to initially establish, in the Central Sector and in a phased manner, one large pithead thermal station each in the Northern, Western, Eastern and Southern Regions at the following sites :

(i) Singrauli (Northern Region)	2000 MW
(ii) Korba (Western Region)	2000 MW
(iii) Farakka (Eastern Region)	1000 MW
(iv) Neyveli/Ramagundam (Southern Region)	1000 MW

Survey of Eastern U.P. for setting up Industries

2201. **Shri Nageshwar Dwivedi :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether any survey has been conducted of the Eastern Uttar Pradesh from industrial point of view and if so, the districts found suitable for setting up industries, together with the names of such industries, district-wise; and

(b) the districts in Eastern Uttar Pradesh where Government propose to establish industries in public sector, together with their names ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : (a) and (b) Industrial potential surveys of all districts of Eastern U.P. have been conducted by National Council of Applied Economic Research. The surveys have revealed that these Districts have local Agricultural, Livestock and Forest resources. The following industries are proposed to be set up by the State Government in the joint sector, viz., Billets manufacture, Graphite Electrodes, Light Roofing, Pottery Unit and Sugar Mills. In the Public Sector, the Government propose to set up Spinning Mills, Fire Clay Units and Shoddy Yarn Unit.

The Study Team of the Industrial Development Bank of India, in their industrial potential survey report on U.P., has also recommended the setting up of various industrial projects in different districts of U.P. The information is given on pages 140—148 and 283—293 in the "Handbook of Information of Industrial Development of Backward Regions" (July, 1974) brought out by the IDBI.

कोयला खान प्राधिकरण के अन्तर्गत सहायक उद्योग विकास कक्ष की स्थापना

2202. **श्री के०एम० मधुकर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण के अंतर्गत सहायक उद्योग विकास कक्ष (सैल) की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) व (ख) : जी हां, कोयला उद्योग द्वारा उद्योगों के विकास हेतु सरकार ने जुलाई, 1975 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) नियम, 1976

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) नियम, 197[illegible] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 27 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 4[illegible]5 में प्रकाशित हुए थे

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 103[illegible]/7[illegible]]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 429 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 27 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 19 फरवरी, 1975 की अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 272 के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 10641/76]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1964 के अधीन अधीसूचनाएं

वित्त मंत्रालय उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०सां०नि० 252(ङ) जो दिनांक 25 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) अधिसूचित माल (विधि विरुद्ध आयात निवारण) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 3 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 277(ङ) में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 10642/76]

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 439 और सा०सां०नि० 440 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 10643/76]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशील रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 62-सीमा शुल्क [सा०सां०नि० 288(ङ)] और 63-सीमा शुल्क [सा०सां०नि० 289(ङ)] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 7 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 10644/76]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चसनाला खान में दो सर्वेक्षकों और तीन चेनमैनों की मृत्यु

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : श्रीमान्, मैं इस्पात और खान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"चसनाला खान में 5 अप्रैल, 1976 को दो सर्वेक्षकों और तीन चेनमैनों की मृत्यु हो जाने के समाचार तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

विश्व भर की खान दुर्घटनाओं में चसनाला खान दुर्घटना सबसे बड़ी दुर्घटना है । यह दुर्घटना अभी ताजा ही थी कि एक और दुर्घटना हो गई । इससे पता चलता है कि मानव जीवन और कोयला खान मज़दूरों की सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रशासन एवं सरकार का बर्ताव कितना बुरा और दरावपूर्ण है । प्रायः आये दिन समाचार-पत्रों में खान दुर्घटनाओं के समाचार पढ़ने को मिलते हैं । इससे स्पष्ट है कि पूंजीवादी और नौकरशाही दृष्टिकोण अभी बदला नहीं है । कोयला खान प्रबन्धकों और सरकार ने चसनाला खान दुर्घटना से कोई सबक नहीं लिया ।

चसनाला खान में पानी कहां से आता है और खान में इतना मलवा कैसे पहुंच गया । स्पष्ट है कि मलवा वहीं डाल दिया जाता होगा और पानी वहां रिसता रहता है ।

खान में जाने से पूर्व श्रमिकों ने मांग की थी कि उन्हें खान में भेजने से पूर्व खान का पानी निकाला जाये । क्या उन्होंने शिकायत की थी ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या थी । श्रमिकों को खान से पानी निकालने से पूर्व अन्दर जाने के लिए मज़बूर क्यों किया गया ? खान में पानी के रिसने सम्बन्धी शिकायतें तो पहले भी की गयी थीं । पर अब सारी बात को छुपाने के लिए बहाने बनाये जा रहे हैं । यह गम्भीर उपेक्षा है और लापरवाही है ।

पिछले दिनों सुरक्षा एवं उत्पादन पखवाड़ा मनाया गया । मुझे जानकारी मिली है कि इस अवधि के दौरान बहुत सी दुर्घटनाएं हुईं और कई आदमी मारे गये । सुरक्षा उपायों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । यह भी बताया गया है कि दुर्भाग्य से ये लोग खान में फंस कर मरे हैं । और इन्होंने जांच न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण साक्षियां देनी थीं । इससे सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या इसमें कोई षड़यन्त्र तो नहीं । क्या इन लोगों को खान में भेजने से पूर्व खान सुरक्षा महानिदेशालय की अनुमति ले ली गई थी ।

दुर्भाग्य से आज तक भी दो लाशें नहीं मिली हैं । सरकार यह बताये कि इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : सदस्य महोदय आप लोग जानते हैं कि यह खान जमींदोज है इसलिए इसमें काम करना अत्यन्त कठिन है । उस खान में बहुत महत्वपूर्ण दल भेजे

गये हैं जो यह पता लगा सके कि वहां सुरक्षा की स्थिति कैसी है । खान सुरक्षा निदेशालय के भी चार या पांच दल भी भेजे गये हैं ताकि उस जगह का पता चल सके जहां दुर्घटना हुई थी जहां पंकचर हुआ था और आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो । खान सुरक्षा महानिदेशक ने सर्वेक्षण के आदेश दिये थे ताकि पता चले कि बांध कहां बनाया जाये, पानी का आना कैसे बन्द किया जाये, क्या उपाय किये जायें, आदि । इस विशेष क्षेत्र संख्या 4 में मज़दूर काम नहीं कर रहे थे । यह जानना था कि दीवार की मोटाई कितनी है । यह दीवार पुरानी खान तथा त्यागी गई खान के बीच में है । यह सर्वेक्षण जरूरी था । परन्तु दुर्भाग्य से दूसरी दुर्घटना फिर हो गई । जैसा कि मैं कह चुका हूं लोग अपनी जान पर खेल कर भी यह कार्य कर रहे हैं । पानी निकालने और राहत कार्य करते हुए भी जान की परवाह किसी ने नहीं की ।

सदस्य महोदय ने स्वयं कहा है कि पानी रिसता रहता है । लाखों गैलन पानी रिसकर आ जाता है । यह प्रक्रिया जारी रहती है । इसे रोकने के लिए बांध का निर्माण बहुत जरूरी है ।

पिछली दुर्घटना के बाद से सुरक्षा सम्बन्धी कई उपाय किये गये हैं । तीन उच्च अधिकारियों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबन्धक और खान प्रबन्धक को छुट्टी पर भेज दिया गया है और नये कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त किया गया है । दुर्भाग्य से दुर्घटना फिर हो गयी ।

माननीय सदस्य ने शिकायतों का जिक्र करते हुए कहा कि मलवा नहीं इकट्ठा होने देना चाहिये था । इन सब बातों की जांच जांच न्यायालय करेगा । उनके सामने सारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जायेगा । इस समय यह कहना कठिन है कि क्या शिकायतें की गई थीं । लेकिन हमने तुरन्त प्रभारी अधिकारी को छुट्टी पर भेजा है और अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं ।

***श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर)** : चसनाला दुर्घटना में सैकड़ों मज़दूर मारे गये और यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस दुर्घटना के चार या पांच महीने बाद उसी खान में एक और दुर्घटना हो गई जिसमें 5 खनिक मारे गये ।

इस सभा को आश्वासन दिया गया था कि अब बहुत से उपाय किये गये हैं लेकिन फिर भी दुर्घटना में 5 आदमी और मारे गये । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पानी वाली खान में 8 सदस्यों का सर्वेक्षण दल भेजने से पूर्व सुरक्षा उपाय किये गये थे या बाद में । दूसरे इस खान में विश्व बैंक ने भी करोड़ों रुपये लगाये हैं और इसके सर्वेक्षण का मूल मानचित्र विदेशी विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया था । यह कहा जा रहा है कि उस नक्शे में कुछ दोष रह गये थे जिनके कारण पहली दुर्घटना हुई थी । दीवार की मोटई कितनी थी । क्या इन बातों की जांच की जा रही है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : सदस्य महोदय ने जो बातें कहीं हैं उनकी जांच तो जांच न्यायालय करेगा । इस समय कुछ कहना मेरे लिए उचित न होगा ।

श्री वीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : दुर्घटना के पिछले मामले में स्थायी मज़दूरों के ही नाम बताये गये थे । इससे यह सन्देह पैदा होता है कि जांच न्यायालय केवल उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जांच करेगा जिनके नाम दिये गये हैं और ठेकेदारों द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के बारे में कोई जांच न होगी।

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version of English translation based on the speech delivered in Bengali.

इस विशेष मामले में और पिछले मामले के सम्बन्ध में भी मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नैमित्तिक मजदूरों को भी खान में भेजा गया था । ये नैमित्तिक मजदूर अधिकतर अनुसूचित जातियों के होते हैं । उनके मामले में लापरवाही अवश्य बरती जाती है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : इस बार खान में जाने वाले सर्वेक्षण दल में 8 व्यक्ति थे । हमारे पास सभी के नाम हैं । इससे अधिक आदमी नहीं गये । पिछले मामले में दुर्घटना से शिकार होने वालों की संख्या 375 थी । ठीक-ठीक संख्या का पता लगाने के लिये सभी सम्भव उपाय किये गये थे । ये नाम स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य पत्रों में भी प्रकाशित किये गये थे । अन्य राज्यों को भी सन्देश भेजे गये और जानकारी दी गई । यह संख्या बिल्कुल ठीक है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं कोई प्रश्न पूछने से पहले चाहता हूं कि मंत्री जी मद संख्या 6 में, जिसमें कहा गया है कि "यह सभा सन्तप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपना दुःख प्रकट करती है" यह पैरा और जोड़ दिया जाये--

> "इस निकम्मी की प्रबन्ध व्यवस्था के विरुद्ध, जिसके कारण यह सब कुछ हुआ और जिसकी लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई, हम भारी रोष और क्रोध प्रकट करते हैं ।"

मंत्री जी ने कहा है कि लगातार पानी रिसता रहता है और यह पानी वाली खान है । जांच न्यायालय जांच कर रहा है और फिर एक और दुर्घटना हो जाती है । चूंकि पानी वहां तेजी से आया और मलवे को साथ बहा ले गया जिसके कारण ये निरीह बदकिस्मत लोग मारे गये । आप केवल किसी एक अधिकारी के कहने पर विश्वास न करें बल्कि व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि अब खतरा है या नहीं । आपने यह जानते हुए भी कि पानी आ रहा है, लोगों को खान के अन्दर भेज दिया । क्या आप सभा को इस बारे में कोई आश्वासन देंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव : जैसा मैंने कहा इस समय मुख्य प्रश्न यह है कि भविष्य में दुर्घटनायें न हों । हमें पूरी खान में दीवार की मोटाई नापनी है और पता लगाना है कि बांध कहां बनाया जाये । अतः सर्वेक्षण कराना अत्यन्त आवश्यक है । लेकिन दुर्भाग्य से यह दुर्घटना हो गई । कोई भी सरकार शत प्रतिशत गारन्टी तो ले नहीं सकती कि दुर्घटना नहीं होगी । मैं तो यही गारन्टी दे सकता हूं कि सभी सम्भव सुरक्षात्मक उपाय किये जायेंगे । पहले ही कई उपाय किये जा चुके हैं । सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद विश्व भर में ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं । इस खान को त्याग देने का भी कोई विचार नहीं है ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

92वां प्रतिवेदन

श्री आर० के० सिन्हा : (फैजाबाद) : मैं रेल मंत्रालय--रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं पर प्राक्कलन समिति के 77वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा दी गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 92वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

203वां प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल)--राजस्व प्राप्तियां, खण्ड 1, अप्रत्यक्ष कर के अध्याय 1 के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 135वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 203वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

संयुक्त समिति
JOINT COMMITTEE

एक सदस्य का निर्वाचन करने के लिये राज्य सभा में सिफारिश

श्री पट्टाभिराम राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में, श्री वेनीगल्ल सत्यनारायण के राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थान पर अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा का एक सदस्य निर्वाचित करें तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में, श्री वेनीगल्ल सत्यनारायण के राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थान पर अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा का एक सदस्य निर्वाचित करें तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

समिति के लिये निर्वाचन
ELECTION & COMMITTEE

प्राक्कलन समिति
Estimates Committee

श्री आर० के० सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1976 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1976 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

लोक लेखा समिति

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1976 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करे ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1976 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1976 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1976 से आ र भ होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312-ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1976 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करे ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312-ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1976 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1976 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1976 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अनुदानों की मांगे 1976-77
DEMANDS FOR GRANTS, 1976-77

विदेश मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब विदेश मंत्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 32 पर चर्चा तथा मतदान होगा, जिसके लिए छः घन्टे नियत किये गये हैं ।

विदेश मंत्रालय की वर्ष 1976-77 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं:

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
1	2	3	4
		रु०	रु०
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय		
1.	कृषि विभाग	1,79,16,000	
2.	कृषि	54,23,73,000	4,63,71,62,000
3.	मीन उद्योग	9,79,18,000	1,36,12,000
4.	पशुपालन और डेरी विकास	30,72,57,000	3,21,66,000
5.	वन	8,83,12,000	66,67,000
6.	खाद्य विभाग	3,10,46,92,000	19,56,92,000
7.	ग्राम विकास विभाग	58,75,09,000	5,87,80,000
8.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	6,27,000	..
9.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की अदायगियां	37,92,19,000	
10.	सिंचाई विभाग	11,23,54,000	5,65,42,000
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
11.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	26,67,000	..
12.	रसायन और उर्वरक उद्योग	16,46,000	4,09,96,49,000
	वाणिज्य मंत्रालय		
13.	वाणिज्य मंत्रालय	83,67,000	..
14.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	1,74,97,39,000	3,20,32,37,000
	संचार मंत्रालय		
15.	संचार मंत्रालय	1,16,57,000	6,96,67,000
16.	विदेश संचार सेवा	7,77,42,000	6,04,08,000
17.	डाक और तार—कार्यकरण व्यय	4,61,74,58,000	..
18.	डाक और तार—सामान्य राजस्व को लाभांश, प्रारक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व से उधारों की वापसी	1,28,34,77,000	..

1	2	3	4
		रु०	रु०
19.	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय		1,76,73,33,000
	रक्षा मंत्रालय		
20.	रक्षा मंत्रालय .	1,38,97,000	23,88,05,000
21.	रक्षा सेवाएं—सेना .	13,74,79,78,000	..
22.	रक्षा सेवाएं—नौसेना	1,40,18,53,000	
23.	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	4,26,42,04,000	
24.	रक्षा सेवाएं—पेंशनें .	95,46,87,000	..
25.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय .		2,16,02,17,000
	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय		
26.	शिक्षा विभाग	1,19,51,000	..
27.	शिक्षा .	1,35,80,94,000	38,93,000
28.	समाज कल्याण विभाग	11,31,90,000	..
	ऊर्जा मंत्रालय		
29.	ऊर्जा मंत्रालय .	44,35,000	..
30.	विद्युत विकास .	45,99,05,000	91,00,50,000
31.	कोयला और लिग्नाइट	18,62,20,000	228,95,01,000
	विदेश मंत्रालय		
32.	विदेश मंत्रालय	79,25,95,000	8,95,83,000
	वित्त मंत्रालय		
33.	वित्त मंत्रालय	28,16,17,000	..
34.	स्टाम्प	14,94,11,000	1,53,54,000
35.	लेखा परीक्षा .	54,15,50,000	..
36.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	33,90,73,000	19,92,56,000
37.	पेंशनें	52,50,00,000	..
38.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को अन्तरण	2,66,61,49,000	..
39.	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय . .	1,37,42,57,000	1,74,67,77,000
40.	सरकारी सेवकों आदि को उधार .	..	38,16,67,000
	राजस्व और बैंकिंग विभाग		
41.	राजस्व और बैंकिंग विभाग .	3,98,54,000	69,59,86,000
42.	सीमा शुल्क	20,74,71,000	..

1	2	3	4
43.	संघ उत्पाद शुल्क	35,70,83,000	
44.	आय पर कर, सम्पदा शुल्क, धनकर और दानकर	34,16,67,000	..
45.	अफीम और एल्कलाइड फैक्टरियां	5,55,67,000	56,14,000
	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय		
46.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय .	57,68,000	..
47.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य . .	73,46,08,000	36,11,83,000
48.	परिवार नियोजन	63,52,42,090	8,33,000
	गृह मंत्रालय		
49.	गृह मंत्रालय . .	1,80,53,000	..
50.	मंत्रिमण्डल .	1,05,35,000	..
51.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	6,16,72,000	1,25,000
52.	पुलिस	1,57,34,03,000	2,50,00,000
53.	जनगणना .	3,07,18,000	..
54.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	1,13,76,43,000	31,09,36,000
55.	दिल्ली	93,54,37,000	41,65,24,000
56.	चण्डीगढ़ . . .	13,44,54,000	5,09,48,000
57.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	17,65,08,000	8,08,58,000
58.	दादरा और नागर हवेली	1,57,22,000	1,13,04,000
59.	लक्षद्वीप . .	2,65,68,000	90,25,000
	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
60.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय .	2,83,31,000	..
61.	उद्योग . .	18,09,47,000	1,23,02,93,000
62.	ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	27,32,48,000	28,05,79,000
63.	नागरिक पूर्ति और सहकारिता	5,60,98,000	23,36,33,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
64.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय . .	35,78,000	..
65.	सूचना और प्रचार .	12,39,89,000	96,25,000
66.	प्रसारण	33,66,16,000	17,78,44,000

1	2	3	4
	श्रम मंत्रालय		
67.	श्रम मंत्रालय	60,00,000	..
68.	श्रम और रोजगार	36,67,31,000	8,23,000
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय		
69.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	18,27,70,000	..
70	न्याय प्रशासन .	27,06,000	
	पैट्रोलियम मंत्रालय		
71.	पेट्रोलियम मंत्रालय . .	38,27,000	..
72.	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग	46,21,66,000	2,39,55,27,000
	योजना मंत्रालय		
73.	योजना मंत्रालय	5,88,000	
74.	सांख्यिकी .	8,47,19,000	..
75.	योजना आयोग . .	3,92,59,000	..
76.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	9,00,93,000	1,24,17,000
77.	भारतीय सर्वेक्षण . . .	14,81,57,000	
78.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अनुदान	37,03,23,000	
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
79.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	2,04,93,000	
80.	सड़कें	67,22,12,000	69,00,68,000
81.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन .	20,75,67,000	1,72,60,36,000
82.	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	89,53,000	10,14,53,000
	इस्पात और खान मंत्रालय		
83.	इस्पात विभाग	44,04,41,000	3,26,36,25,000
84.	खान विभाग	23,75,000	..
85.	खानें और खनिज .	30,04,63,000	83,52,62,000
	पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय		
86.	पूर्ति विभाग . .	19,[illegible]	..
87.	पूर्ति और निपटान . .	6,35,30,000	..
88.	पुनर्वास विभाग . . .	20,38,22,900	[illegible],88,[illegible],000

1	2	3	4
	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय		
89.	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	39,78,000	
90.	मौसम विज्ञान . . .	9,39,43,000	1,69,33,000
91.	विमानन	22,34,19,000	21,19,02,000
92.	पर्यटन	3,21,57,000	3,56,17,000
	निर्माण और आवास मंत्रालय		
93.	निर्माण और आवास मंत्रालय . .	49,42,000	..
94.	लोक निर्माण	47,55,35,000	12,29,30,000
95.	जलपूर्ति और मल निकासी . . .	1,11,13,000	
96.	आवास और शहरी विकास . .	8,42,03,000	16,89,40,000
97.	लेखन सामग्री और मुद्रण	23,81,09,000	
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
98.	परमाणु ऊर्जा विभाग .	36,68,000	..
99.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान विकास	44,13,46,000	77,58,29,000
100.	न्यूकलीय विद्युत स्कीमें . .	32,10,25,000	45,94,66,000
	संस्कृति विभाग		
101.	संस्कृति विभाग . .	6,27,17,000	
102.	पुरातत्व . . .	5,04,24,000	
	इलैक्ट्रानिक्स विभाग		
103.	इलेक्ट्रानिक्स विभाग .	6,46,44,000	1,85,41,000
	अन्तरिक्ष विभाग		
104.	अन्तरिक्ष विभाग. . . .	28,09,37,000	5,99,16,000
	संसद, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
105.	लोक सभा .	3,69,14,000	..
106.	राज्य सभा . .	1,54,65,000	
107.	संसदीय कार्य विभाग .	16,43,000	
108.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय . . .	4,77,000	..

श्री समर मुखर्जी : पिछली बार विदेशी मामलों पर हुई चर्चा के बाद से दक्षिण पूर्व एशिया में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं--वियतनाम और कम्बोडिया से अमरीकी साम्राज्यवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इस हार से अमरीकी साम्राज्यवाद ने कोई सबक सीखा है । विश्व भर में अपनी सर्वोच्च स्थिति बनाए रखने के लिए वे इस पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं । इसीलिए वे किसी न किसी तरीके से अन्य देशों, विशेषकर दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के आर्थिक और राजनीतिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं ।

अपनी उपस्थिति अनुभव कराने तथा उन पर हावी होकर उनके मामलों में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से वे देशों में, विशेषकर तीसरी दुनिया के गुट निरपेक्ष देशों में तनाव पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं और युद्ध का वातावरण बनाने के लिए उत्तेजना फैला रहे हैं ।

बंगलादेश और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर भारत विरोधी प्रचार की अपनी पृष्ठ भूमि है और इसके लिए अकेले अमरीकी साम्राज्यवाद को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते क्योंकि पड़ोसी देशो में तनाव पैदा करने के लिए अमरीकी साम्राज्यवाद प्रतिक्रियावादी शक्तियों का उपयोग कर रहा है, जिससे यह इसका लाभ उठा कर उन्हें अपने हथियार बेच सके ।

अब यह कोई रहस्य नहीं रह गया है कि अमरीका अपनी सभी एजेन्सियों और सी० आई० ए० का उपयोग उन विभिन्न देशों में लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने और सरकारों को गिराने में कर रहा है, जो अपनी नीतियां बदलने को तैयार नहीं है । पर दुर्भाग्यवश हमारी सरकार अमरीकी सहायता और सहयोग पर निर्भर करती है ।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि दोनों ही बड़ी शक्तियां अंगोला और अफ्रीकी और एशिया के कुछ देशों तथा पुर्तगाल आदि में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है । अमरीकी साम्राज्यवाद और सोवियत संघ की इस प्रकार समानता करना गलत है । जबकि सोवियत संघ अंगोला के स्वतंत्रता आन्दोलन का समर्थन कर रहा है अमरीकी इसके सर्वथा खिलाफ हैं ।

प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि हमने अप्रैल 1975 में दक्षिण वियतनाम सरकार को मान्यता दे दी थी । वियतनाम से अमरीकी साम्राज्यवाद के पूर्णत: समाप्त होने पर ही हमारी सरकार ने दक्षिण वियतनाम की क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता दी । तो क्या इसका श्रेय उन्हें दिया जाए ? अन्य देशों ने उसे बहुत पहले मान्यता दे दी थी । फिर भी यह कहा गया है कि हमारी प्रधान मंत्री को समय चुनने की बड़ी समझ है ।

प्रतिवेदन में आगे कहा गया है कि समाजवादी तथा अन्य गुट निरपेक्ष देशों द्वारा पेश किए गए राष्ट्र संघ के दक्षिण कोरिया से तुरन्त अमरीकी सेनाएं हटाए जाने सम्बन्धी संकल्प पर मतदान में हमने सिद्धान्त के आधार पर भाग नहीं लिया । वह सिद्धान्त क्या है ? मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें ।

भारत सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को और अधिक रियायतें दे रही है । आपात स्थिति की घोषणा के तुरन्त बाद प्रधान मंत्री ने अपने पहले वक्तव्य में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े व्यापारियों को यह आश्वासन दिया कि उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा । निर्यात को बढ़ावा देने के नाम पर उन्हें पूरा अवसर प्रदान किया गया । तटदूर छिद्रण में भी उनका सहयोग बड़े पैमाने में लिया जाएगा । उन्हें इस बात का विश्वास है कि और अधिक जोर डाल कर वे भारत सरकार के रुख को अमरीकी साम्राज्यवाद के प्रति और उदार बना देंगे ।

विदेशी मुद्रा अधिनियम का पुनरीक्षण करने की मांग की गई है । यह एक बहुत बड़ा खतरा है जिसके लिए पर्याप्त चेतावनी दी जानी चाहिए तथा भारत की समस्त जनता को जागरूक रहना चाहिए। भारत सरकार को विश्व भर में बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों से उचित पाठ लेना चाहिए ।

मैं अंगोला सरकार को मान्यता देने और पुनर्निर्माण के लिए मोजम्बीक को वित्तीय सहायता देने की इच्छा के लिए भारत सरकार के रुख का स्वागत करता हूं । हम यह भी चाहते हैं कि भारत सरकार वियतनाम को भी उसके पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दे । भारत सरकार पाकिस्तान और बंगला देश से ही नहीं वरन् चीन से भी अपने सम्बन्ध सुधारने के लिए नीति सम्बन्धी निर्णय ले । चीनी साहित्य पर से तुरन्त सीमा प्रतिबन्ध हटाया जाए । यह एक अच्छी प्रतिक्रिया होगी तथा भारत सरकार को अपनी ओर से ही चीन को राजदूत भेजना चाहिए और ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे बातचीत की जा सके और सम्बन्ध सुधार सकें ।

विदेश मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
32	1	**श्री भोगेन्द्र झा**	राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध-विच्छेद करने में असफलता	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
32	2	,,	अमरीका द्वारा दिएगो गार्सिया को आणविक तथा अन्य घातक शस्त्रों से लैस अड्डे के रूप में विकसित करने के कार्य को शत्रुतापूर्ण घोषित न करना	,,
32	3	,,	वियतनाम लाओस कम्बोडिया और अंगोला जैसे युद्ध से नष्ट हुए देशों के पुनर्निर्माण के लिये शीघ्र तथा प्रभावी सहायता देने की आवश्यकता	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जायें।
32	4	,,	एशिया की सामूहिक सुरक्षा के सम्बन्ध में पहल करने की आवश्यकता	,,
32	5	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	विदेशों में भारतीय दूतावासों द्वारा सरकारी धन की फजूलखर्ची बन्द करने में असफलता	राशि घटा-कर 1 रु० कर दी जाए
32	6	,,	समाजवाद, गुटनिरपेक्षता, शान्ति, मित्रता तथा एकता की राष्ट्रीय नीतियों के प्रति अटूट निष्ठा वाले व्यक्तियों का नया राजनयिक संवर्ग बनाने में असफलता	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
32	7	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	अमरीकी दूतावास में काम कर रहे उन अमरीकी राजनयिकों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करने में असफलता, जिनके विरुद्ध सी० आई० ए० एजेंट होने का आरोप है।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
32	8	,,	भारत और वियतनाम के लोकतंत्रीय गणराज्य तथा दक्षिण वियतनाम गणराज्य के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के विकास द्वारा मित्रता के सम्बन्ध घनिष्ठ करने के लिये ठोस पहल करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32	9	,,	"अस्थिरता पैदा करो" की अमरीकी साम्राज्यवादी नीति के पृथककरण के लिये राजनयिक स्तर पर पहल करने की आवश्यकता ।	,,
32	10	,,	भारत और कोरिया के जनवादी लोकतंत्रीय गणराज्य के बीच सहयोग और बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
32	11	,,	फलस्तीन के लोगों के राष्ट्रीय स्वाधीनता के आन्दोलन में सहायता देने के लिये ठोस कदम उठाने की आवश्यकता ।	,,
32	12	,,	अफ्रीका के देशों तथा वहां की जनता की रंगभेद तथा जातिवाद के विरुद्ध उनके संघर्ष में तथा दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी रोडेशिया को स्वाधीन कराने के लिये अधिक सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
32	13	,,	अफ्रीका में राजनयिक आधार पर अधिक प्रभावपूर्ण पहल करने की आवश्यकता ।	,,
32	14	,,	एशिया में शान्ति तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एशिया की सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
32	15	,,	हिन्द महासागर को ब्रिटिश-अमरीकी डियागोगार्सिया में आणविक सैनिक अड्डे की स्थापना के ब्रिटिश-अमरीकी प्रयास के विरुद्ध शान्ति का क्षेत्र बनाये रखने के पक्ष में विश्व जनमत तैयार करने के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी स्तर पर पहल करने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
32	16	श्री सी के० चद्रापन	राजनीतिक बन्दियों के विरुद्ध चिल्ली की सैनिक सरकार के बर्बरता पूर्ण व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
32	17	,,	लुईकोरवालन लुई कोरवालन जो चिल्ली की कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री हैं और जो चिल्ली के बन्दी शिविर में सड़ रहे हैं, को विश्व लोक राय के साथ मिलकर मुक्ति दिलाने के लिये अपने प्रभुत्व का प्रयोग करन की आवश्यकता ।	,,
32	18	श्री रामावतार शास्त्री	डियागोगर्सिया में अमरीका द्वारा अणविक अड्डा बनाने की कार्यवाही को शत्रुतापूर्ण घोषित कार्यवाही करने में विफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
32	19	,,	राष्ट्रमंडल की सदस्यता से नाता तोड़ने में विफलता	
32	20	,,	एशिया की सुरक्षा के लिए एक निश्चित नीति अपनाने तथा उसके लिए पहल करने की आवश्यकता ।	
32	21	,,	समाजवादी देशों के साथ मिलकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध सघर्ष करने की आवश्यकता ।	
32	22	,,	बंगला देश की सरकार द्वारा भारत विरोधी प्रचार का जोरदार खंडन की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
32	23	,,	पाकिस्तान की भारत विरोधी नीतियों के बावजूद शिमला समझौते के अनुसार मित्रता कायम रखने के लिए सतत प्रयास की आवश्यकता ।	
32	24		चीन का भारत विरोधी नीति बावजूद मित्रता स्थापित करने सम्बन्धी प्रयास जारी रखने की आवश्यकता ।	
32	25		विदेशों में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिये और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता ।	
32	26		पटना में पार-पत्र (पास पोर्ट) कार्यालय खोलने की आवश्यकता ।	
32	27		डियागोगार्सिया में स्थापित अमरीकी आणविक अड्डे के विरुद्ध तटवर्ती देशों का सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता ।	
32	28		पासपोर्ट देने में होने वाले अनावश्यक विलम्ब को समाप्त करने की आवश्यकता ।	

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जब हमने पहले भारत के विदेश सम्बन्धों पर चर्चा की थी अब जबकि हम पुनः उस पर चर्चा कर रहे हैं इस बीच काफी परिवर्तन हो गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले व्यक्ति बदल गये हैं तथा घोषित नीतियों में परिवर्तन हो गया है। इनमें से कुछ बातों को प्रतिवेदन में बड़ी अच्छी तरह शामिल किया गया है।

हेलिंसकी की घोषणा से पश्चिमी यूरोप के देशों से हमारे सम्बन्धों में एक परिवर्तन आया है। इससे हमारे रुख में एक विशेष परिवर्तन यह आया है कि अब पश्चिम यूरोप के देशों को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सक्रिय होने के लिये अधिक बड़ा क्षेत्र मिलेगा।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है पूर्व यूरोप के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। हमारा व्यापार बढ़ रहा है तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग भी बढ़ रहा है। पश्चिमी यूरोप के साथ भी हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं। परन्तु वे अब अपने सम्बन्धों के क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, जिस के लिये हमें सम्पूर्ण यूरोपीय समुदाय से और अलग अलग देशों से समन्वय बनाए रखना जरूरी है। हमें विश्व के दो प्रमख शक्तिशाली देशों की प्रतिस्पर्धा की सम्भावना को देखते हुए ऐसे ढंग से कार्य करना चाहिये जिस से हमारे हित सुरक्षित रहें।

सोवित संघ के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे ही नहीं वरण बहुत घनिष्ठ हैं। यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन ही नहीं है अपितु ऐसा इस लिये हुआ है कि हम दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों को पहचान सके हैं। हम और सोवियत संघ हृदय से यह चाहते हैं कि शांति बनी रहे और समाजवादी तथा विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़े। हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति के लिये कार्य करना चाहते हैं। भारत और सोवियत संघ के आपसी सम्बन्ध वास्तविकता पर आधारित हैं।

दुर्भाग्यवश संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारे सम्बन्ध इतने घनिष्ठ नहीं हैं और इस का कारण यह है कि हम आपसी हितों को पहचानने में सफल नहीं हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि हम आने वाले समय में व्यक्तियों अथवा व्यक्तित्वों के आधार पर नहीं, बल्कि आपसी सामान्य हितों के आधार पर अपने सम्बन्ध सुधार सकेंगे तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सहयोग के आधार पर कार्य कर सकेंगे।

दक्षिण पूर्व एशिया में अत्याधिक परिवर्तन हुए हैं। वियतनाम का एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरना केवल वियतनाम अथवा भूतपूर्व हिन्द चीन तक ही सीमित नही है। मेरी यह भावना है कि वियतनाम एशिया में स्वतंत्रता की प्रगतिशील भावना का प्रतीत है। अतः हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम वियतनाम को निकट का सहयोग दें।

आर्थिक क्षेत्र में अब दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ की स्थिति वैसी नहीं है, जो कुछ वर्ष पूर्व थी। इसलिये अब एशिया को आर्थिक क्षेत्र में नया स्थान बनाने की जरूरत है। इस में भारत को अपनी भूमिका निभानी है। हमें केवल इसलिये कि कोई यह महसूस न करे कि हम एक बड़ा राष्ट्र हैं और अपना अधिपत्य जमाना चाहते हैं अपनी भूमिका निभाने से हिचकिचाना नहीं चाहिये। हमारे पंचशील के सिद्धान्त और उन के प्रति हमारी निष्ठा सर्वविदित है। वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में दक्षिण एशिया में एक आर्थिक समुदाय बनाने का प्रयास करने की आवश्यकता है।

यह बड़े दुख की बात है कि पश्चिम एशिया में युद्ध अभी भी जारी है। यह बड़े दुख की बात है कि विश्व युद्ध के बाद एशिया में लड़ाइयां खत्म ही नहीं हुई हैं। वे उपनिवेशवादी देश जो एशिया पर शासन करते थे, हालांकि 20 वर्ष पहले अपना युद्ध समाप्त कर चुके हैं, परन्तु एशिया में उस के शोले अभी तक भड़क रहे हैं। यह सही है कि हमारे दक्षिण पूर्व एशिया में युद्ध नहीं हो रहे हैं और हम

युद्धों से मुक्त हैं, परन्तु पश्चिम एशिया अभी तक युद्धों की लपेट में है। पश्चिम एशिया की अशांति का प्रभाव केवल हम पर ही नहीं पड़ रहा है अपितु सभी विकासशील देशों पर पड़ रहा है, क्योंकि इस में उपनिवेशवाद की झलक दृष्टिगत होती है। अतः यह आवश्यक है कि हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। एशिया में जो कुछ हो रहा है उस का एशियाई हल निकालना बहुत उपयोगी होगा। हम अपनी समस्याओं को हल करने के लिए अधिकांशतः यूरोपीय देशों और महा शक्तियों पर निर्भर रहे हैं। शायद समय आ गया है, जब कि हम एशियाई देशों में एकता पैदा करने में पहल करें जो कि इस समस्या का हल होगा।

अफ्रीका में हमें आशा की किरण नजर आई है। कुछ समय पहले वहां जो मुक्ति आन्दोलन चल रहा था, अब न्यूनाधिक रूप से समाप्त होने को आ रहा है। अफ्रीका में उपनिवेशवाद समाप्त कर लिया गया है, परन्तु उपनिवेशवाद ने, रंगभेदवाद ने, और अधिक घातक रूप धारण कर लिया है। यह मौजूद ही नहीं है, अपितु अफ्रीका सहित समूचे विश्व को धमकी के रूप में मौजूद है। इसलिये इस समस्या का कोई शांतिपूर्ण हल निकालने हेतु हमें कुछ प्रयास करने चाहियें।

एक अन्य संतोषजनक बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अपने कई विशेष सत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और पेरिस में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग पर मंत्रियों के सम्मेलन में सम्भावित नई आर्थिक व्यवस्था को मान्यता दी है। ये कदम ऐसी दिशा में उठाये गये हैं, जिनसे समस्या को हल किया जा सकता है। यद्यपि ये निवेश धनी देशों के पक्ष में हो सकते हैं जो अपनी समृद्धि को बरकरार रखना चाहते हैं।

इस दिशा में हमारा अपना प्रयास सराहनीय रहा है। इस के लिये मैं भारत सरकार को और विशेष रूप से विदेश मंत्रालय को तथा इस से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को बधाई देता हूं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें उठाई हैं जिन का धनी देश भी खण्डन नहीं कर पाये हैं। इस बात पर चिन्ता व्यक्त की जा रही है कि निर्धन देशों को कम से कम उस स्तर तक उठाने के लिये कुछ किया जाये, जहां कि उन में परस्पर संघर्ष न हो। इस सम्बन्ध में बेहतर यह होगा कि भारत सरकार कोई संस्थागत व्यवस्था करे, जो इस दिशा में विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करे। विदेश मंत्रालय को इस प्रश्न की ओर ध्यान देना चाहिये। आर्थिक कूटनीति के छेत्र में अधिक विशषीकरण की आवश्यकता है। मैं विदेश मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि विशेषीकरण पर बल दिया जाये, ताकि विदेश सेवा में कार्यरत हमारे सदस्यों के पास अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में इस विषय पर कार्यवाही करने के लिये आवश्यक उपकरण हों।

श्री एच०एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : भारत सरकार ने हाल के महीनों में कुछ उपयोगी पग उठाये हैं। इस के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं।

बजट चर्चा के दौरान हर बार बिदेश मंत्रालय द्वारा अपना प्रतिवेदन परिचालित किया जाता है। इस बार मंत्रालय द्वारा जो प्रतिवेदन परिचालित किया गया है उसे पढ़ने से पिछले वर्षों की तुलना में अधिक दुख हुआ है। राजनैतिक नेतृत्व के गुणों तथा दोषों का उल्लेख न करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी विदेश सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रीय नीति, गुट निरपेक्षता, शांति तथा समाजवाद में कोई विश्वास नहीं है।

प्रतिवेदन को तथाकथित परिपक्वता के नाम पर एक तालिका बना दिया गया है । इस में दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच कोई भेद नहीं किया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि इन्डोनेशिया और क्यूबा दो भिन्न-भिन्न देश हैं और ईराक तथा साऊदी अरब के प्रति हमारे दृष्टिकोण में क्या अन्तर है । इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि विश्व के सभी देशों के साथ हमारी मित्रता बढ़ रही है । इस बारे में चाहे जितना भी शोर मचाया जाये, परन्तु इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता । इस प्रकार के दस्तावेज का कोई लाभ नहीं है । यही बेहतर होगा कि हम इस प्रकार का प्रतिवेदन तैयार करने में सरकारी धन का दुरुपयोग न करें ।

प्रतिवेदन में वियतनाम को राष्ट्रीयता की विजय बताया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी विदेश सेवा के अधिकारियों ने वियतनाम वरकरज़ पार्टी सन्ट्रल कमेटी के सचिव के इस कथन को जानने का प्रयास नहीं किया कि वियतनाम की विजय राष्ट्रीय स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समाजवाद की विजय है । अतः वियतनाम की विजय केवल राष्ट्रीयता की विजय नहीं है अपितु राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और समाजवाद की विजय है । प्रतिवेदन में लोकतंत्र और समाजवाद का उल्लेख ही नहीं किया गया है।

मैं प्रधान मंत्री की आलोचना करने में नहीं हिचकिचाता । परन्तु जब वह बधाई की पात्र होती हैं, तो उन्हें बधाई देना अपना दायित्व समझता हूं । प्रधान मंत्री इस बात के लिये बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने देश को खतरे के वातावरण से सचेत किया है तथा यह भी बताया है कि किन-किन स्रोतों से खतरा है । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कुछ विदेशी शक्तियां भारत को शक्तिशाली बनता नहीं देख सकती और वे अपने पिट्ठुओं को हमारे विरुद्ध खड़ा कर देती हैं । प्रधान मंत्री की चेतावनी पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये ।

आर्थिक स्वतंत्रता के प्रश्न का उल्लेख किया गया है । जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, विभिन्न विभागों, राजदूतावासों तथा हमारे विदेशी मिशनों में कार्य कर रहे हमारे वाणिज्यिक सलाहकार कुछ भी उपयोगी कार्य नहीं कर रहे हैं । वे केवल धन बर्बाद कर रहे हैं । जहां तक हमारी आर्थिक स्थिति प्रदर्शनियों को विदेशों में आयोजित करने, माल खरीदने तथा विदेशों में हमारी जरूरतों को पूरा करने का सम्बन्ध है, ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं । उन के पास वह आर्थिक जानकारी भी नहीं है, जो इन कार्यों के लिये नितान्त आवश्यक है, जिससे वे देश के प्रशासन की सहायता कर सकें । इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जब अमरीका ने माइलो के साथ धतूरे के बीज मिला कर भेजे तो वह इस का भी पता नहीं लगा सके । अमरीकियों ने खुलमखुला कहा है कि विकासशील देशों के पास ऐसे उपकरण ही नहीं हैं, जो ऐसी चीजों का पता लगा सकें ।

मेरे माननीय मित्र श्री समर मुखर्जी ने बहुराष्ट्रीय निगमों का उल्लेख किया था । उन्होंने कहा था कि बहुराष्ट्रीय निगमों के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा रहा है । इस के विपरीत हमें सब कुछ पता होते हुए भी उन की सहायता की जा रही है । वस्तुतः हमें अब तक यह पता होना चाहिये कि हमारा मित्र कौन है और शत्रु कौन है । यह कहने से कोई लाभ नहीं होता कि सभी हमारे दोस्त हैं । मैं यह नहीं कहता कि हम सब देशों के साथ सभ्य, सामान्य और अन्तर्राष्ट्रीय संबंध न रखें, परन्तु हमें यह पता होना चाहिये कि हमारा सच्चा दोस्त कौन है । जहां तक हमारे मित्रों का संबंध है, मैं सोवियत संघ के नेता श्री लियोनद् ब्रेजनेव के कथन का उल्लेख करना चाहता हूं । उन्होंने सोवियत साम्यवादी दल के 25वें सम्मेलन में कहा था कि हमारी नीति यह है कि गण-तंत्र भारत के साथ अनवरत रूप से गहन राजनीतिक और आर्थिक सहयोग रखा जाये । सोवियत जनता

भारत की शांतिप्रिय विदेश नीति को अच्छी तरह समझती है । किन्तु हमें उन्हें बार-बार महाशक्ति कह कर उनके साथ अपने संबंध खराब नहीं करने चाहियें । प्रतिवेदन में कहा गया है कि महा-शक्तियों की होड़ से हिन्द महासागर तथा दियागो गारसिया में तनाव कम करने में कठिनाई होगी, इसलिये हम चिन्तित हैं । वास्तव में हमारी आजादी का भविष्य खतरे में है और यही कारण है कि हम चिन्तित हैं । यह सौभाग्य की बात है कि सोवियत संघ एक शक्तिशाली राष्ट्र है । परन्तु वह महाशक्ति नहीं है । वह एक समाजवादी शक्ति है और उसकी नीति यह है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता को सहायता दी जाये, क्योंकि 20वीं सदी में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का अर्थ समाजवाद की ओर अग्रसर होना है । इसलिये सरकार या प्रशासन अथवा सत्ता में हमारे लोगों को इस तरह की राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये ।

दूसरी ओर मैं अमरीका के राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड की घोषणा का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने 27 नवम्बर, को वाशिंगटन में कहा था कि मैंने सी० आई० ए० को स्पष्ट अनुदेश जारी कर दिये हैं कि वह भविष्य में विदेशी नेताओं की हत्या करना बन्द कर दे। ये लोग मध्य पूर्व में अभी भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं । इस प्रतिवेदन में इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है । मैं आशा करता हूं कि वाद विवाद का उत्तर देते समय विदेश मंत्री मध्य पूर्व की स्थिति के बारे में हमें कुछ और जानकारी देगें ।

अमरीका तथा उस के सभी मित्र देशों एवं उस की विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि अंगोला में उन्हें हार खानी पड़ी है, परन्तु मिस्र में उन्हें सफलता मिली है । यह अच्छी बात है कि भारत सरकार ने अंगोला को मान्यता प्रदान कर दी है ।

मैं भारत सरकार से और विशेषतया विदेश मंत्री से अनुरोध करूंगा कि ओगास्टिनहो नेटों को आमंत्रित करें । वह एक कवि और देशभक्त हैं । यदि मेदाम बिन्ह और फाइडल कास्टरो की भांति उन्हें भी पुरस्कार दिया जाये, तो बहुत अच्छा होगा ।

इस विश्व में सभी जी हजूरी करने वाले लोग नहीं हैं अपितु यहां निस्वार्थी और अच्छे लोग भी रहते हैं । श्री फिडेल कास्ट्रो ने कहा है कि ज़ेरे नाइजीरिया में गोरे स्वार्थी लोगों ने जो शर्मनाक भूमिका निभायी है उसे हम कभी नहीं भूल सकते । कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें दण्ड देना है। वे विश्व को खतरा पहुंचा रहे हैं और इसलिए हमें इन मामलों में अधिक सर्तकता से काम लेना है ।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा अमरीका के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए लेकिन हमें उन्हें वास्तविकता से अवगत कराना चाहिए ।

लगता है मित्रता की दिशा में चीन से कोई जवाब मिला है । किन्तु यदि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है तो भी हमें यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि उनके साथ हमारे संबंध सामान्य हों । चीन बंगला देश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को खराब करने में कुछ हद तक सफल हुआ है किन्तु हमें यह बात अब नहीं होने देनी चाहिए इसके विपरीत हम एशिया में अपने पड़ौसी देशों तथा अन्य देशों के साथ समझौता करके मित्रता को पुनः कायम कर सकते हैं। हम अपने नज़दीकी तथा दूर के देशों के साथ द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संबंध स्थापित कर सकते हैं । बंगला देश के साथ भी हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और कोई ऐसी कार्यवाही कर सकते हैं जिससे हमारे संबंध मजबूत हों ।

यह प्रसन्नता की बात है कि मोजम्बिक की सहायता की जा रही है । हमें मुक्त हुए देशों की यथासंभव सहायता करनी चाहिए । हमें इन देशों की सहायता यह समझ कर करनी चाहिए कि ये हमारे भाई बहिन हैं जोकि साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे हैं । हमें नए स्वतन्त्र देशों की सहायता करनी चाहिए । इस संबंध में हमारे विदेशी प्रचार के कार्य में सुधार किया जाना चाहिए ।

यह प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री ने निजी प्रतिनिधि के रूप में श्री यूनुस को विदेशों में भेजा है वह बड़े स्पष्टवादी व्यक्ति हैं तथा वह भारत की नीति अन्य देशों को सफलतापूर्वक समझा सकते हैं ।

जहां तक पश्चिमी देशों का संबंध है वहां से हमें कोई भय नहीं है क्योंकि यह एक ठोस सत्य है कि उनके राजनीतिक प्रभाव का अवसान हुआ है । साम्राज्यवाद जो उनका प्रमुख सिद्धांत रहा है वह विश्व के इतिहास से हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा । भारत के इतिहास में भी उसका स्थान नहीं रहेगा । किन्तु इसके लिए हम कहां तक तैयार हैं यह एक ऐसा मामला है जिससे हमारे मन में कोई प्रश्न और भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं ।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : एक समय था जबकि विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्र की सैन्य शक्ति के आधार पर किया जाता था लेकिन गत दो दशकों में हुई घटनाओं ने इसमें नाटकीय परिवर्तन ला दिया है । कुछ क्षेत्र जो पहले मुक्त नहीं थे मुक्त करा लिए गए हैं तथा अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें मुक्त कराया जाना है अतः इस संदर्भ में अंतराष्ट्रीय क्षेत्र में मैत्रीपूर्ण संबंध अंतराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के आधार पर स्थापित करने चाहिएं । श्री दिनेश सिंह ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य होना चाहिए ।

जहां तक गुट निरपेक्षता की नीति का संबंध है एक समय था जबकि इसका खूब उपहास किया गया लेकिन आज विश्व के आधे से अधिक देश गुट निरपेक्षता की सूची में आ गए हैं । लोमा में एक गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ था क्या इस सम्मेलन में नई अंतराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की सिफारिश की गई ताकि सभी मुल्क क्षेत्र और स्वतन्त्रता प्रिय लोग शांति से रह सके । स्वतन्त्रता और शान्ति दोनों अविभाज्य हैं । परस्पर निर्भरता के इस विश्व में आर्थिक विकास नई अंतराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के जरिए ही लाया जा सकता है ।

सरकार ने उचित दिशा दिखाई है । किन्तु एक खतरा है जिसका हमें तत्काल सामना करना है । इस खतरे की धुरी अमरीका, चीन तथा पाकिस्तान द्वारा बनाई गई है । पाकिस्तान बंगला देश के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है । अमरीका ने हिन्द महासागर में दियागो गार्सिया में ही नहीं अपितु अरब सागर में खादर में भी अड्डे बना दिए है । इस तरह अमरीका भारत को घेरकर अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर रहा है ।

जहां तक चीन का संबंध है वह भी बंगला देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है । चीन ने शेख मुजीबुरहमान की हत्या के बाद तुरन्त ही बंगला देश को मान्यता दे दी । चितगांग पत्तन के विकास की भी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है । भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में वह संकट पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं ।

अब प्रश्न यह है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें और राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत कैसे करें। इस बात पर गंभीरता से विचार करना है । अन्य तटीय देशों में आवश्यक जागृति पैदा नहीं हुई है । मैं यह कहूंगा कि यह भारत सरकार की असफलता लगती है । मंत्री जी को कुछ प्रयास करने चाहिए और तटीय देशों को मनवाकर या उनका एक संयुक्त सम्मेलन करके या उनके साथ द्विपक्षीय समझौता करके इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिएं । इस संबंध में आर्थिक जागरूक होने की आवश्यकता है ।

अफ्रीकी देशों में नई-नई घटनाएं हो रही हैं । वह एक नया क्षेत्र है जहां हमें अपना प्रभाव डालना चाहिए ताकि समूचे विश्व के सामने हमारी एक नई व्यवस्था हो । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह नई व्यवस्था एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशियाई क्षेत्र, जिसमें पश्चिम एशियाई क्षेत्र भी सम्मिलित है, किसी भी शक्ति से कम शक्तिशाली न हो ।

भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है। समझ में नहीं आता कि भारत को सुरक्षा परिषद् में स्थायी स्थान क्यों नहीं दिया गया है । मंत्री जी को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में परिवर्तन करने के मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो जबरदस्त वाद-विवाद किया जाना चाहिए । ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ के समूचे चार्टर में परिवर्तन किया जा सके और संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे की स्थापना नए ढंग से की जा सके । और भारत को सुरक्षा परिषद् में स्थायी स्थान मिल सके ।

लीमिया सम्मेलन के पश्चात् डा० किसींजर ने धमकी दी है कि यदि कोई देश अमरीका के इशारों पर नहीं चलेगा तो उसे सभी प्रकार की आर्थिक सहायता से वंचित कर दिया जायेगा । लीमिया सम्मेलन की तरह गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के अगले सत्र या संयुक्त राष्ट्र संघ के अगले सत्र में यह बात उठायी जानी चाहिए कि जैसा डा० किसींजर ने कहा है, वह राष्ट्र संघ के चार्टर के सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

श्री इराज्मुद सेकैरा (मारमागोआ) : वर्तमान स्थिति में इस उप-महाद्वीप में जो घटनाएं हो रही हैं वे भारत के लिए बहुत बड़ी अत्याधिक महत्वपूर्ण हैं। कुछ समय पूर्व हम सबको यह आशा हो गई थी कि अन्ततोगत्वा हम उस स्थिति पर पहुंच गए हैं जहां भविष्य में टकराव तथा संघर्ष के स्थान पर शान्ति और सहयोग का वातावरण बन जायेगा। आखिर में बंगला देश तथा पाकिस्तान ने भी लोकतांत्रिक प्रणाली अपना ली। आशा थी कि ये सरकारें रक्षा की बजाय अन्य विकास कार्यों पर अधिक ध्यान देंगी किन्तु ऐसा नहीं हुआ। बंगला देश में बहुत दुखद घटनाएं हुई हैं और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार उन घटनाओं से सबक नहीं सीख रही है।

बंगला देश में हुए परिवर्तनों तथा हमारे देश और पाकिस्तान में हुई घटनाओं से ऐसे लगने लगा है कि हमारे संबंध ढीले पड़ने लगे हैं। पाकिस्तान के साथ इस समय हमारे जो संबंध हैं, उनसे ऐसे लग रहा है कि फिर उन्ही पुराने दिनों की पुनरावृत्ति हो रही है जबकि पाकिस्तान ने सभी छोटी बातों के लिए हमें ही दोषी ठहराया, जबकि हमने उन बातों को पूरी तरह स्पष्ट किया। यदि हम इसी तरह एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे तो फिर हमारे लिए आपसी संबंध सुधारने असंभव हो जायेंगे ।

यदि कुछ समय पूर्व की स्थिति होती तो भारत सरकार के लिए इस उप-महाद्वीप के देशों का एक साझा बाजार बनाने और उनके आपसी संबंधों को सुधारने के लिए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय रूप से

पहल करने के लिए कदम उठाने का उचित अवसर होता। किन्तु चूंकि हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल की अवधि बढ़ा दी है, अतः दुर्भाग्यवश यह कार्य करना संभव नहीं है। क्योंकि चुनाव स्थगित कर देने से विदेशी मामलों पर भी प्रभाव पड़ता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह यथासंभव शीघ्र चुनाव कराये और लोक प्रिय प्रतिनिधियों की सरकार स्थापित करे।

इस बात के लिए सरकार बधाई की पात्र है कि उसने बंगला देश में हुई घटनाओं को उनके आंतरिक मामलों की संज्ञा दी है। वियतनाम के उद्भव तथा चीन के आंतरिक मामलों को ध्यान में रखकर सरकार विचार कर सकती है कि क्या यह उचित समय नहीं कि हम चीन के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक और प्रयास करें।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में यह एक स्वागत योग्य बात है कि विश्व ने एक नई आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता को महसूस किया है। लीमा में यू० एन० आई० टी० ओ० के दूसरे महा सम्मेलन में कार्यवाही योजना की जो घोषणा की गई है उसका व्यावहारिक रूप से स्वागत है। इस घोषणा में यह स्वीकार किया गया है कि वर्ष 2000 तक विकासशील देशों का विश्व औद्योगिक उत्पादन में 25 प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए। आशा है कि सभी देश, विशेषकर विकसित देश तथा हम शीघ्र ही इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। हम इस घोषणा के लिए ब्रिटेन के आभारी हैं कि अब के बाद सहायता ऋण के रूप में नहीं अपितु अनुदान के रूप में दी जायेगी। सोवियत संघ का भी हम धन्यवाद करते हैं। कि उन्होंने चसनाला दुर्घटना में किस पमाने पर तुरन्त हमारी सहायता की है।

बहु राष्ट्रीय के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यह सही है कि आज अमरीकी खोज के जो परिणाम निकले हैं, वे आश्चर्यजनक हैं। आशा है कि सरकार ने पहले ही पता लगा लिया होगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है।

व्यापार के सम्बन्ध में दो बातें हैं, जिन पर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। संतोष की बात है कि अक्तूबर, 1975 में पटसन के मामले में हमें पर्याप्त सफलता मिली है। इस पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिया जाना चाहिए। लोह अयस्क का निर्यात करने वाले देशों की एसोसियेशन एक महत्वपूर्ण संस्था बनाई जानी चाहिए?

अंगोला में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए श्री नेरो तथा उनकी सरकार को बधाई दी जानी चाहिए। यद्यपि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है तथापि वहां प्रजातीय युद्ध की संभावना है। आशा है हमारी सरकार इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

सुरक्षा परिषद् के चुनावों के कटु अनुभव के कारण हमें यह अनुमान लगाने का अवसर मिला है कि हमारी विदेश नीति की सफलता तथा असफलता में क्या संतुलन है। आशा है सरकार इस पर विचार करेगी।

डा० हैनरी आस्टिन (एरणाकुलम): हमारी विदेश नीति बहुत ही सफल है और विशेषकर हाल के वर्षों में यह अधिक सफल रही है। हम नेपाल के साथ सुदृढ़ संबंध स्थापित करने में सफल हुए हैं।

चीन यद्यपि अभी तक हमारे क्षेत्र पर कब्जा किए हुए हैं, फिर भी हमने संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाया है। हम स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं और जब भी संभव होगा हम चीन से मित्रता का हाथ बढ़ायेंगे।

बंगला देश के लिए जो कुछ भी बन पड़ा, हमने किया है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय षड़यंत्रों से आज वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। फिर भी हम यह समझते हैं कि वहां जो कुछ हो रहा है, वह उनका आन्तरिक मामला है। किन्तु साथ ही यह भी सही है कि हम इन अन्तर्राष्ट्रीय षड़यंत्रों की उपेक्षा नहीं कर सकते। यही हमारी विदेश नीति है।

पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के ऐतिहासिक कारण हैं। किन्तु हमारी यही इच्छा है कि ऐसा रवैया समाप्त किया जाये। यही कारण है कि हमने उनका जीता हुआ क्षेत्र भी वापस कर दिया। उनके हजारों सैनिक भी मुक्त कर दिए और अन्ततोगत्वा पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता किया। किन्तु पाकिस्तान के विचार कुछ भिन्न ही हैं। उसकी विचारधारा हमारी विदेश नीति से मेल नहीं खाती। शिमला समझौता के अन्तर्गत भारत के साथ सम्बन्धों को सुधारने के स्थान पर उसने अपनी सुरक्षा के प्रश्न को शस्त्र एकत्रित करके सुलझाना चाहा। उसने टर्की तथा ईरान के साथ गठबंधन कर लिए हैं। हमें सारी स्थिति का ज्ञान है कि पाकिस्तान के मन में डर है और इसीलिए वह विदेशों से हथियार इकट्ठे कर रहा है। हमने पाकिस्तान को आश्वस्त करने का भरसक प्रयास किया है कि हमारा इरादा उन पर हमला करने का कदापि नहीं है। बर्मा और पाकिस्तान से हमने अपने सम्बन्ध सुधार लिए हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका ये सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। अपनी विदेश नीति के द्वारा हम दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी प्रतिष्ठा को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र के देशों के साथ हम स्वस्थ आर्थिक संबंधों का निर्माण करने में निश्चय ही सफल होंगे। इस दृष्टि से हमारी विदेश नीति समयानुकूल तथा सफल है।

हमने अफ्रीकी राष्ट्रों की जातिवाद के विरुद्ध पूरी सहायता की है। अंगोला और मोजम्बिक में हमने उन्हें हर प्रकार की सहायता पहुंचाई है। वहां जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं दक्षिणी अफ्रीका में कैसी भी स्थिति हो, हमें नैतिक रूप से उनका समर्थन करना चाहिए।

हमें सोवियत संघ के साथ अपने संबंध और मजबूत करने चाहिएं। राष्ट्रपति ब्रेजनेव ने अपने भाषण में कहा कि भारत के साथ हमारे सम्बन्ध मत्रीपूर्ण हैं।

पश्चिमी देशों को अब समझ आ गई है कि भारत का नेतृत्व बड़ा मजबूत है और उसको किसी भी बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हमने प्रत्येक निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया है। यह हमारी विदेश नीति की बड़ी सफलता है।

श्री जी० विश्वानाथन (वान्डीवाश) : भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति पूरी तरह सफल रही है। इसका श्रेय हमारे सभी-उत्तरोत्तर प्रधान मंत्रियों, विदेश मंत्रियों, विशेषकर वर्तमान विदेश मंत्री को दिया जाना चाहिए।

हाल ही में एक स्वागतयोग्य परिवर्तन हुआ है। पड़ोसी देशों से, विशेषकर उन देशों से जो कि भारत के दक्षिणी भाग में हैं। हमारी मित्रता बढ़ रही है। श्री लंका, बंगलादेश, बर्मा, और इन्डोनेशिया से कई समझौते हुए हैं। हमारे संबंध नेपाल के साथ सुधर रहे हैं। ईरान, तुर्की और अफगानिस्तान के साथ भी हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं। ईराक भी हमारा मित्र है।

शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद से हमारे और बंगलादेश के संबंधों में कुछ ह्रास हुआ है। कई लोग फरक्का बांध के मामले का, जो कि एक द्विपक्षी मामला है, अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं।

बंगलादेश को यह समझना चाहिए कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर पृथक् रूप से विचार करना चाहिए और इसे हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में बाधा नही पहुंचनी चाहिए।

पाकिस्तान का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जिसके संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। 1971 के युद्ध के बाद शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इस समझौते के अन्तर्गत कई बातों यथा सड़क और रेल सम्पर्क, दूर संचार व्यापार यात्रा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए कहा गया, लेकिन इन पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं चाहिए। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि सामान्य संबंधों से दोनों ही देशों का हित होगा।

हम चीन के साथ भी सामान्य संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन उन की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। चीन के साथ संबंध सामान्य होने की संभावना तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उन लोगों के दिलों और देश के नेतृत्व में परिवर्तन नहीं होता।

सोवियत संघ हमारा मित्र है। उनसे हमने भी कुछ मांगा है, उन्होंने हमें दिया है।

जहां तक अमरीका का संबंध है, वहां का प्रशासन पाकिस्तान का समर्थन करता है। अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर से प्रतिबन्ध हटाना हमारे संबंधों में रुकावट डालना है। उन्होंने दियागो गार्सिया में पूर्ण नौसैनिक अड्डा कायम कर लिया है। अमरीका सोचता है कि वह विश्व का प्रहरी है और जिस भी सरकार को वह बदलना चाहते हैं वह बदल सकता है। अमरीका को अस्थिरीकरण की शक्तियों और सी० आई० ए० की गतिविधियों को समाप्त करना चाहिये।

हम अरबों और फिलिस्तीनियों का समर्थन हम उन्हें किसी धर्म के आधार पर नहीं दे रहे अपितु हमारा समर्थन सिद्धांत के आधार पर है।

हमें अफ्रीका की ओर भी तत्काल ध्यान देना चाहिए। रंगभेद की नीति अभी भी जारी है! हमें दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया और नामिबिया के स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन करना है जाति वाद पर आधारित सरकारों को पूर्णतया समाप्त करना होगा और इस लड़ाई में हमें उन देशों को हर संभव सहायता देनी चाहिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा): मुझे खेद है कि विदेशी मामलों पर चर्चा कभी कभी ही होती है। इस स्थिति में मुझे बोलने का जो अवसर दिया गया है, उसके लिये मैं आभारी हूं।

जिस वर्ष की समीक्षा हो रही है, वह हमारी विदेश नीति के उपलब्धियों और विश्व राजनीति के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इन उपलब्धियों के लिये प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री बधाई के पात्र हैं।

इस वर्ष हमारी विदेश नीति की सुखद् प्रतिक्रियायें हुई हैं। हमारी विदेश नीति आजादी के तुरन्त बाद से ही कुछ सिद्धांतों पर आधारित रही है।

मैं अंगोला की चर्चा विशेष रूप से करता हूं। हमारी विदेश नीति का यह महत्वपूर्ण पहलू रहा है कि अंगोला के मामले में हम कुछ पाश्चात्य देशों के राजनयिकों के दबाव में नहीं आये। अफ्रीका की घटनाओं के मामलों में हमारा रवैया राष्ट्रीय मुक्ति के लिये सहायता प्रदान करने का ही रहा है। मैं आशा रखता हूं कि विदेश मंत्री विदेश नीति का पालन करते हुए अफ्रीका के बारे में इस प्रकार का रवैया अपनाना जारी रखेंगे।

यह बात भी प्रसन्नता की है कि हमने अरब के हितों का समर्थन किया है। फिलिस्तीन के लोगों का भी हम समर्थन करते आये हैं। इससे तटस्थता की नीति और भी मुदृढ़ होती है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान साम्राज्यवादी विरोधी ताकतें मजबूत हुई हैं। हमें वियतनाम से अपने सम्बन्ध और मजबूत करने चाहिएं। दक्षिण पूर्व एशिया में साम्राज्यवाद विरोधी संग्राम के फलस्वरूप शक्ति का एक नया केन्द्र पैदा हो गया है।

यह हमारे राष्ट्रीय हितों में होगा यदि हम वियतनाम के लोगों की यथासम्भव सहायता करें। यह बात भी खुशी की है कि हमारे विदेश मंत्री ने पड़ोसी देशों से संबंध अधिक मजबूत कर दिये हैं। विदेश मंत्री स्वयं अफगानिस्तान गये थे। दुर्भाग्यवश उस देश में कुछ दुखद् घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में सुनकर हमें बहुत दुख हुआ है। बंगलादेश के जनक श्री शैख मुजीब शहीद हुये। जिस हित में वे शहीद हुए वह इतिहास में हमेशा अमर रहेगा।

पाकिस्तान के प्रति भी हमारी नीति सिद्धांतों पर आधारित रही है। लेकिन पाकिस्तान में जो घटनाएं हो रही हैं वे हिन्द महासागर क्षेत्र की समस्याओं से सम्बद्ध हैं। जब तक साम्राज्यवाद रहेगा तब तक पाकिस्तान जसे मजहब के नाम पर नये देश बनते ही रहेंगे और भारतीय उपमहाद्वीप में अशांति रहेगी। आखिर हिन्द महासागर तथा पाकिस्तान महत्वपूर्ण क्यों हैं ? इस क्षेत्र में अमरीका के निहित स्वार्थ हैं।

हमें अमरीका सहित सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने चाहिएं, चीन के साथ भी हमें सम्बन्धों में पुनःविचार करना चाहिये। दोनों बड़ी ताकतें अपनी राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुये ही आपसी सम्बन्ध बनाते हैं। हमें वार्ता यदि, आवश्यक हो, जारी रखनी चाहिये।

हमारी विदेशी सेवा की आलोचनायें हुई हैं जो निराधार ही हैं। मैं समझता हूं कि हमारी विदेशी सेवा बहुत अच्छी तथा कुशल है।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी): हमारी विदेशी सेवा की जो आलोचना हुई है, वह उचित नहीं। मेरे विचार में विदेश सेवा में निष्ठावान लोग हैं जिन्होंने हमारी विदेशी नीति के सफलता तथा प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किया है।

राष्ट्रपति सादत की आलोचना भी अनुचित है। राष्ट्रपति सादत इस देश के एक अच्छे मित्र हैं।

हमारे देश की विदेश नीति सर्वसम्मत्ति तथा सहयोग पर आधारित रही है। शुरू से ही हमारे देश की विदेश नीति विश्व शांति के सिद्धांत पर आधारित रही है क्योंकि जब हम आज़ाद हुये थे तो अपनी समृद्धि तथा विकास के लिये हमें शांति और विश्व शांति की आवश्यकता अनुभव हुई।

विश्वयुद्ध के उपरान्त स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि विश्वमंच पर नए राष्ट्रों को प्रस्तुत करना है। विश्वमंच पर इन राष्ट्रों को लाना आवश्यक भी था क्योंकि विकसित राष्ट्र इनका शोषण करते आ रहे थे। इस प्रकार भारत ने अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रों को स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने का रास्ता दिखाया।

भारत ने विकासशील राष्ट्रों की विकास संबंधी गति विधियों की ओर ध्यान देकर उचित कदम उठाया है। इस संबंध में अन्कटाड् एशियाई विकास बैंक तथा इकाफे द्वारा निभाई गई भमिका पर हमें

गर्व है । विकास की इस प्रक्रिया में, विशेषकर बड़ी शक्तियों द्वारा, जो कि इन विकासशील देशों को अपने अधीन रखना चाहती हैं, रोड़े अटकाए जा रहे हैं । हम विकास की प्रक्रिया में होने के कारण इन शक्तियों का हुक्म नहीं बजा सकते ।

हिन्द महासागर शांति का क्षेत्र होना चाहिए । यह केवल देश की सुरक्षा हेतु ही नहीं अपितु अथाह समुद्रसम्पति की दृष्टि से भी आवश्यक है । हिन्द महासागर को अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम देना चाहिए । लेकिन हिन्द महासागर की सम्पदा का नियंत्रण केवल तटवर्ती देशों के हाथ में होना चाहिए ।

भारत और नेपाल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता की दृष्टि से बहुत घनिष्ठ संबंध है। नेपाल के साथ भारत की लम्बी सीमा है । मैं आशा करता हूं कि नेपाल के प्रधान मंत्री की यात्रा से हमारे सम्बन्धों में और सुधार होगा ।

श्री प्रिय रन्जन दास मुंशी (कलकत्ता --दक्षिण): मैं विदेश मंत्री और सरकार को हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति विशेषकर उपमहाद्वीप की स्थिति के संदर्भ में एक बहुत यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए बधाई देता हूं । आज समूचे विश्व में एक दो देशों को छोड़ कर सबमें सत्ता की होड़ लगी है। इन देशों में अमरीका, यूरोप के देश तथा चीन आदि सम्मिलित हैं। लेकिन केवल तीन ही नेता इन समस्त समस्याओं और संकटों, चाहे वह राष्ट्रीय हों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय, का सामना करने में समर्थ हुए हैं । इनमें से एक हैं हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी, दूसरे सोवियत संघ के श्री ब्रेजनेव तथा तीसरे योगोस्लाविया के मार्शल टीटो । इसका कारण यह नहीं है कि वह लोगों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी नीति का निर्माण किया है, जिसने अन्य देशों को वास्तव में एक नई दिशा प्रदान की है। साथ ही उनके विचारों को सुरक्षा भी प्रदान की है।

आजकल अमरीका से हमारे संबंध एक महत्वपूण मामला बने हुए हैं। यह सर्व विदित है कि पारस्परिक हितों के कारण हम अमरीका से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के इच्छुक हैं। जब देश में आपात स्थिति की घोषणा की गई थी तो यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई थी कि ये हमारा आंतरिक मामला है और हम देश की प्रतिक्रियावादी शक्तियों का, जोकि बहुराष्ट्रीय निगमों और एकाधिकार गृहों के माध्यम से अपने विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना चाहती हैं, समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन पश्चिमी देशों ने विशेषकर अमरीका ने न केवल आपात स्थिति की आलोचना ही की अपितु इसके पीछे बुरी भावना भी खोजने की कोशिश की।

हम जानते हैं कि किस प्रकार वायस ऑफ अमेरिका और रेडियो पेकिंग देश में व्याप्त आर्थिक स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहा है । कुछ समय पहले 1974-75 में जबकि देश को सूखा, बाढ़ों, खाद्यान्नों की कमी इत्यादि का सामना करना पड़ रहा था रेडियो पेकिंग और वायस ऑफ अमेरिका ने भारतीय युवकों को गलत सलाह दी । वह स्थिति का नाजायज फायदा उठाना चाहते थे।

प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी के प्रयासों द्वारा पाकिस्तान और बंगला देश के साथ अच्छे संबंध बनाने हेतु स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया गया है । लेकिन पश्चिमी शक्तियां शिमला समझौते और शेख मुजीबुर्रहमान से हुए समझौते को एक अलग दृष्टिकोण से देखती हैं ? उन्हें यह राष्ट्रों में मित्रता बढ़ाने तथा उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने का माध्यम नहीं दिखता।

भारत अब यह कहने की स्थिति में है कि उसका लोकतंत्र सुरक्षित है और लोग देश की प्रभुसत्ता को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए तैयार हैं। भारत को अभी एक कदम और आगे बढ़ना है। उसे, यह कहना चाहिए कि देश की समूची शक्तियां अंतिम लक्ष्य अर्थात् समाजवाद के लिए आधार बना रही है। यदि लोगों की समाजवाद में आस्था है तो देश की विदेश नीति में इसकी झलक दिखनी चाहिए अन्यथा लोगों को यह नहीं पता चल पायेगा कि उनके वास्तविक मित्र कौन हैं।

हमने हमेशा फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है। पश्चिमी शक्तियों द्वारा अरबों और फिलिस्तीनियों के हितों को दो अलग बातें समझकर भिन्न दृष्टि से देखा जा रहा है। यह सही नहीं हैं। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अरब और फिलिस्तीनियों के हित समान हैं और अरब राष्ट्रों तथा फिलिस्तीनियों की समस्याओं का अन्त भी एक ही दिन होगा।

शीघ्र ही श्रीलंका में विकासशील गुट-निरपेक्ष देशों का सम्मेलन बुलाया जाएगा। हमारी सरकार को इस सम्मेलन में यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह वहां कोई गुट न बनाकर एक संघ बनाए तभी भारत इस मामले में सहायता कर सकता है। भारत नए विकासशील देशों को सहयोग दे सकता है। अगर यह सहायता बिना किसी उद्देश्य से की जाती है तो गुट-निरपेक्षता के सिद्धांत की रक्षा हो सकती है।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : China has established nuclear bases right on our borders. They have deployed a huge army on our border. They are also engaged in establishing a military base in Chittagong. Then, America have lifted arms embargo against Pakistan. They are pouring arms into Pakistan to enable it to make a huge arsenal of sophisticated weapons. Thus both China and USA have evil designs against our country. This situation should be viewed with all seriousness and caution. It is imperative for us to raise our armed strength still further so that it could prove a fitting match against China.

India is against establishment of bases by super-powers in any part of the world. We have opposed the establishment of a military base in Diego Garcia in the Indian Ocean. But America is going ahead with it.

Non-aligned countries specially the developing countries in Asia and Africa, need our help and guidance against economic exploitation by the imperialist countries. We should organise all the raw material producing countries on a common forum. These countries also require news agencies on modern scientific lines. Mass Communication media has to be developed there. India can play a useful role in this sphere.

There are pseudo-socialist leaders in many countries of the world. They are bringing a bad name to the socialism. We must create a new socialist order of non-aligned countries and establish a Second Socialist International in order to strengthen the socialist forces of all the non-aligned countries.

We should fight against imperialism and support the cause of economic emancipation wherever such struggle is being waged. We should continue to support the Arabs who are fighting against Zionism. We should continue to support African countries in their struggle against White Regime of South Africa.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं विदेश मंत्री और उनके सहयोगियों को देश की विदेश नीति को सही दिशा प्रदान करने के लिए बधाई देता हूं।

हमारी विदेश नीति की आधार शिला 1946 में पं० जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी तथा हमारी योग्य प्रधान मंत्री उसे और दृढ़ बना रही है। हमारी तटस्थता की नीति का आधार देशों के बीच सहयोग है। हम इस पर दृढ़ है। परन्तु साम्राज्यवादी देश इस नीति को समाप्त करने में लगे हैं।

हम विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियों को कहते हैं कि हमारा ही एक ऐसा देश है जो तटस्थता की नीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करता आ रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय एकता पैदा की है और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भी सुधार किया है। समाजवादी देशों के साथ भी अच्छे और मजबूत सम्बंध स्थापित किये हैं। विदेश मंत्रालय इसी भावना से काम करता आ रहा है। तटस्थ देशों का लीमा में हुआ सम्मेलन बेलग्रेड सम्मेलन से अधिक महत्वपूर्ण रहा है। तटस्थ देशों ने विश्वशांति के लिये महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री स्थायी शांति के लिये वातावरण तैयार कर रही है। साम्राज्यवादी देशों की गतिविधियां अब तक भी हमारे देश की प्रमुखता के लिये खतरा बनी हैं। पाकिस्तान के किसी अन्य देश के माध्यम से बड़े पैमाने पर हथियार दिये जा रहे हैं। हमें डाईगो गार्शिया के नौसैनिक अड्डे के प्रति भी सावधान रहना चाहिये। इससे हमारे देश के लिये बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

आपातकालीन स्थिति के तुरन्त बाद से ही कुछ विदेशी ताकतों ने अपनी गतिविधियां हमारे देश में शुरू की हैं। कुछ देशों में भारत विरोधी प्रचार चल रहा है। विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों को इस प्रचार का खंडन करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिये। अमरीका ने चीन के साथ अपने संबंधों में परिवर्तन कर लिया है। विकासशील देशों के बीच के संबंधों में सुधार हो रहा है। अंगोला को मान्यता देकर एक सही काम किया गया है। मैं प्रधानमंत्री द्वारा बनायी गयी नीति की सराहना करता हूं। कुछ बाहरी ताकतें हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें हिमालय संबंधी अपनी नीति भी नये ढंग से बनानी चाहिये।

हमारा राजनैनिक दृष्टि से मजबूत होना ही काफी नहीं है। हम आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत होने चाहिये। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि अन्य देश भी हमारे देश की विदेश निति का अनुकरण करें।

भारत तथा समाजवादी देशों के बीच आर्थिक सम्बन्ध मजबूत बनाये जाने चाहिये। रूस के साथ हमारे सम्बन्ध आपसी सहयोग पर आधारित है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने में भी सहायता मिलेगी।

इस देश में बहुराष्ट्रीय निगम हो नहीं बल्कि अन्य संस्थायें भी हैं जो धार्मिक संस्थाओं के नाम पर काम करती हैं। सी० आई० ए० की गतिविधियां देश में बढ़ती ही जा रही हैं।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : We have been following the policy of non-alignment since independence. Our policy of non-alignment has been a great success. It has earned great respect for us in the comity of nations.

We want to have friendship with Pakistan. All our efforts to have good relations with Pakistan have failed. Pakistan has always adopted hostile attitude towards our country. Pakistan press and news-media has been carrying on malicious propaganda against India.

It has been our desire to have friendly relations with China also. But she is not responding to the offers of friendship made by our country. Our friendship with that country is dependent on the attitude of that country towards us.

Our relations with other countries are cordial and friendly. We have malice towards none. Our country has goodwill and friendly feelings for all countries of the world.

USA has declared that they will help those countries which toed their line. Our Prime Minister has declared that we will not bow before any country. The Prime Minister has given a timely warning against danger being posed by those countries who are inciting our neighbours against us.

Shri Hari Singh (Khurja) : The basic principle of our foreign policy is that of non-alignment and non-interference in the internal affairs of other countries. Our policy of non-alignment has been appreciated by a number of other countries as well. Now a good number of countries of the world have switched over to this policy of non-alignment

It has always been the keen desire of our country to have friendly and peaceful relations with Pakistan. It was this spirit which impelled us to conclude the Simla agreement. But I am sorry to point out that Pakistan has not implemented the same. As a matter of fact, the imperialist powers are not allowing the development of good neighbourly relations between India and Pakistan.

With regard to our relations with U.S.A. I may state that the basic difference between the policies of U.S.A. and India is the main hurdle in the improvement of relations between the two Countries. In case we change our policies, there is every likelihood that our relations with U.S.A. may improve.

Regarding the publicity of Indian policies and programmes abroad and our approach to various international problems, our media remained quite weak. It is the need of the hour that we should have a powerful media of publicity so as to project our point of view in foreign countries. It is suggested that if need be, more funds should be allocated for internal publicity.

Every possible attempt should be made to develop not only political but also economic and social relations with neighbouring Countries. The image of India in foreign countries is quite good and many countries have appreciated our stand on diffenent occasions of international importance. The other countries fully realise that the policies of India are based on certain well accepted principles and that is why they have better regard for India. For the real progress of our Country, we must adhere to the policy of non-alignment, which is becoming popular day by day in the world. With these words, I support the Demands of External Affairs Ministry.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): मैं विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मैं विदेश मंत्री और उपमंत्री द्वारा देश के लिए किये जा रहे कार्य के लिए उनकी सराहना भी करता हूं। अभी दो या तीन दिन पहले की ही बात है कि बोट् सवाना के प्रधानमन्त्री यहां आये थे। आज हम नेपाल के प्रधानमंत्री के स्वागत में लगे हुये है। इन सभी बातों का उल्लेख करने का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि भारत अपने पड़ोसियों तथा छोटे-छोटे देशों के साथ भी अपने सम्बन्ध बढ़ाने में दिलचस्पी लेता है। यह ठीक है की अपने आकार तथा अधिक जनसंख्या के कारण भारत को अन्य छोटे-छोटे देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में कुछ दिक्कत पेश आती है, क्योंकि छोटे देश हमारी ओर शक की नजर से देखते हैं। जब हम इन छोटे-छोटे देशों के साथ भी समानता तथा बराबरी का व्यवहार करते हैं, तो उसका इन देशों पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की यात्राओं से विचारों के आदान प्रदान में सहायता मिलती है।

हम शांति और सब की सुरक्षा में दिलचस्पी रखते हैं परन्तु इसके साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि भारत उन देशों में आपसी सहयोग स्थापित करने में पहल करनी चाहिये। जवाहर लाल नेहरू के समय से ही हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति रही है। हमने सदा ही न्याय तथा उचित बात का साथ दिया है तथा दलित तथा कमजोर वर्गों के लोगों का समर्थन किया है।

किसी भी देश की विदेश नीति उस देश की सशक्त गृह नीतियों पर ही निर्भर करती है, यदि कोई देश आन्तरिक रूप से मजबूत नहीं होगा तो वह विश्व में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित नहीं कर सकेगा। हमारी विदेश नीति का मूल आधार प्रभुसत्ता, आत्मसम्मान और अपने आदर्शों पर आधारित है। हमें इन सभी का पालन आगे भी करते रहना चाहिये।

जहां तक भारत के रूस तथा अमरीका के साथ सम्बन्धों का प्रश्न है, अब उनके बीच तनाव कम हो रहा है। यदि वह सब मिल कर एक हो सकते हैं तो फिर भला भारत तथा अन्य बड़ी शक्तियों के बीच मित्रता क्यों नहीं हो सकती ?

जहां तक राष्ट्रमण्डल के अफ्रीकी और एशियाई देशों तथा अस्वेत देशों का सम्बन्ध है, राष्ट्रमण्डल के विकास के लिये भारत ने काफी कदम उठाये हैं । अब समय आ गया है जबकि हमें चीन के साथ अपने सम्बन्ध भी सावधानीपूर्वक बढ़ाते रहना चाहिये ।

प्रतिवेदन में पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध बढ़ाने के भारत के जिन प्रयत्नों का उल्लेख किया गया है, वह निश्चय ही सराहनीय है परन्तु यह अलग बात है कि राष्ट्रपति भुट्टो की राजनीतिक चालों के कारण हमारे देश तथा पाकिस्तान के सम्बन्ध सुधर नहीं सके हैं ।

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अब भारतीय विदेश सेवा अपने पुराने ढर्रे से बाहर निकल आयी है । यह हर्ष की बात है कि इस महीने की पहली तारीख से विदेश सचिव, भारतीय विदेश सेवा में भर्ती किया गया नियमित सेवा का व्यक्ति होगा ।

राजदूत और उच्चायुक्तों के लिये हमें प्रसिद्ध तथा अनुभवी लोगों को नियुक्त करना चाहिये। यह ठीक बात है कि हमारे राजनायिक अच्छा काम कर रहे हैं परन्तु मेरा सुझाव है कि हमें सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों को इन पदों पर काफी संख्या में नियुक्त करना चाहिये ।

मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि आज हम अपने विदेश स्थित मिशनों पर काफी खर्चे कर रहे हैं, उनमें नौकरशाही का आडम्बर बहुत लम्बा चौड़ा है; इन दोनों को कम करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

Shri Bishwanath Ray (Dcoria) : India has been preaching peace right from the beginning. The late Pandit Jawaharlal Nehru formulated the policy of Panch-Sheel. This policy of Shri Nehru has stood the test of time and has been hailed by the world. It created a lot of goodwill for India in the world and now we are having very close and friendly relations with developing countries.

We are having cordial relations with Shri Lanka. A number of agreements have been signed with that country for mufual benefit. Similarly in Bhutan also, there is lot of goodwill for India. It is correct that these was some misunderstanding with Bangladesh. Of late attempts were made to remove the misundertsanding so as to strengthen our friendly relations.

I feel that now time has come when we should give more attention to strengthen our relations with Nepal. We must comment our bonds of friendship with that country. Fortunately, the misundertanding which was prevailing for quite a long time has now come to an end. It should be made clear to Nepal that both our countries face a threat from China and a friendship will be to our mutual advantage. Attempt should also be made to develop cordial relations between the people of India and Nepal especially on our border.

It is a well known fact that Gorakhpur is famous for Guru Gorakhnath temple. The people of Nepal have got great respect for that place. If we develop this holy place and arrange to provide more and more facilities for the pilgrims, we will earn the goodwil of the people of Nepal. Similary due attention should be given for developing places of Buddhists interest so that we may develop good relations with people professing Buddhism.

It is a matter of gratification that our relations with Afghanistan are cordial. More attempts should be made to strengthen these relations further. It is a matter of concern that China is inciting Bangladesh against India. She is also giving arms to Pakistan. We should keep ourselves concious of all these developments.

Inperialism has come to an end in Africa. Our relations with African countries are improving. National Democratic Revolutions are coming up in African counties. These countries are also profess democracy and non-alignment. We should extend our full support to the African Countries who are getting liberations from imperialism. An attempt should be made to keep them united.

It is a matter of gratification that India is coming closer to Soviet Union. With these worlds I support the demands of the External Affairs Ministry.

श्री बी० पी० नायक (कनारा): विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए सर्वप्रथम मैं सभा का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 51 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस अनुच्छेद के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में हमारे संविधान में गुट-निरपेक्षता तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया है। अब जबकि हम सम्पूर्ण संविधान का ही पुनराविलोकन कर रहे है, हमें इन सिद्धान्तों का पुनराविलोकन भी परिवर्तित परिस्थितियों में कर ही लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जबकि हमें अपनी राष्ट्रीय नीति के निदेशक सिद्धान्तों में सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण का सिद्धान्त भी शामिल किया जाना चाहिये।

श्री जी० विश्वानाथ्न पीठासीन हुये
[Shri G. Vishwanathan in the Chair]

कल की चर्चा के दौरान देश की रक्षा सम्बन्धी तैयारी के बारे में काफी कुछ कहा गया था। कल की चर्चा से यह भी स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान का भूत हम पर अच्छी तरह सवार हो गया है। यह ठीक है कि शिमला समझौते तथा कुछ अनुवर्ती घोषणाओं ने हमें सतर्क बना दिया है। परन्तु इसके साथ ही मैं अपनी मान्यता स्पष्ट कर दूं। मैं समझता हूं कि हमारे देश को पश्चिम से खतरा अधिक होगा, पश्चिम से मेरा तात्पर्य चीन से है। गुट-निरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह-आस्तित्व की नीति का महत्वपूर्ण अंग यही है कि हम अपने पड़ौसी तथा अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनायें।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान गुट-निरपेक्षता की ओर दिलाना चाहता हूं क्या यह एक नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। क्या हमें कुछ चुने हुए देशों के गुट में शामिल नहीं होना चाहिए, अर्थात् हमे अपने मित्र चुनने चाहिए अपने शत्रुओं को पहचानना चाहिए, अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा का प्रयास करना चाहिए अपने मित्रों का समर्थन करना चाहिए। क्या विश्व में किसी देश को अपना शत्रु घोषित किए बिना ही हमे उसके समान होने के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए। इसके लिए मित्र देशों के साथ गुटबन्दी किए बिना कोई चारा नहीं है।

अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि गुट-निरपेक्ष नीति जो कि एक नकारात्मक नीति है उसको अपनाने की बजाय हमें रचनात्मक विचारधारा का अनुकरण करना चाहिए और अपने मित्र बनाने चाहिए तभी कुछ लाभ हो सकता है।

श्री सैयद अहमद आगा (बारमूला): पाकिस्तान अब भी संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के बारे में बात कर रहा है जिसका अब कोई प्रयोजन नहीं है और इससे सम्बन्ध सामान्य बनाने में बाधा पड़ रही है जो कि हम उस-महाद्वीप में स्थापित करना चाहते हैं।

पाकिस्तान 'सलाल परियोजना' के निर्माण में भी बाधा डाल रहा है और इस परियोजना को स्थगित करने से काश्मीर का विकास अवरुद्ध होगा। यह सब बातें पाकिस्तान अपने हित में नहीं कर रहा है। इससे उपमहाद्वीप में तनाव की स्थिति पैदा होगी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के ओजस्वी नेतृत्व में भारत अब शक्तिशाली राज्य बन गया है। भारत गुट निरपेक्ष आन्दोलन का नेतृत्व कर रहा है और पोखरन में आणविक विस्फोट कर भारत ने आणविक युग में पदार्पण किया है और आर्यभट्ट भी छोड़ा है। साम्राज्यवादी शक्तियां हमें नहीं चाहती है और वें हमें निर्बल बनाना चाहती हैं। अतः सरकार को बहुत सर्तक रहना होगा। हम आत्म संतुष्ट नहीं हो सकते।

गुट निरपेक्ष की नीति कोई नकारात्मक नीति नहीं है। वस्तुत: हमारी नीति ने विश्व भर में स्वतंत्रता आन्दोलन की सहायता दी है। गुट निरपेक्ष नीति न्याय पर आधारित है। हमने सदैव अरब देशों का समर्थन किया है। हमने अफ्रीकी स्वतंत्रता आन्दोलन का समर्थन किया है। हमारी गुट निरपेक्ष नीति साम्राज्यवाद विरोधी नीति है। यह कुछ मित्र बनाने का प्रश्न नहीं है। समस्त गुट निरपेक्ष देश एक साथ हैं और गुट निरपेक्ष नीति समस्त विश्व के भविष्य की कसौटी पर खरी उतरेगी।

अरब देशों की घटनाओं में हमारी गहरी रुचि है। सिनाई समझौते से अरब देश कमजोर बने हैं मिस्र का रवैया आज अनुकूल नहीं है। इसने अरब देशों में दरार पैदा की है और उनके उद्देश्य को क्षीण किया है। हमें पता है कि साम्राज्यवादियों ने लेबनान में भी गड़बड़ करनी आरंभ की है। अत: हमें कोलम्बो सम्मेलन में अरब देशों के उद्देश्य का समर्थन करना है तथा फिलिस्तीनियों को उनकी भूमि वापस दिलाने के लिए उनका समर्थन करना है। हमे यह सुनिश्चित करना है कि पश्चिम ऐशिया में सामान्यता वापिस आए तथा अन्याय दूर हो।

जहां तक कोलम्बो सम्मेलन का संबंध है उसमें लगभग 90 देशों के भाग लेने की संभावना है। इस सम्मेलन में हमें इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि साम्राज्यवादी शक्तियां हिन्द महासागर की खनिज सम्पदा लेने के लिए ऐशिया में आ रही हैं। विदेश मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिन्द महासागर में विद्यमान संसाधन हमारे तथा हिन्दमहासागर के तटवर्ती देशों के हैं।

साम्राज्यवादी शक्तियां हिन्द महासागर को अपने प्रक्षेपणास्त्रों को छोड़ने का अड्डा बनाने का प्रयास कर रही है। इन प्रक्षेपणास्त्रों की मार 2500 मील तक की है। अत: हमें सभी ऐशियाई देशों में एकता बनानी चाहिए। ऐशियाई एकता से ऐशिया की सुरक्षा हो सकती है और हिन्दमहासागर में शान्ति हो सकती है।

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishahr) : Sir, I support the demands of the Ministry of External Affairs. It has to be admitted that the success of our foreign policy that our country has adhered to since independence is very much reflected today in our country as well as in the world. It is the result of the same policy that we have not produced even now any nuclear weapons. It is the result of the same policy that there is peace in the world today when several countries in the world have atomic power and they talk of peace today.

After the Second World War a new nation i.e. Israel came into being. Our leaders were against it from the very beginning. An attempt was made to eliminate the existence of Palestine. We don't want that any nation should be formed in the name of any community. The Britishers adopted the same policy with the result our country was divided into two parts. If there is today any danger to our country from any quarter, it is only from Pakistan. China also instigated Pakistan against India and so Pakistan still continues to be a headache for India. However our country has shown exemplary tolerance and generosity.

Israel and Pakistan are the symbols of crisis today in the world. Both these countries get support from U.S.A. and China. But the U.S. imperialism will not last long.

As regard China the holiganism and violence that they have been adopting in their foreign policy in the international politics, is very much evident today in their own country. They are a contradiction in themselves because while they talk of communism and socialism, they are making collaboration with capitalist country. Their behaviour towards India is reprehensible.

Our country has always extended the hand of friendship to the neighbouring countries. The foreign policy of our country has been instrumental in establishing peace in the world.

With these words I fully support the demands relating to Ministry of External Affairs.

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपनपाल दास): सभापति महोदय मेरे वरिष्ठ सहयोगी कल वाद-विवाद का उत्तर देंगे मैं केवल कुछ प्रश्नों को हो लूंगा। हमारी विदेशी नीति की यह विलक्षणता है कि अनेक वर्षों के बाद यह राष्ट्रीय नीति बन गई है। जिसे समूचे देश का समर्थन प्राप्त हुआ है।

हम अपनी ही नीति अपना रहे हैं जिसे दो मूल आधारों से मार्गदर्शन मिला है। कुछ विचार और सिद्धान्तों द्वारा हमारा मार्ग दर्शन होता है जैसे विश्वशांति, सहअस्तित्व औपनिवेशिक व्यक्तियों की स्वतंत्रता, मानवता समानता और न्याय के सिद्धान्त दूसरा आधार हमारा राष्ट्रीय हित है। हम किसी व्यक्ति या देश के न तो समर्थक हैं और न ही किसी का विरोध करते हैं। हम तो केवल भारत समर्थक हैं। हमें स्वीकृत मूल सिद्धान्तों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने देश के हितों की सेवा करनी है।

गुट निरपेक्ष नीति नकारात्मक नीति नहीं है। यह ठोस और गतिशील नीति है। यह विश्व शांति, समानता, स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता तथा सीमाओं की एकता के लिए पारस्परिक सम्मान पर आधारित सच्ची मित्रता एवं सहयोग तथा सभी सिद्धान्त जैसे कुछ उद्देश्यों पर लम्बित है।

प्रो० मुकर्जी ने कहा है कि हमें अपने मित्रों तथा शत्रुओं की पहचान नहीं है। हम यह जानते हैं। हमने कुछ सिद्धान्तों का अनुसारण किया है तथा कुछ नीतियां जिनका हमारे राष्ट्रीय हितों द्वारा मार्ग निर्देशन किया जाता है अपनाई हैं। हम प्रत्यक राष्ट्र का सम्मान करते हैं। जहाँ हम सहमत नहीं हैं वहां हमने समझने और पारस्परिक सहयोग करने का प्रयास किया है। यदि हमने स्थायी राजनीति तंत्र सुदृढ़ अर्थव्यवस्था तथा अनुशासन और शांति का राष्ट्र बनाया है तो इससे हमारी प्रतिष्ठा बाहर भी बढ़ेगी और यह बढ़ती ही जाएगी।

कुछ लोगों का कहना है कि गत 20 वर्षों की घटनाओं को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि गुट निरपेक्ष नीति अब संगत नीति अथवा वैध नीति नहीं है अर्थात् उसकी वधता समाप्त हो गई है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। गुट निरपेक्ष नीति तब तक वैध रहेगी और इसका अनुसरण उन देशों द्वारा किया जाता रहेगा जो शांति, स्वतंत्रता, आर्थिक सहयोग, समानता और परस्पर समझ-बूझ के आधार पर एक नए विश्व का निर्माण करने के इच्छुक है। गुट निरपेक्षता के सिद्धान्तों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रों के बीच आर्थिक असमानता विश्व के लिए खतरा बनी हुई है अतः गुट निरपेक्ष दल ने इस मामले को उठाया है और स्पष्ट किया है कि वे एक नई विश्व व्यवस्था तैयार करेंगे जो आर्थिक समानता पर आधारित होगी और विकासशील देशों के बीच सहयोग बनाएगी। यह आर्थिक सहयोग हमारी विदेशनीति का नया अवयव बन गया है।

अतीत में हम अपने विकास कार्यों हेतु अन्य देशों से सहायता लेते थे अभी भी हम यह सहायता प्राप्त कर रहे हैं लेकिन अब हम भी ऐसी स्थिति में हैं कि अन्य विकासशील देशों को सहयोग दे सकते हैं।

यह आर्थिक सहयोग हमारी विदेशनीति का नया अवयव बन गया है। अपने विशषज्ञों की सेवाएं प्रदान करना इस सहयोग का एक रूप है। परामर्श दात्री सेवाएं भी हैं। सहयोग के माध्यम से हम उन मित्र देशों में उद्योग स्थापित कर रहे हैं जिन्होंने इस सहायता और सहयोग का अनुरोध किया है।

एक नई विचारधारा अस्तित्व में आई है और यह तीसरी दुनिया के देशों में संयुक्त उद्यम है। जिन देशों के पास पूंजी और जन शक्ति है, उन्होंने कच्चे माल वाले तीसरे देशों में नए उद्यम स्थापित किए हैं।

इस तरह हम प्रगति कर रहे हैं । मित्र देशों, विकासशील देशों तथा गुट निरपेक्ष देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ा रहे हैं । यही हमारी विदेशनीति का नया अवयव है ।

श्री दिनेश सिंह ने बिल्कुल ठीक कहा है कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अधिक सहयोग की आवश्यकता है और उस के लिए हमें कुछ क्षेत्रीय विशेषज्ञ और अनुशासन विशेषज्ञ तैयार करने हैं । अब तो हमने विदेश मंत्रालय में भी आर्थिक सहयोग सम्बन्धी एक विशेष डिविजन बनाई है । हम इस सुझाव से सहमत हैं । अन्य मित्र देशों के साथ सुसम्बन्ध बनाने में हमारी सरकार का कार्य बढ़ेगा । अतः हमें विभिन्न मंत्रालयों के क्रियाकलापों में तालमेल बनाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ तैयार करने के प्रश्न पर पर्याप्त ध्यान देना है ।

हमें अनेक देशों के साथ कई प्रकार से सांस्कृतिक सहयोग बनाना है । हम कुछ कारणों से अफ्रीका को महत्व दे रहे हैं । यद्यपि मोजम्बीक, अंगोला तथा पुर्तगाल के कुछ उपनिवेश अब स्वतन्त्र हो गए हैं फिर भी हम देखते हैं कि अफ्रीका में जातिभेद व रंगभेद के रूप में उपनिवेशवाद के विरुद्ध युद्ध हुआ है । हम जाति भेद और रंगभेद के विरुद्ध अफ्रीकी लोगों का समर्थन कर रहे हैं ।

हमने स्वतन्त्रता संग्राम को भी यथासम्भव सहायता दी है । आर्थिक दृष्टि से इस महाद्वीप में अत्यधिक क्षमता है । इसीलियें हमनें इस महाद्वीप को काफी महत्व दिया है और हम इस महाद्वीप के देशों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध बनाने के सतत प्रयास कर रहे हैं ।

कहा गया है कि राष्ट्रपति नयरेरे की भारत यात्रा के बाद ही हमने अंगोला सरकार को मान्यता देने का निर्णय किया है । यह सही नही है । यह कहना भी सही नहीं है कि वहां हमारे राजनयिक कर्मचारी भी इस सम्बन्ध में असफल रहे हैं ।

हम मोजम्बीक को सहायता देने के लिए वचनबद्ध हैं और हम राष्ट्र मण्डलीय महासचिव तथा मोजम्बीक सरकार की रिपोर्टों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन्हें उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं ।

हमारे राजनयिक संवर्ग के सम्बन्ध में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां दी गई हैं कि वे सक्षम नहीं है और इस देश की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं अथवा दर्शन या स्थिति के अनुरूप नहीं है । अपने राजनयिक कर्मचारियों को इस तरह से निन्दित करना उचित नहीं है क्योंकि यह तो कार्यकारी व्यवस्था है ।

भारतीय विदेश सेवा का कोई भी अधिकारी कई प्रकार का प्रशिक्षण देने के बाद ही सरकार की विचारधारा और सभी प्रकार की घटनाओं की जानकारी रखने के योग्य होता है । इस तरह हमने इस संवर्ग को बनाने का प्रयास किया है ।

विदेशों में स्थित दूतावासों पर होने वाले खर्चे में कमी करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं । इस पर भी दूसरे देशों के विपरित परिस्थितियों से हमारे सभी प्रयास निष्क्रिय हो गए हैं । अतः इन उपायों से कोई खास बचत नहीं होगी । फिर भी हमने विदेशों में स्थित अपने दूतावासों के खर्चे को न्यूनतम करने का प्रयास किया है ।

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : Sir, while discussing the demands of External Affairs it is natural to say something about the international situation. It is a matter of the recent past that the world had been divided into two power blocs led by Soviet Russia and America respectively. The Bloc led by the USSR include countries of Eastern Europe which believe in Communism. The other Bloc led by U.S.A. included countries

of Western Europe which believed in Capitalism. But now the trend is changing and many countries of the western Europe belonging to Capitalist Bloc has refused to be led by America. Besides a third Bloc of non-aligned countries has also emerged which includes the developing countries of Asia and Africa. This Bloc of non-aligned nations has now important place in the United Nations.

Our foreign policy which lacked force and effectiveness in the past is now showing signs of dynamism and responsiveness. We as a nation must have discipline and courage. We should also increase our production both in the factories and in the fields.

The foreign policy of our country is based on two principles—non-alignment and co-existence. The non-aligned countries of the world are coming closer to evolve a common platform. India is also making efforts to evolve a coordinated news media of all the non-aligned countries of the world. All these are welcome trends.

In spite of all our efforts to normalise our relationship with China, the attitude of that country has remained hostile. China is giving training to Mizo and Naga rebels. It is also fomenting trouble in Bangla Desh. We should also adopt a tough attitude towards China.

As regards our diplomatic services, the top posts of ambassadors etc. should be manned by our politicians, having dedicated and missionary zeal.

Petroleum producing countries have evolved a common platform to safeguard their interests. In the same way sugar producing countries and iron-ore producing countries should also form their separate organisations so that they could not only safeguard their legitimate interests but could exert necessary influence whenever it served their purpose.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : गुट निरपेक्षता और सह अस्तित्व की नीति अतीत में बहुत सहायक सिद्ध हुई है और अब भी लाभदायक सिद्ध हो रही है । गुट निरपेक्षता की नीति अन्तर्राष्ट्रीय अलगाव की नीति नहीं है । यह गतिशील विचारधारा है जो गुण-अवगुणों के आधार पर निर्णय देने का अधिकार रखती है ।

1975 में हमारे मित्र अधिक शक्तिशाली हो गए और विद्रोही हतोत्साही हो गए थे । तटस्थ बने रहने वाले हमारी ओर झुक गए हैं ।

अमरीकी साम्राज्यवाद के नेतृत्व में आने वाले देश हमारे विरूद्ध हैं क्योंकि भारत जो विकासशील देश है, उभरता जा रहा है । यह सम्पूर्ण विश्व में छठा या सांतवां औद्योगिक देश बनता जा रहा है । उन्हें भय है कि विश्व में उन का वह पुराना प्रभाव अब नहीं रहेगा । वे इस देश में सुस्थापित सरकार को स्थिर बनाने के प्रयास कर रहे हैं ।

श्रीलंका के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं हमने इस देश के साथ द्विपक्षीय समझौता किया है ।

जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है हमने उससे शिमला समझौता किया है । पर इसके बावजूद पाकिस्तान का रवैया ठीक नहीं है । इसके लिए हम या हमारी विदेश नीति जिम्मेदार नहीं है । अब यदि उसने हमारे विरुद्ध एक उंगली भी उठाई तो हम उसको करारा मजा चखा सकने की शक्ति रखते हैं ।

नेपाल के साथ अच्छे पड़ौसी जैसे सम्बन्ध बनने की पूरी सम्भावना है और इसका उज्जवल भविष्य है । नेपाल के प्रधान मन्त्री हमारे देश की यात्रा पर आए हुए हैं । रापति, घाघरा, करनाली और बागमति

जैसी हिमालय की नदियों पर कई बांध बनाने के लिए समझौते पर वार्ता की जाएगी । इन परियोजनाओं से लाखों नेपालवासियों और इस देश को लाभ होगा ।

विदेश मंत्री (श्री यशवन्त राव) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् जी, मैं यह कहूंगा कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं । सभा कल म० पू० 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 8 अप्रैल, 1976/19 चैत्र 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

MGIPRRND—V—2 LSS/76—25-8-76—200